बृहस्पतिवार,
६ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शिमला में सरकारी भवन तथा सम्पत्ति

*१८१. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में सरकारी इमारतों तथा अन्य प्रकार को सम्पत्ति को बनाए रखने की वार्षिक लागत क्या है ;

(ख) इस प्रकार की सम्पत्ति से कितना वार्षिक किराया प्राप्त होता है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि पंजाब सरकार की राजधानी को चन्दीगढ़ ले जाने के फैसले के फलस्वरूप उस सरकार को इस समय किराये पर दी गई सरकारी इमारतों तथा दूसरी सम्पत्ति के खाली होने की सम्भावना है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो भारत सरकार इन इमारतों आदि को उचित प्रयोग में लाने के क्या उपाय कर रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) शिमला में वर्ष १९५२-५३ में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को बनाए रखने की लागत ९,३९,७६४ रु० थी।

(ख) उसी काल में उपरोक्त सम्पत्ति से प्राप्त आय ७,२९,४८० रु० थी।

(ग) पंजाब सरकार इस वर्ष केवल अपने शिविर कार्यालयों को ही चन्दीगढ़ ले जायगी तथा उन्हें भी क्रमानुसार। अतएव निकट भविष्य में वे कोई विशेषतः अधिक स्थान खाली नहीं करेंगे।

(घ) पंजाब सरकार द्वारा खाली किए जाने वाले स्थान को प्रयोग में लाने के मामले पर विचार हो रहा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार के प्रधान कार्यालयों के चन्दीगढ़ चले जाने के बाद, जिस विधान सभा भवन का इस समय पंजाब सरकार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, उसे हिमाचल प्रदेश विधान-सभा को दिया जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस बात पर विचार हो रहा है।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि जब माननीय मंत्री हाल में शिमला गए थे तो केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को वहां

ले जाने के बारे में अभ्यावेदन किया गया था तथा क्या सरकार उस प्रकार का कोई अभ्यावेदन करने का विचार करती हैं ? क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या सरकार पश्चिमी कमान के प्रधान-कार्यालय को भी वहां ले जाना चाहती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ये दोनों प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है कि जो स्थान खाली हो उसे शिमला में कुछ सैनिक तथा असैनिक कार्यालयों को ले जा कर सर्वोत्तम प्रयोग में लाया जाय।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार शिमला से चन्दीगढ़ में अपने प्रधान कार्यालयों को कब तक पूर्णतः ले जा सकेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में यह प्रश्न पंजाब सरकार से पूछा जाना चाहिये । परन्तु इस समय उस ने ऐसा संकेत दिया है कि वह केवल अपने शिविर कार्यालयों को ही वहां ले जाना चाहती है तथा चन्दीगढ़ में पूर्णतः प्रस्थान करने में—यदि कदापि वह ऐसा करे ही तो—उसे कुछ वर्ष लग जायेंगे।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि शिमला की इमारतों को ठीक रखने में कोई ६ लाख रुपया खर्च होता है और आमदनी किराये की उन से वसूल होती है कोई ७ लाख रुपये, तो यह जो २ लाख रुपया ज़्यादा खर्च होता है, इसके आमदनी से मिलने की निकट भविष्य में क्या कोई आशा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कमी दरअसल इस वजह से है क्योंकि सारी की सारी जो प्रापरटी है, वह किराये पर नहीं दी हुई है बल्कि उसका कुछ हिस्सा किराये पर दिया हुआ है।

सेठ गोविन्द दास : बाकी जो हिस्सा अभी किराये पर नहीं उठा है और उस कारण यह जो रुपया सरकार लगाती है, क्या उसके बराबर हो जाने की कोई उम्मीद है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वह हिस्सा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के खुद अपने पास है और उस पर से क्रेडिट मिल जाता है, वह तो हिसाब की बात है ।

श्री सारंगधर दास: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या चन्दीगढ़ में राजधानी के पूर्णतः बन जाने में कोई सन्देह है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : किञ्चित् मात्र भी नहीं । यदि माननीय सदस्य के मन में यही धारणा पैदा की गई है, तब मैं इसका पूरे ज़ोर से खण्डन करना चाहता हूं। वास्तव में विचारनीय बात यह थी कि पंजाब सरकार के कार्यालयों के चन्दीगढ़ में जाने पर भी वह सरकार अपने कुछ कार्यालयों को शिमला में ही रहने देना पसंद करेगी तथा पंजाब सरकार द्वारा सारे स्थान को केन्द्रीय सरकार अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयोग के लिए खाली किए जाने की इतनी सम्भावना नहीं है ।

भारत-पाकिस्तानी सीमान्त पर ८ मई, १९५३ को हुई घटनायें

***१८२. डा० एम० एम० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पुर्निया ज़िले के भारत-पाकिस्तानी सीमान्त के निकट हुई उस घटना के सम्बन्ध में पूरी जांच की है जिस में ८ मई, १९५३ को पाकिस्तानी पुलिस ने तथा अन्सारों ने पांच सन्थाली स्त्रियों को मार डाला था ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस जांच का परिणाम क्या हुआ ;

(ग) क्या यह सत्य है कि दो अपराधी भारतीय पुलिस ने भारतीय क्षेत्र में ही गिरफतार किए थे ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो क्या इन दो गिरफतार किए गए व्यक्तियों को पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी हां । ८ मई १९५३ को चार पाकिस्तानी पुलिसमैन ज़िला पूर्निया के करण-डिघी पुलिस स्टेशन के बाथनदांगी तुला स्थान के निकट नागर नदी के पश्चिमी तल पर भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत रुप से घुस आए थे तथा उन्हों ने एक अविवाहित लड़की के अपहरण का प्रयत्न किया जो नदी तल पर दूसरे सन्थाली पुरुषों तथा स्त्रियों के साथ धोंधे जमा कर रही थी। उस लड़की ने उनका मुकाबला किया तथा उसके पिता और चार स्त्रियों ने उसे पुसिल वालों से छड़ाने के लिए सहायता की। पुलिस वालों ने इसपर सन्थालियों पर अपनी बन्दूकों के पिछले सिरों से हमला किया तथा पांचों स्त्रियों को मार डाला। इसके बाद वे पाकिस्ता क्षेत्र की ओर मुड़ गए तथा साथ लड़की के पिता को ले गए, नदी में मृतकों की लाशें बिहार की मिलिटरी पुलिस ने निकालीं जो घटना के तुरन्त पश्चात वहां पहुंच गई थीं। स्थानीय पूछताछ से पता चला कि यह घटना भारतीय क्षेत्र में ही हुई थी तथा कि स्त्रियों पर घातक वार हुए थे तथा कि पाकिस्तानी पुलिस वालों द्वारा पहुंचाए गए घावों के फल-स्वरूप मरी थीं।

इस बारे में ढाका स्थित भारतीय उप उच्च आयुक्त ने पूर्वी बंगाल सरकार को तथा कराची स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे थे। पाकिस्तान सरकार ने उत्तर में कहा है कि वे मामले की जांच करा रहे हैं तथा कि इस बीच में उन्हों ने एक पुलिसमैन को, जिसने इस घटना में भाग लिया था, सेवा से स्थगित कर दिया है तथा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया है। बिहार तथा पूर्वी बंगाल की सरकारें भी पुर्निया (भारत) तथा दीनाजपुर (पाकिस्तान) के ज़िला मजिस्ट्रेटों द्वारा एक संयुक्त जांच कराने में सहमत हो गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है।

डा० एम० एम० दास : क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार की घटनाओं से दोनों देशों के बीच शान्ति और मित्रता बनाये रखने में बहुत कड़ी बाधायें खड़ी होती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है ।

पंडित एस० सी० मिश्र : क्या सरकार जानती है कि इस प्रकार की स्पष्ट घटनाओं के होने पर भी दोनों सरकारों के दब्बू रवैये का सीमान्त क्षेत्रों के रहने वालों के विचारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं।

पंडित एस० सी० मिश्र : मेरा तो एक सीधा सा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को प्रश्नों के समय का इस प्रकार की बातें कह कर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये।

पंडित एस० सी० मिश्र : मैं जानना चाहत था कि सीमान्त क्षेत्रों पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति , शान्ति। दब्बू रवैये आदि की बात नहीं कही जानी चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : क्या बिहार और पूर्वी बंगाल की सीमा पर अभी ऐसी घटनायें हो रही हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस वर्ष बिहार सीमा पर तीन और घटनायें हुई हैं। एक १२ मार्च १९५३ को पूर्निया ज़िले के बरोघरिया गांव में, दूसरी ८ मई, १९५३ को करनडिघी के पास कालीटोला गांव में और तीसरी पूर्निया ज़िले के बरोआ गांव में १७ मई को हुई थी। परन्तु यह घटना सब से गंभीर थी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार के पास कोई सूचना है कि इस तरह के मामले निर्दिष्ट किये जाने पर पाकिस्तान सरकार द्वारा अपराधियों को दंड दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: कुछ मामलों में निश्चय ही, दंड दिया गया है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या लड़की के पिता को, जिसे पाकिस्तान ले जाया गया था, छोड़ दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : वह अभी पाकिस्तान पुलिस के क़ब्ज़े में है।

डा० एम० एम० दास : उन पांच भारतीय नागरिकों के मामले में जिन्हें भारत की सीमा के अन्दर मारा गया था, मैं जानना चाहता हूं कि दोनों सरकारों ने उस पाकिस्तानी न्यायालय में, जहां मुक़दमा चल रहा है, इन अपराधों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बारे में क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा मैं कह चुका हूं, इस मामले में एक संयुक्त जांच की जायेगी। हम कहते हैं कि यह घटना हमारे क्षेत्र में हुई है और पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारे क्षेत्र में इसकी एक संयुक्त जांच की जायेगी और वह ९ अगस्त को होगी।

डा० राम सुभग सिंह : आप के उत्तर के अनसार यह भारतीय क्षेत्र में हुई थी।

श्री एस० एन० दास : जहां यह घटना हुई थी वहां से निकटतम पुलिस चौकी की दूरी कितनी है और भारतीय पुलिस को वहां तक पंहुचने में कितना समय लगा था ?

श्री अनिल के० चन्दा : खुर्का मौज़ा में एक पुलिस कैम्प था और पुलिस वाले घटनास्थल पर एक घंटे के अन्दर पहुंच गये थे।

श्री नामधारी : क्या भारतीयों द्वारा भी उस ओर इस तरह की लूट मार कभी की गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु इस प्रकार अनावश्यक रूप से उन्हें सदन का समय नहीं लेना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक कड़ा महत्व पूर्ण प्रश्न है।

डा० एम० एम० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार संतुष्ट है कि पाकिस्तान सरकार इन अपराधियों को ठीक प्रकार से दंड देने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है और क्या पूर्वी पाकिस्तान स्थित हमारे उच्च आयुक्त को कार्यवाही देखने और फिर भारत सरकार को उसकी रिपोर्ट देने के लिये अनुदेश दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : स्पष्ट है कि यह एक बहुत ख़राब मामला है और इसके बारे में सदन का तथा सरकार का चिन्तित होना स्वभाविक ही है। एक ऐसे मामले में जिसमें कि कुछ निशस्त्र सन्थाली मित्रयों पर आक्रमण किया गया हो और उन्हें मार डाला गया हो, ऐसी भावनाओं का होना स्वाभाविक है। यह भी स्वाभाविक है कि उस जगह के रहने वालों में सीमा पर होने वाली इन घटनाओं के कारण भय तथा चिन्ता उत्पन्न हो गई है। सीमा हमशा एक ऐसी ख़तरनाक जगह होती है जहां कि अपराधी लोग या अन्य लोग इधर से उधर चोरी छिपे आते जाते रहते हैं

इस मामले में, पाकिस्तान सरकार ने फिर भी काफ़ी शीघ्रता से काम लिया और अब भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से एक संयुक्त जांच की जायेगी। पाकिस्तान में मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य अधिकारी के न्यायालय में चलाये जाने वाले मुक़दमे के अलावा दो या तीन दिन में एक संयुक्त जाच की जाने वाली है। स्वाभाविक है कि भारत सरकार, बिहार सरकार के ज़रिये इस मामले में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रही है ताकि सच्ची घटना का पता लग सके और अपराधियों को दंड दिया जा सके।

कार्यक्रम-प्रगति अनुमान संगठन

*१८३. **श्री बी० सी० दास** : (क) **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग के अधीन "कार्यक्रम-प्रगति अनुमान संगठन" नामक कोई संस्था है ?

(ख) यदि हां, तो इस में क्या कार्य होता है ?

(ग) इस संगठन में अधिकारी तथा अन्य पदालियों में कितने व्यक्ति हैं तथा उनकी वेतन श्रेणी आदि क्या है ?

(घ) अब तक इस सगंठन के खर्चे का कितना भाग फ़ोर्ड प्रतिष्ठान से पूरा किया गया है ?

सिचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सगंठन सामुदायिक परियोजनाओं तथा विकास संबंधी अन्य योजनाओं पर होने वाले काम की निरन्तर देख भाल करता रहता है ताकि वह संबंधित अधिकारियों को उनकी प्रगति से अवगत कराता रहे और उन्हें ऐसे तरीकों को अपनाने के लिये जो सफल सिद्ध हो चुके हों राय दे सके।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२**]

(घ) सारा खर्चा।

श्री बी० सी दास: क्या इस परियोजना के बारे में फ़ोर्ड प्रतिष्ठान और योजना आयोग के बीच कोई समझौता हुआ है; यदि हां; तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

श्री हाथी : एक समझौता हुआ है और मैं उसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रख दूंगा।

श्री मुनिस्वामी: क्या इस सगंठन के लिये कोई केन्द्र खोले गये हैं ; यदि हां तो कहां कहां और वे किस तरह काम करते हैं ?

श्री हाथी: जी हां, केन्द्र खोले गये हैं।

श्री मुनिस्वामी: कहां ?

श्री हाथी: १९ केन्द्र खोले गय हैं।

श्री बी० सी० दास: क्या इस अनुमान समिति के परामर्श के अनुसार सरकार ने अपनी परियोजना में संशोधन किया है ?

श्री हाथी : जी नहीं, संशोधन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बी० सी० दास: क्या अनुमान सगंठन में फ़ोर्ड प्रतिष्ठान या अमरीकी सरकार से संबंधित कोई अधिकारी है ?

श्री हाथी :जी नहीं, यह सारे अधिकारी स्वतंत्र हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त, किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या १८४।

श्री पुन्नूस : श्रीमान् प्रश्न १८४, १८५ और १८६ तीनों एक साथ पूछे जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

पंचेत हिल विभाग में मज़दूरों की हड़ताल

*१८४. **श्री पुन्नूस**: (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दामोदर

घाटी निगम के पंचेत हिल विभाग के ५००० मज़दूरों ने ४ मार्च, १९५३ से हड़ताल कर दी थी ?

(ख) यदि हां, तो इन मज़दूरों की मांगें क्या थीं और प्राधिकारियों ने इन के सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया था ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां, किन्तु इन की संख्या केवल ५५० थी ।

(ख) एक विवरण जिस में मज़दूरों की मांगें और उन के साथ किया गया समझौता बतलाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

मैथों बांध के मज़दूरों की हड़ताल

***१८५. श्री पुन्नूस:** (क) **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मैथों बांध के ८००० मज़दूरों ने सूचना दी है कि यदि उन की मांगें पूरी न की गईं तो वे हड़ताल कर देंगे ?

(ख) ये मांगें क्या हैं और उन के सम्बन्ध में प्राधिकारी क्या पग उठा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां, श्रीमान् किन्तु उन की संख्या केवल २५०० थी ।

(ख) एक विवरण जिस में मज़दूरों की मांग और उन के साथ किये गए समझौते की शर्तें बतलाई गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

दामोदर घाटी परियोजनाओं में श्रम सम्बन्धी झगड़े

***१८६. श्री पुन्नूस : सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी परियोजनाओं में श्रम सम्बन्धी झगड़ों के कारणों की जांच करने के लिए सरकार का एक जांच समिति नियुक्त करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : नहीं, श्रीमान् । दामोदर घाटी निगम में अब तक जितने श्रम सम्बन्धी झगड़े हुए हैं, उन्हें मित्रतापूर्ण ढंग से निपटा दिया गया है और सरकार द्वारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पंचेत हिल विभाग में जो हड़ताल की गई थी, वह प्रबन्धकों और श्रमिक संघ के बीच लम्बी चौड़ी बातचीत के बाद की गई थी ?

श्री हाथी: इस में अधिक समय नहीं लगा । केवल चार या पांच दिन तक बातचीत होती रही थी ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रबन्धकों ने समझौते में मज़दूरों की इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें काम की अवधि में न निकाला जाय ?

श्री हाथी: मेरे विचार में इसे मान लिया गया है ।

श्री पुन्नूस: मैं जान सकता हूं कि क्या मज़दूरों की न्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार करने की बजाय संघ के मंत्री श्री अशीत राय को २४ घटों की सूचना दे कर मैथों बांध पर स्थानांतरित कर दिया था और इस कारण हड़ताल शुरू हुई ?

श्री हाथी: मुझे सूचना चाहिए ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक बांध पर मज़दूरों की कुल संख्या क्या है और क्या वे किसी श्रमिक संघ के सदस्य हैं ?

श्री हाथी: इस प्रकार की रजिस्टर्ड संस्था नहीं है ।

पंचेत हिल में मज़दूरों की संख्या ५५० है और मैथों में २५५६ ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या इस वायदे के बावजूद कि काम के दौरान में किसी मज़दूर को नहीं निकाला जायेगा २८ कर्मचारियों को अब छंटनी के बहाने निकाल दिया गया है और इस से मज़दूरों में बेचैनी फैल रही है ?

श्री हाथी : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । मैं इस की जांच करूंगा ।

श्री एच० एन० शास्त्री : चूंकि संसद के पिछले आय-व्ययक सत्र के समय नदी घाटी परियोजनाओं में कार्य की अवस्थाओं के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था, क्या सरकार ने इन परियोजनाओं में मज़दूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था की है और यदि हां, तो यह व्यवस्था किस प्रकार की है ?

श्री हाथी : जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, वहां श्रम कल्याण पदाधिकारी सब सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और जितने भी झगड़े पैदा हुए हैं, उन्हें शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा दिया गया है । अतः अभी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि हड़ताल के दौरान में पुलिस कई बार बुलाई गई थी और मज़दूरों को लाठियों से तित्तर बित्तर किया गया था ।

श्री हाथी : संभव है कि पुलिस वहां आई हो, किन्तु उसे मज़दूरों को लाठियों से तित्तर बित्तर करने के लिए नहीं बुलाया गया था ।

समाचार सर्विस का विकेन्द्रीकरण

***१८७. चौ० रघुबीर सिंह : सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार समाचार सर्विस का विकेन्द्रीकरण करने के लिए एक योजना बनाने पर बिचार कर रही है ; तथा

(ख) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या पग उठाए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । आल इंडिया रेडियो के दो स्टेशनो पर केवल प्रादेशिक समाचार वाले प्रादेशिक बुलेटिन प्रसारित करने का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस समय लखनऊ और नागपुर स्टेशनों से प्रसारित किये जा रहे हैं ।

इन दो स्टेशनों में जो अनुभव प्राप्त होता होगा, उसके प्रकाश में ही इस योजना को धीरे धीरे अन्य स्टेशनों तक बढ़ा देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

चौ० रघुबीर सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

डा० केसकर : व्यय का ठीक अनुमान लगाने का समय अभी नहीं आया है क्योंकि बुलेटिन आरम्भ करने का वास्तविक अर्थ है कि कार्यक्रम को चलाने के लिये दो या तीन और व्यक्ति रखने होंगे । स्टेशन के कर्मचारियों में और कोई वृद्धि नहीं है । इस पर हमें वार्षिक क्या व्यय करना होगा, यह पता लगाना केवल दो या तीन मास पश्चात् ही सम्भव होगा ।

श्री जोशिम अलवा : क्या सरकार इस दृष्टि से कि उसे पी० टी० आई० (प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया) को बहुत धन देना पड़ता है, अपनी स्वयं की समाचार योजना बनाने पर विचार कर रही है, और इसके सच्चे तथा परिश्रमी कर्मचारियों के प्रति इसके प्रबंधक वर्ग की महान त्रुटियों

के कारण पी० टी० आई० अब लगभग पूर्णतः अव्यवस्थित हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं ।

डा० केसकर : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि स्वयं अपना समाचार विभाग स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या समाचार-पत्र सूचना विभाग आजकल अपने प्रादेशिक प्रधान कार्यालयों में अपनी समाचार एजेंसी चला रहा है ?

डा० केसकर : कुछ स्थानों पर हमारे अपने संवाद दाता हैं, यद्यपि ऐसे स्थान थोड़े ही हैं, और वे महत्वपूर्ण स्थानीय समाचार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । इस सब के अतिरिक्त और कोई एकीकरण समाचार एजेंसी नहीं है ।

पंचवर्षीय योजना

*१८८. **चौ० रघुबीर सिंह :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ग्रामीणों को पंच वर्षीय योजना का महत्व व प्रगति समझाने के विशेष प्रबन्ध किये हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे प्रबन्ध क्या हैं और उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

(ग) १९५३ के लिये इस प्रकार के प्रबन्धों के लिए आय-व्ययक में कितने धन की व्यवस्था है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) हां । देश के कोने कोने में व्यक्तियों को योजना का महत्व तथा प्रगति समझाने के लिये संगठित प्रचार का एक कार्यक्रम बनाया है ।

(ख) कार्यक्रम में प्रचार के लिये विभिन्न साधनों का उपयोग करने की व्यवस्था हैं नाम्ना, चलचित्र, समाचार-पत्र, रचनायें, विज्ञापन-पत्र व गुटके तथा रेडियो । इसमें ग्रामीण जनता को योजना के महत्व से भली प्रकार परिचित करने की दृष्टि से प्रादेशिक इकाइयों तथा घूमने वाली गाड़ियों की भी व्यवस्था की है ।

(ग) १९५३-५४ का अनुमानित व्यय आजकल सक्रिय रूप में विचाराधीन है । यह शीघ्र ही निश्चित हो जाएगा ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या इन सामूहिक योजनाओं तथा अन्य बातों के कार्यों की प्रगति का प्रदर्शन करने के लिये कोई प्रलेखीय चलचित्र बनाए गये हैं ?

डा० केसकर : तीन या चार प्रलेखीय चलचित्र बनाये गये हैं जिनमें सामुहिक योजनाओं का कार्य तथा उनका उद्देश्य दिखाया गया है, जैसे नदी घाटी योजनायें । परन्तु यह कदाचित वह नहीं है जो प्रश्नकर्ता का अभिप्राय संगठित प्रचार योजना से है जो कि पंच वर्षीय योजना की विशिष्ट मदों पर प्रलेखीय चलचित्र बनानें जैसी बातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या ये कार्यक्रम दक्षिणी भारत में कार्यान्वित किये जा रहे हैं ?

डा० केसकर : मैं नहीं समझा कि आपका अभिप्राय किस कार्यक्रम से है ।

कुमारी एनी मस्करीन : दक्षिण के व्यक्तियों को कार्यक्रमों से केवल सैद्धान्तिक लाभ होता है ।

डा० केसकर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या मेरे उत्तर को गलत समझी हैं। श्रीमान्, जैसा कि मैंने बताया, कि पंच-वर्षीय योजना का संगठित रूप में यह प्रचार कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है। अभी तक हम इसे आंशिक ढंग से करते रहे हैं और जब यह आरम्भ

होगा, तो स्वाभावतः अखिल भारतीय आधार पर होगा और दक्षिण उससे अलग नहीं रहेगा।

श्री हेडा: प्रलेखीय चलचित्रों के अतिरिक्त, जो थोड़े हैं, क्या सरकार ऐसे शैक्षिक चलचित्रो के बनाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है जिनमें पंचवर्षीय योजना के विशिष्ट भागों को प्रकाशन दिया जा सके।

डा० केसकर : हां, श्रीमान्।

सेठ अचल सिंह: क्या मानीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मोबाइल काम कर रहे हैं?

डा० केसकर: शायद मेम्बर साहब मोबाइल वान्स का ज़िक्र कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोबाइल वान्स के द्वारा जो फिल्म वगैरह दिखलाए जायेंगे वह उत्तर प्रदेश में भी दिखलाये जायेंगे।

कोयला का मूल्य

*१८९. **श्री हेडा:** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला का अन्तर्देशीय मूल्य का हमारे निर्यातित कोयले की औसत लागत के साथ क्या अनुपात है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): देश में प्रयोग होने वाले तथा निर्यात होने वाले कोयले का आधार भूत मूल्य एक है और किसी समय निर्यात पर सरकार द्वारा लगाये जाने वाले विशेष व्यापारिक व्यय आदि समाप्त हो गये हैं। कोयला के अन्तर्देशीय तथा निर्यात के लिये जहाज़ों में लदे कोयले के मूल्यों में अन्तर जहाज़ का भाड़ा, नदी भाड़ा, श्रेणीकरण शुल्क, कलकत्ता पत्तन के आयुक्त द्वारा लगाये करों आदो के कारण होता है जो कोयले के निर्यात पर लगाये जाते हैं। कलकत्ता में ये व्यय ४ रु० १२ आना प्रति टन होता है।

श्री हेडा: मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि कोयले के निर्यात के कारण हमें कोई हानि तो नहीं होती या अन्तर्देशीय बाज़ार में अपने बिक्री की तुलना करते समय हम लाभ को तो नहीं खो देते?

श्री के० सी० रेड्डी: निर्यात से हम कोई हानि नहीं होती।

कोयला उपकर में वृद्धि

*१९०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार की कोयलाखानों के मालिकों ने बिहार सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है जिस में उसका ध्यान हाल ही में कोयले पर उपकर में की गई प्रति टन वृद्धि की ओर दिलाया है?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

(ग) क्या उपकर से कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने का भय है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां,।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से लिखा पढ़ी होती रही है। बिहार सरकार ने यह मान लिया है कि वह बढ़ी हुई दरों के अनुसार उपकर का संग्रह, रोक देगी जिसकी कि उसने आज्ञा दी थी। बिहार सरकार ने कछ नई प्रस्थापनायें भी रखी हैं जो कि इस समय भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उपकर में वृद्धि से कहीं कोयले के उत्पादन पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इसका कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है क्यों कि उपकर की

दर में वृद्धि के सम्बन्ध में तो अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि उन राज्यों की सरकारों को जहां कोयले की खाने हैं, उपकर को दर निश्चित करने का अधिकार है ?

श्री के० सी० रेड्डी: जी हां उन्हें अपने राज्यों में निकाले गये कोयले पर स्थानीय उपकर की दर निश्चित करने का अधिकार है ।

श्री पी० सी० बोस: क्या सरकार को मालूम है कि इस उपकर को इकट्ठा करने से रोक देने के कारण मानभूम और हज़ारीबाग ज़िलों के ज़िला बोर्डों के पास धन की कमी हो गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी: बिहार सरकार ने यह उपकर इकट्ठा करने का क़ाम उस समय तक के लिए रोक रखा है जब कि वह भारत सरकार द्वारा रखी गई प्रस्थापनाओं पर विचार नहीं कर लेती । जब उस बात का अन्तिम निर्णय हो जायगा तभी उपकर इकट्ठा करने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

श्री पी० सी० बोस: अन्तिम निर्णय में कितना समय लगेगा?

श्री के० सी० रेड्डी: हम बिहार सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्योंही उनका उत्तर हमें मिलेगा हम अन्तिम निर्णय करेंगे ।

श्री पी० सी० बोस: उस समय तक बोर्ड के खर्च, अध्यापकों के वेतन तथा अन्य बातों के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं समझा न हीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यापकों के वेतन तथा अन्य बातों के लिए ।

श्री पी० सी० बोस: ज़िला बोर्ड के खर्च के लिए ।

श्री के० सी० रेड्डी: मैं नहीं जानता श्रीमान । इस प्रश्न का उत्तर तो बिहार सरकार दे सकती है । यदि माननीय सदस्य एक और प्रश्न की सूचना दें तो मैं मालूम करने की चेष्टा करूंगा ।

डा० एम० एम० दास: श्री मान क्या मैं यह जान सकता हूं कि राज्य सरकारों तथा केन्द्र द्वारा कौन से विभिन्न उपकर लगाए जाते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, निम्न लिखित महत्व पूर्ण उपकर हैं । पहला है "स्टोईग उपकर", दूसरा है "कल्याण उपकर" और कुछ स्थानों में "बचाव उपकर" भी लिया जाता है । जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, वे "स्थानीय उपकर" लेते हैं।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि सरकार की इस उद्योग का राष्ट्रीय करण करने की कोई योजना है ?

श्री के० सी० रेड्डी: श्री मान मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न, इस से उत्पन्न नहीं होता ।

बाबू रामनारायण सिंह: स्थानीय उपकर में वृद्धि की क्या आवश्यकता थी ?

श्री के० सी० रेड्डी: राज्य सरकारें उस क्षेत्र में सड़कें, सुरंगें, पुल, सफ़ाई तथा वैसी अन्य सुविधाओं के प्रबन्ध के लिए स्थानीय उपकर इकट्ठे करती हैं । इसी प्रयोजना के लिए राज्य सरकारें स्थानीय उपकर लगाती हैं ।

नागा पहाड़ियों में नर संहार

***१९१. डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष नागा पहाड़ियों में नर संहार की घटनाएं हुई हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितनी और कब ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) और (ख) ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई ।

डा० सैवेज द्वारा बांध परियोजनाओं का निरीक्षण

*१९२. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० जे० एल० सैवेज ने कितनी बांध परियोजनाओं का निरीक्षण करके इस संबन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): राज्यों की परियोजनाओं के अतिरिक्त, जिन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने डा० जे० एल० सैवेज से सलाह ली, भारत सरकार ने हीराकुड और कोसी परियोंजनाओं के सम्बन्ध में उन से टेक्नीकल मामलों पर सलाह ली है ।

डा० राम सुभग सिंह: डा० सैवेज ने जिन बांध परियोजनाओं का निरीक्षण करके उन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है उन में से कितनी लागू की गई हैं और कितनी के पंच वर्षीय योजना के दिनों में कार्यान्वित किए जाने की आशा है ?

श्री हाथी: जैसा कि मैंने कहा, भारत सरकार ने उन से दो परियोजनाओं--हीराकुड और कोसी के सम्बन्ध में सलाह ली है । हीराकुड बांध योजना लागू की जा रही है । अन्य परियोजनाएं राज्यों की हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि डा० सैवेज ने कोसी मंत्रणा समिति की रिपोर्ट पढ़ने के बाद यह विचार प्रकट किया था कि यदि कोसी नदी पर बांध बनाया गया तो १७ वर्ष में वह मिट्टी से अट जायगा, और इसलिए सरकार कोसी पर बांध की बजाय एक बन्द बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री हाथी: यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि क्या यह सच है कि डा० सैवेज के परामर्श के अनुसार उत्तर प्रदेश में मेरठ में बनाए गए एक बांध में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं ?

श्री हाथी: कौन सा बांध ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: हाल ही में समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में डा० सैवेज के परामर्श के अनुसार बनाए गए एक बांध में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं ।

श्री हाथी: मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

डा० रामसुभग सिंह: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हीराकुड तथा कोसी योजनाओं के परीक्षण पर कितना खर्च हुआ ?

श्री हाथी: १८ हज़ार डालर ।

श्री एस० एन० दास: मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या कोसी बांध योजना पर काम करने वाले भारतीय इंजीनीयरों तथा डा० सैवेज में कोई मतभेद रहा है ?

श्री हाथी: उस योजना के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं रहा ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सैवेज के परामर्श में यह बात भी शामिल थी कि अमरीका से पुरानी मशीनें खरीदी जायं ?

श्री हाथी: जी नहीं ।

श्री आल्तेकर: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि डा० सैवेज ने कोयना घाटी परियोजना का निरीक्षण भी किया था ?

श्री हाथी: वह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ; यह परियोजना तो राज्य का विषय है । परन्तु मुझे पता चला है कि बम्बई सरकार

ने कोयना परियोजना के सम्बन्ध में उन से सलाह ली थी ।

श्री यू० सी० पटनायक: क्या सरकार को मालूम है कि डा० सैवेज केवल डिजाइन इंजीनीयर हैं और निर्माण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ नहीं हैं ।

श्री हाथी : डिजाइनों के सम्बन्ध में ही उन से सलाह ली गई थी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कोसी बांध की ऊंचाई के सम्बन्ध में डा० सैवेज और हमारे इंजनीयरों के बीच मतैक्य है ?

श्री हाथी : यदि माननीय सदस्य का संकेत बड़े बांध की ओर है तो मेरा विचार है कि उन में मतैक्य है ।

श्री एल०एन० मिश्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कोसी परियोजना के सम्बन्ध मे हुए सम्मेलन में डा० सैवेज ने भी भाग लिया था ?

श्री हाथी : जी, नहीं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या डाक्टर सैवेज नदी घाटी परियोजनाओं के विशेषज्ञ हैं अथवा नमूने बनाने में ही एक विशेषज्ञ हैं ?

श्री हाथी : वह परामर्शदाता इंजीनियर हैं और नमूने बनाने में विशेषज्ञ हैं ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या डा० सैवेज की रिपोर्ट हर बार आया करती हैं और क्या वे सदन को उपलब्ध हो सकेंगी ?

श्री हाथी : विविध टेकनीकल बातों पर भिन्न भिन्न समयों पर उन से परामर्श लिया गया । मेरा विचार है कि हीराकुड़ परियोजना पर उनकी पहली रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जा चुकी है । अन्य रिपोर्टें उन छोटी छोटी टेकनिकल बातों के सम्बन्ध में थीं, जो भिन्न भिन्न समयों पर पूछी गई थीं । उन सभी बातों से सम्बद्ध जानकारी को सदन पटल पर रखना संभव नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृष्ण-पेन्नर परियोजना पर पूछ ताछ प्रारम्भ हुई है, तथा यदि हुई है तो किस आधार पर ?

श्री हाथी : मुझे सूचना चाहिये । हां, यह भी है कि सम्बद्ध राज्यों को ही इस का उत्तर देना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कोसी बांध परियोजना की किन मुख्य बातों पर डा० सैवेज के साथ परामर्श किया गया था ?

श्री हाथी : उन बातों में नीवों, तलछट, आदि के लिये आलेख सम्बन्धी भिन्न भिन्न बातें शामिल थीं ।

शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्त का दूर-पूर्व में प्रतिनिधि

*१९३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि श्री अमीर अली नाम के एक भारतीय नागरिक को दूरपूर्व में शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्त का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो वह क्या कार्य करता है, और किस के अधीन काम कर रहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयुक्त की पदवी को संविधि के अन्तर्गत सम्मुख होने वाले उत्तरदायित्वों को निभाने में वह संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयुक्त की सहायता करेगा । चुनांचि वह प्रतिनिधि

शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्त के अधीन कार्य करता रहेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि फारमूसा तथा अन्य जगहों में कोमिंतांग अवशेषों को छोड़ कर किन को वास्तव में दूर पूर्व के शरणार्थी कहा जाता है?

श्री अनिल के० चन्दा : इस मामले में मुझे कोई भी सूचना नहीं हैं।

श्री दामोदर मेनन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही यह नियुक्ति की गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें इस की सूचना मिली तो थी किन्तु समये से पूर्व का कोई भी परामर्श नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न १९४.

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि मेरा प्रश्न संख्या २२८ प्रश्न संख्या १९४ के साथ ही लिया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

जनरल नजीब के साथ बातचीत

***१९४. श्री एच० एन० मुकर्जी** (क) क्या प्रधान मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हमारे प्रधान मंत्री राज्याभिषेक में उपस्थित होने के लिये लन्दन जाते समय तथा वहां से वापसी पर जनरल नजीब से मिले थे ?

(ख) इन दो प्रधान मंत्रियों में जो विचार-विमर्श हुआ था, वह किस विषय में था ?

(ग) क्या यह तथ्य हैं कि स्वेज नहर क्षेत्र से अंग्रेजों को निकालने के आन्दोलन में मिश्री जनरल ने भारत के समर्थन की याचना की थी ?

(घ) यदि हां, तो इन मामलों में भारत का क्या रवैया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां।

(ख) मिश्री नेताओं के साथ गुप्त वार्ता हुई। यों तो, इतना कहा जा सकता है कि उन्होंने सामान्य हित की अनेक अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर बातचीत की। जिन विषयों पर बात-चीत हुई उन में से एक स्वेज नहर से सम्बद्ध था।

(ग) तथा (घ) किसी आन्दोलन में भारत का समर्थन पाने का कोई भी प्रश्न नहीं था। किन्तु यह सविदित है कि भारत स्वतंत्रता के लिये किये गये राष्ट्रीय आन्दोलनो से सहानुभूति रखता है और भारत यह भी आशा करता ह कि मिस्र की पूर्ण प्रभुता कोअभिज्ञात किया जायेगा।

काहिरा में बातचीत

***२२८. श्री एस० एन० दास :** प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान लन्दन के एक पत्र 'दि इकानोमिस्ट' द्वारा 'इण्डिया टेक्स ए हैण्ड इन केरो' (भारत काहिरा में हस्पक्षेप कर रहा है') नामं के शीर्षक के अंतर्गत लिखीगई संपादकीय टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है, जिसका पाठ 'हिन्दुस्तान टाइम्स' न ३ जुलाई, १९५३ को पृष्ठ ६ पर, स्तम्भ ३ में ''इण्डियाज रोल इन केरो टाक्स' 'काहिरा की बातचीत में भारत का भाग' शीर्षक के नीचे प्रकाशित किया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या मिस्र स्थित भारतीय राजदूत एवं भारत सरकार द्वारा कोई कार्य हुआ है ; किये गये कार्य के सम्बन्ध में पैदा हुई मिथ्या धारणा को दूर करने के लिये कुछ किया गया है ;

(ग) क्या इस मामले में भारत का पक्ष समझाने के लिये सरकार ने कोई प्राधिकृत वक्तव्य दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अब ऐसा करेगी ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख)। कई बातों में यह संपादकीय टिप्पणी गलत है। यों तो, सरकार की यह प्रथा नही कि संपादकीय टिप्पणियों द्वारा पैदा की गई मिथ्या धारणाओं को ठीक करे। बिल्कुल निजी बात चीत पर कुछ कहने से ऐसी बातें प्रकट होंगी जिन्हें गुप्त समझा जाता है। सरकार का समाधान हो गया है कि काहिरा स्थित भारतीय राजदूत ने इस मामले में ठीक कार्यवाही की।

(ग) तथा (घ)। इस विषय में सरकार द्वारा कोई भी वक्तव्य जारी नहीं किया गया है, किन्तु प्रधान मंत्री ने अनेक अवसरों पर इसकी ओर निर्देश किया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: समाचार-पत्रों की रिपोर्टों से हमें इस बात का पता चल गया है कि हमारे प्रधान मंत्री ने मिश्र को नहर क्षेत्र के झगड़े पर शान्ति तथा सावधानी से काम लेने का परामर्श दिया है, और जनरल नजीब ने बतलाया है कि भारतीय प्रधान मंत्री और उनके अपने विचार एक से हैं। क्या आप वास्तविक स्थिति समझा देंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमान्, इस तरह के प्रश्नों का प्रकारान्तर से यही अभिप्राय है कि मैं बातचीत का सार बता दूं। मेरे विचार में यह उचित नहीं है।

श्री एस० एन० दास: क्या मै जान सकता हूं कि क्या मिश्रस्थित हमारे राजदूत ने साधारण जनता केलिये ऐसा कोई वक्तव्य दिया जिसकी 'इकानोमिस्ट' ने इस तरह की व्याख्या की ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे इस बात का स्मरण नहीं कि मिस्र स्थित भारतीय राजदूत ने कोई ऐसा सार्वजनिक वक्तव्य दिया, किन्तु मैं बिना पूछे-देखे कुछ भी नहीं कह सकता; हो सकता है कि उन्होंने निजी रूप में या किसी दावत में या और किसी अवसर पर ऐसी बात कही हो—प्रायः ऐसी जगह पर ही हमारे राजदूतों को कार्य करना पड़ता है।

सेठ गोविन्द दास: माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी यह कहा कि वहां जितनी बातचीत हुई वह गोपनीय है, मैं उस गोपनीय चीज को बाहर नहीं लाना चाहता लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन और इजिप्ट में जो आपस के रवैये में सुधार हुआ है, उस का बहुत सा श्रेय हमारे प्रधान मंत्री जी को है और यह सुधार उन की बातचीत के बाद हुआ है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी: प्रधान मंत्री हमें साधारण शब्दों में यह बतला देंगें कि क्या राष्ट्र मंडलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन में नहर क्षेत्र के झगड़े पर कोई चर्चा हुई थी, और पुनः साधारण शब्दों में वह यह भी बतलादेंगे कि क्या उन्होंने उस बहस के सुझाव को जनरल नजीब तक पहुंचाया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

श्री जोशिम अलवा: यह बहुत ही महत्व-पूर्ण प्रश्न रहा है। क्या आप कोई और अनुपूरक पूछने की आज्ञा नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय: इसें 'गोपनीय' कहा जाता है।

भोज्य तेलों के मुल्य

*१९६. **श्री दाभी**: क्य **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि देश में अभी हाल ही में भोज्य तेलों के भाव काफी ऊंचे हो गये हैं ?

(ख) यदि यह ठीक है तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) देश में भोज्य तेलों के भाव कम करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) भाव बढ़ने का मुख्य कारण मूंगफली की फसल कम होना था ।

(ग) निम्न कार्यवाही की गई हैं :

(१) ताड़ तथा नारियल के तेल पर लगा हुआ आयात शुल्क कम कर दिया गया है ।

(२) मूंगफली के तेल का निर्यात रोक दिया गया है ।

(३) साबुन बनाने के लिये मूंगफली के तेल के प्रयोग करने की अपेक्षा ताड़ तथा नारियल के तेल प्रयोग करने के लिए अधिकतम आयात करने को सुविधा दी गई हैं ।

(४) बहुत से साबुन निर्माताओं को कहा गया है कि साबुन बनाते समय आज-कल वे मूंगफली के तेल का प्रयोग न करें।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि जनवरी १९५३ की अपेक्षा आजकल भोज्य तेलों के भाव क्या हैं; तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप उन में कितनी कमी आ गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे डर है कि भावों के बारे में जो जानकारी मुझे है वह बिल्कुल ठीक न हो क्योंकि भाव अस्थायी होते हैं और उन में प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है । मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फल-स्वरूप भावों में कोई विषेश कमी आ गई है किन्तु शायद वे पहले की अपेक्षा बढ़े नहीं हैं।

बम्बई में जुलाई के महीने में मूंगफली के तेल का भाव ७४रु०९आ०प्रति मन था। आज-कल भी इसका लगभग यही भाव है ; किन्तु हां अक्तूबर के वायदे के भावों में काफी कमी आ गई है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि भोज्य तेलों के भावों में वृद्धि का मुख्य कारण बनस्पति निर्माताओं की ओर से मूंगफली के बीज की अधिक खरीद तथा उस का संचित करना और देश में उपलब्ध होने वाले तेल के बीजों के उत्पादन के बारे में सरकार का अधिक अनुमान, तथा इस अनुमान के आधार पर विदेशों को निर्यात करना था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार तो यह नहीं समझती । कि इन अनुमानों का कोई आधार भी है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम तट वालों ने मलाया तथा अन्य स्थानों से नारियल के तेल के निर्बाध आयात का विरोध किया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आजकल प्रायः ऐसा ही होता है। पश्चिम तट वालों ने सदैव ही तेल के निर्बाध आयात के विरुद्ध शिकायत की है । यहां तक कि जब तेल का आयात निर्बंधित था तब भी ये निर्बाध आयात की शिकायतें करते थे ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं औचित्य प्रश्न उठा सकता हूं ? पश्चिमी तट वालों के प्रति निर्देश से इस कथन का क्या आशय है कि "आजकल प्रायः ऐसा ही होता है" ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का स्पष्ट अभिप्राय तो यह है कि बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं तथा समय समय पर वे उन का उत्तर देते रहे हैं। इस प्रकार के मामले में मैं समझता हूं कि हम सभी केवल प्रश्नों तक ही सीमित रहे तथा अन्य दूसरे मामलों की यहां न लावें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् आप ने जो कुछ कहा है क्या उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन कर सकता हूं ? माननीय सदस्य सदन में जो कु छ कहते हैं उसका हवाला मैं नहीं दे रहा हूं। इस मामले के बारे में तार द्वारा हमारे पास नित्य प्रति बहुत से अभ्यावेदन आते रहते हैं, अतएव हमारे लिए यह दैनिक कार्य बन गया है। संसद के माननीय सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों तथा अभ्यावेदनों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर अब इसे छोड़िये।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि त्रावण-कोर-कोचीन सरकार ने अपने यात्रियों के द्वारा भारत सरकार से अभ्यावेदन किया था कि नारियल के तेल पर लिये जाने वाले आयात शुल्क में कमी कर देने से देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: एक अभ्या-वेदन आया था। और उन का समाधान कर दिया गया था कि ऐसी बात नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि नारियल के तेल का कितना प्रतिशत आजकल भोज्य प्रयोजन में आता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना मिलनी चाहिये।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भोज्य तेलों के ऊंचे भावों ने देश के निर्धन तथा मध्यवर्गीय व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां। सरकार को इसका ज्ञान है। और यही कारण है कि हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि भावों में कमी हो।

श्री हेडा : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भाव कम हो गये हैं और उसी समय आप कहते हैं कि वे ऊपर भी नहीं गये हैं ; क्या मैं जान सकता हूं कि भावों में कमी करने के लिए भविष्य में सरकार क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिस समय एक फसल समाप्त होती है तथा दूसरी शुरु होती है उस समय सरकार के सामने अधिक उपाय नहीं होते। कुछ सीमित आयात की अनुमति दे कर और आयात शुल्क में कमी कर के स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में लगातार जांच हो रही है।

श्री आल्तेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अब तक भोज्य तेलों का कितना निर्यात किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना की अपेक्षा है।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि जब आयात कर कम किया गया था तो क्या नारियल समिति से परामर्श लिया गया था ; क्या सरकार को इस का भी ज्ञान है कि त्रावण कोर-कोचीन की सभी जनता, तथा सभी समाचार पत्रों ने आयात कर में किये जाने वाली कमी का विरोध किया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नारियल समिति से परामर्श नहीं किया गया था। जहां तक कि दूसरा प्रश्न है जब कि आयात कर में कमी करने के कारण भावों में कोई कमी नहीं आई है तो मैं समझता हूं कि अभ्यावेदन का कोई महत्व नहीं है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को इसका ज्ञान है कि दक्षिणें के नारियल तेल उत्पादकों के प्रति

सरकार की नीति सदैव ही उनके लिए असुविधा-जनक रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से भोज्य तेल हैं । यह प्रश्न बहुत बड़ा है ।

मिलों द्वारा भोज्य तेलों का उत्पादन

*१९७. **श्री दाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने पंच वर्षीय योजना में ऐसी नीति अपनाने की सिफारिश की है जिसके अन्तर्गत मिलें केवल अभोज्य तेलों का ही उत्पादन करेंगी, जबकि भोज्य तेलों का उत्पादन ग्रामीण घानियों द्वारा ही होगा ।

(ख) यदि ऐसा है तो इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या पग उठाये हैं अथवा भविष्य में क्या पग उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) योजना आयोग ने सिफारिश की है कि "तेल उद्योग में ऐसी नीति अपनाई जाय कि भोज्य तेलों के उत्पादन का विकास ग्रामीण उद्योगों द्वारा हो तथा अभोज्य तेलों का उत्पादन मिलों द्वारा ।"

(ख) यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि अभी हाल ही में बम्बई में हुई अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की बैठक ने सरकार से देश में उपलब्ध होने वाले भोज्य तिलहन का एक भाग ग्राम तैल उद्योग के लिए रक्षित करने और घानियों के लिए तिल के बीजों को सम्पूर्ण रूप से रक्षित करने के लिए सिफारिश की है, और क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि ऐसी कोई सिफारिश की गई थी । ये सभी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि योजना आयोग ने ग्राम तैल उद्योग के लाभ के लिए मिल के तेल पर एक छोटा सा उपकर लगाने की सिफारिश की है, और यदि की है तो, इस सिफारिश को सरकार कब कार्यान्वित करने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक योजना आयोग का संबंध है, वह तथ्य है । जैसा कि मैं ने कहा, ये सभी मामले सरकार के विचाराधीन हैं । वे उसी रूप में कार्यान्वित किए जायेंगे अथवा किसी अन्य रूप में या वे बिलकुल नहीं कार्यान्वित किए जायेंगे, यह सरकार के अन्तिम निश्चय पर निर्भर होगा ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में सरसों के तेल का मूल्य बढ़ गया है और क्या माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रश्न में उल्लेख किए गए कारणों के फलस्वरूप ऐसा हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सूचना चाहता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह : योजना आयोग ने कुटीर उद्योगों के द्वारा, मिलों से नहीं, भोज्य तेलों के उत्पादन करने के विषय में जो सिफारिश की थी उसको सरकार कब तक कार्यान्वित करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर किसी भी रूप में नहीं दे सकूंगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्री भोज्य तेलों की और दक्षिण में खाए जाने वाले तेलों तथा उत्तर में खाए जाने वाले तेलों की एक सूची देने की कृपा करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के विचार से देश की लगभग सभी तेल उत्पादक मिलों पर प्रत्येक ८० मन तेल पर सरकार ने एक रुपया उपकर लगा दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि भारत सरकार ने ऐसी कोई चीज़ की है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या 'ईस्टर्न एकोनामिस्ट' में प्रकाशित इस समाचार की कि सरकार ने एक ऐसा उपकर लगाया है, सूचना सरकार को है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा दीखता है कि 'ईस्टर्न एकोनामिस्ट' को मुझ से अधिक मालूम होगा ।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि योजना आयोग की सिफारिश के कार्यान्वित किए जाने में लगने वाले समय के बारे में वह कोई उत्तर देने में असमर्थ है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस सिफारिश को १९५७ तक अथवा १९५७ से पूर्व कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विचार करने में समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को पूरी स्वतंत्रता है कि वे जो भी निष्कर्ष चाहें निकाल सकते हैं ।

पाकिस्तान को कोयला संभरण

*२००. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी हाल के भारत-पाकिस्तान व्यापार करार के अधीन की गई उदार व्यवस्था के बाद से पाकिस्तान द्वारा मांगे गए कोयले की कुल मात्रा ; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि अप्रैल १९५३ के महीने में पाकिस्तान द्वारा मांगा गया ७१,००० टन कोयला समय से नहीं भेजा गया था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मार्च १९५३ में हुई भारत-पाकिस्तान व्यापार वार्ता के बाद से पाकिस्तान की कोयले की मांग निम्नलिखित थी :—

अप्रैल, १९५३	७१,००० टन
मई, १९५३	८१,००० टन
जून, १९५३	६७,१७५ टन

(ख) अप्रैल में वास्तविक संभरण केवल ६१,६२७ टन था । संभरण में कमी का मुख्य कारण यह था कि पाकिस्तान के लगभग १००० माल डिब्बे जो भारतीय रेलों के पास रहने थे, वे २१-४-१९५३ से घट कर लगभग ५०० रह गए थे ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस करार के बाद से पाकिस्तान की कोयले की मांग बढ़ गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : पाकिस्तान के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार मांग निश्चित की जाती है । उनकी अधिकतम मांग ७१,००० टन हो सकती है ; और एक विशेष मामले के तौर पर हम लोग पश्चिम पाकिस्तान को किए जाने वाले निर्यातों में १०,००० टन की वृद्धि करने को तैयार हो गए हैं, यदि पाकिस्तान ऐसा चाहे तो । इसका अर्थ यह हुआ कि साधारणतः

अधिकतम मात्रा ७१,००० टन अथवा खास मामलों में ८१,००० टन प्रति मास है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि समझौते के पूर्व और इसके बाद की मांगों में क्या तुलना है ; क्या व्यापार समझौते के बाद से मांग बढ़ गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस व्यापार समझौते के पूर्व भारत सरकार पाकिस्तान को ९०,००० टन कोयला देने को तैयार हो गई थी । समझौते के बाद वह मात्रा उतनी हो गई जो मैं कह चुका हूं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना है कि भारतीय निर्माताओं के पास से यह शिकायतें आई हैं कि पाकिस्तान को कोयले के संभरण के कारण उन को इस देश में कोयले से वंचित किया जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, श्रीमान् । हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या मैं माननीय मंत्री को यह सूचित कर सकता हूं कि ज़ोरदार शिकायतें हुई हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : उनको उसकी कोई सूचना नहीं है । यदि किसी माननीय सदस्य को सूचना हो तो वह उनको दे दें ।

कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तैल शोधक कारखाना

*२०१. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या उत्पादन मंत्री ९ अप्रैल १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १२५० के भाग (ख) के दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि सर्व श्री कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जाने वाले तैल शोधक कारखाने के पूर्ण रूप से उत्पादन शुरु करने की कब तक आशा की जाती है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): कम्पनी ने प्रस्तावित शोधक कारखाने की इंजीनियरिंग और उसके नक्शे को १ जनवरी १९५५ तक प्रारंभ करने का और ऐसी तिथि के बाद चार से छै महीनों के अन्दर इस शोधक कारखाने का निर्माण प्रारंभ करने तथा उसके बाद यथासंभव शीघ्र उस को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व लिया है ।

श्री के० पी० सिन्हा : उक्त कारखाने की कुल सामर्थ्य कितनी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : कुल सामर्थ्य पाच लाख टन अशुद्ध तेल होगी ।

श्री नानादास : क्या मैं विलम्ब का कारण जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ सका । करार के अनुसार कालटेक्स निर्दिष्ट समय पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे । वे इसे शीघ्र प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री नानादास : इस विषय में अनुसंधान हेतु कितने विदेशी विशेषज्ञ पहले से ही आ गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : अभी तक विदेशी विशेषज्ञ नहीं आये हैं ।

दक्षिण अफ़्रीका सरकार द्वारा भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबन्ध

*२०२. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों पर दक्षिण अफ़्रीका स्थित उनके

जनकों और पतियों से मिलने के विषय में प्रतिबंध लगा दिये हैं ?

(ख) यह प्रतिबंध कब से लगाया गया ?

(ग) क्या यह सच है कि १९५३ में अप्रैल अथवा मई के महीने में कुछ व्यक्तियों को उक्त प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था ?

(घ) यदि यह ठीक है तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (घ)। सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि मई माह में दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा सात हजार व्यक्तियों को दक्षिण अफ्रीका में उतरने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब कि भारतीयों को वहां उतरने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री बूवराघसामी : क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : उक्त देश का कम या अधिक यूरोपीयकरण करने की दृष्टि से यह दक्षिण अफ्रीका सरकार की उद्घोषित नीति है।

सामुदायिक योजनाओं पर अमरीकी राजदूत की टीका

*२०३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक २४ मई, १९५३ को अपने भाषण के दौरान में अमरीकी राजदूत, श्री जार्ज एलन ने बम्बई में कहा था "भारत में सामुदायिक योजनाओं की प्रगति सन्तोषजनक नहीं हुई" ; और

(ख) क्या इस तरह के वक्तव्य के लिये कोई आधार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं।।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सच नहीं है कि २४ मई, को समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि अमरीकी राजदूत ने यह कहा है कि वह भारत में सामुदायिक योजनाओं की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं ?

श्री हाथी : नहीं श्रीमान्, यह सत्य नहीं है। समाचारपत्रों में उनका संवाद सही नहीं छपा है। इसके विपरीत उन्होंने यह कहा था कि वहां कम समय ठहरने के कारण उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। फिर निर्णय देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं है।

श्री रघुरामय्या : अमरीकी राजदूत की सम्मत्ति से अलग, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार सामुदायिक योजनाओं की प्रगति का निर्धारण कर रही है और क्या वह इससे संतुष्ट है।

श्री हाथी : हम उनकी प्रगति का निरन्तर ध्यान रख रहे हैं। उनका काम ठीक चल रहा है।

पेंसिल उद्योग

*२०४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पेंसिलों के विषय में भारत अब पूर्णतया स्वभरित है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने पेंसिलों के आयात के संबंध में उदार नीति अपना ली है;

(ग) क्या सरकार को पेंसिल उद्योग की ओर से सरकारी आयात नीति के विरुद्ध कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है जो कि स्वदेशी उद्योग के लिये अवरोध सिद्ध हुई है ; और

(घ) क्या सरकार अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैं इस प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

(ख) आयात शुल्क दुगना कर देने के पश्चात ही पेंसिलों की आयात नीति कुछ सीमा तक उदार बना दी गई थी ।

(ग) सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) प्रत्येक वस्तु के सम्बंध में आयात नीति पर हर छटे महीने विचार किया जाता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि गत कुछ वर्षों में उद्योग के उत्पादन-सामर्थ्य में पर्याप्त विस्तार हुआ है परन्तु उद्योग का वास्तविक उत्पादन उस के उत्पादन सामर्थ्य से बहुत कम रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् जी, मैं समझता हूं कि यह तो सत्य है किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि उद्योग का उत्पादन सामर्थ्य तथा उत्पादन पर्याप्त है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या उत्पादन की इस कमी का कारण भारत सरकार की आयात नीति को उदार बनाना नहीं था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं । नीति को उदार बनाने के साथ साथ आयात शुल्क में विशेष वृद्धि भी की गई है ।

श्री मात्तन: भारतीय पैन्सिलें विदेशों से आयात की गई पैन्सिलों की तुलना में उत्तमता में कैसी होती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पैन्सिलों का प्रयोग करते हैं और उन्हें उनकी उत्तमता के सम्बन्ध में अनुभव होगा ।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक पैन्सिल बनाने और उन की उत्तमता का सम्बन्ध है भारत के कब तक आत्मनिर्भर होने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भविष्यद्रष्टा के रूप में मेरी शक्ति बहुत सीमित है ।

कुमारी एनी मस्करीन: श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि भारत में पैन्सिलों का किन किन देशों से आयात किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना चाहिये ।

श्री दामोदर मेनन: क्या सरकार ने आयात को उदार बनाने से पूर्व भारतीय पैन्सिल उद्योग के उत्तम पैन्सिलें बनाने के सामर्थ्य पर विचार कर लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सामार्थ्य तो होगा, किन्तु उत्पादन नहीं होता । जिन पैन्सिलों का मूल्य १६ रुपये प्रति ग्रुस से कम होता है उन के आयात की आज्ञा नहीं है और अब ३१ १/४ प्रतिशत के स्थान पर ६६ प्रतिशत शुल्क लिया जाता है । पैन्सिलों की उत्तमता का निश्चय उपभोक्ता कर सकते हैं क्योंकि यदि वे उत्तम पैन्सिलें पसन्द करें तो उनकी किस्म सुधर सकती है ।

कुमारी एनो० मस्करीन: श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहती हूं। मेरे प्रश्न का यह उत्तर दिया गया है कि मंत्री महोदय को यह बतलाने के लिये पूर्व-सूचना चाहिये कि कौन कौन से देशों से पैन्सिलों का आयात किया जाता है। मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय के पास जानकारी है किन्तु वह इसे टाल रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी माननीय मंत्री की सत्यता पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि वह पूर्वसूचना मांगते हैं, तो उन्हें पूर्वसूचना चाहिये ही।

श्री दाभी: मैं जान सकता हूं कि क्या स्वदेशी पैन्सिल उद्योग को कोई सरकारी सहायता दी जा रही है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, पैन्सिल उद्योग एक संरक्षित उद्योग है जिसे कि बहुत देर से संरक्षण प्राप्त है और हम उसे अधिकांशतया सस्ती पैन्सिलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा कर तथा उत्तम पैन्सिलों के आयात पर अधिक ऊंची दर से शुल्क लगा कर सहायता देते हैं।

श्री मुहीउद्दीन: मैं जान सकता हूं कि सरकार पैन्सिलों की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का तुरन्त उत्तर न दे सकूंगा। मुझे सूचना चाहिये।

हाइड्रो-क्विनीन के कारखाने

*२०५. **श्री एम० आर० कृष्ण:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाइड्रो-क्विनीन का उत्पादन करने वाले कितने कारखाने बन्द कर दिये गये हैं?

(ख) इस उद्योग को क्या संरक्षण मिला हुआ है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) सम्भवत: माननीय सदस्य हाइड्रो-क्विनीन का उत्पादन करने वाले कारखानों की ओर निर्देश कर रहे हैं। हाइड्रो-क्विनीन का उत्पादन करने वाले दो कारखानों में से एक कारखाना अस्थायी रूप से फरवरी से अगस्त, १९५२ तक तथा दिसम्बर, १९५२ से मार्च, १९५३ तक बन्द हो गया था। अब दोनों कारखाने चल रहे हैं।

(ख) हाइड्रो-क्विनीन के आयात पर वरीयता सम्बन्धी २७·३ प्रतिशत और मान दण्ड सम्बन्धी ३७·८ प्रतिशत संरक्षण शुल्क लिये जाते हैं।

श्री एम० आर० कृष्ण: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि प्रशुल्क आयोग के घरेलू मांग के सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक अनुमान लगा लेने के कारण इन कारखानों को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह हाइड्रो-क्विनीन किस काम आती है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हाइड्रो-क्विनीन फोटो-चित्र सम्बन्धी सामग्री के तैयार करने में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हाथ करघा के लिये धोती और साड़ी बनाने का रक्षण

*१९५. **श्री गिडवानी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री के उस भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने अपने सलेम जिले में भिचन्गोड में जुलाहों की बस्ती का उद्घाटन करते समय दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि मिल के कपड़े पर कर लगाने से जुलाहों को कोई राहत नहीं मिलेगी यदि उन्हें राहत पहुंचानी है तो किनारी वाली धोतियों या रंगीन साड़ियों का बनाना केवल उन्हीं के लिये रक्षित रहना चाहिए ।

(ख) क्या सरकार मद्रास के मुख्य मंत्री के सुझाव के अनुसार धोतियों तथा साड़ियों का उत्पादन केवल हाथ करघों के लिये रक्षित करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) इनके रक्षित करने का प्रश्न तथा सम्बन्धित प्रश्नों पर कपड़ा जांच समिति विचार कर रही है ।

हैदराबाद को आर्थिक सहायता

*१९८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सरकार ने उन पीड़ित व्यक्तियों की सामाजिक सहायता के लिए जिन्हें पुलिस कार्यवाही के समय तथा उसके पश्चात् यातानाएं उठानी पड़ी हैं, कोई आर्थिक सहायता मांगी है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि की आर्थिक सहायता दी है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष १९५३-५४ में ५ लाख रूपया इसके लिए मंजूर किया गया है ।

हैदराबाद राज्य में विस्थापित परिवार

*१९९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री १२ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०४४ के दिये गये उत्तर के निर्देश से यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विस्थापित व्यक्तियों के परिवार हैदराबाद को गये हैं तथा वहां जाकर बस गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : नहीं । विस्थापित व्यक्तियों ने कुछ मांगें रखी हैं जो हैदराबाद राज्य सरकार को विचारार्थ भेज दी गई हैं ।

अदन की तैल शोधक यन्त्र योजना

*२०६. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अदन की तैल शोधक यंत्र योजना के ३६२ भारतीय कर्मचारियों ने १ जून १९५३ से भूख हड़ताल की थी ?

(ख) इस योजना के अन्तर्गत नियोजित भारतीय कर्मचारियों को जिन परिस्थितियों में तथा कारणों से यह भूख हड़ताल करनी पड़ी क्या भारत सरकार ने उनके सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

(ग) यदि की है तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) । जी हां, श्रीमान् ।

(ग) भारतीय कर्मचारियों को, रहन-सहन की असंतोषजनक दशा, रद्दी खाना, भोजनालय अधीक्षक आदि के बर्ताव के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं। कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा प्रबन्धकों में इस विषय म विचार विनिमय हुआ । तथा प्रबन्धकों

के इस आश्वासन पर कि उचित शिकायतें दूर की जायेंगी ३ जून को यह भूख हड़ताल तोड़ दी गई ।

(घ) जैसे ही इस भूख हड़ताल की जानकारी मिली वैसे ही इस योजना के लिए प्रवजन स्थगित कर दिया गया तथा आवश्यक जांच की गयी । आवश्यक सुधार करने के लिए प्रबन्धकों से आश्वासन मिलने पर प्रवजन की आज्ञा फिर से दे दी गई है । आगे की कार्यवाही पर निगाह रखी जा रही है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार के सम्बन्ध में संयुक्त-राष्ट्र सद्भावना आयोग

*२०७. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के ५ दिसम्बर १९५२ के प्रस्ताव के अधीन बनाये गये संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना आयोग को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है ?

(ख) अब तक दक्षिण अफ्रीका की सरकार संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को कितनी बार अस्वीकार कर चुकी है ?

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने राज्याभिषेक के लिये अपने ब्रिटन के दौरे में इनमें से सी भी विषय पर डाक्टर मलान के साथ बातचीत की थी ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रश्न पहली बार १९४६ में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में उठाया गया था । कुल मिला कर पांच प्रस्ताव इस विषय पर उस के विभिन्न अधिवेशनों में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अब तक पारित हुए हैं । ये सभी प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा अमान्य हो चुके हैं ।

(ग) नहीं ।

कोयला धुलाई समिति

*२०८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोयला धुलाई समिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है; और

(ख) और यदि भेज दिया है तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

*२०९. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों ने अभी तक औद्योगिक गृह-निर्माण की योजना को प्रारम्भ नहीं किया है ?

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

(ग) आज तक कितने औद्योगिक गृह बनाये गये हैं (राज्यानुसार) ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ग) । मांगी गई सूचना देने वाले दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६**]

(ख) अभी तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा खास कठिनाइयां हमारी जानकारी में नहीं लाई गई हैं ।

सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिये पदाधिकारियों का चुनाव

*२१०. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी उर्वरक तथा रसायनिक लि० के कारखाने तथा संस्थापन में उच्च प्रशासन सम्बन्धी तथा प्रावैधिक पदों के लिये पदाधिकारियों के संवरण का तरीका क्या है ?

(ख) क्या इन स्थानों पर पदाधिकारियों के चुनाव और उन की नियुक्ति के लिये कोई संवरण मंडल है, अथवा सिंदरी उर्वरक तथा रसायनिक लि० के संचालक मंडल, अथवा उन की ओर से किसी व्यक्ति को यह अधिकार दे दिये गये हैं कि वह इन नियुक्तियों के बारे में अन्तिम निर्णय दे ।

(ग) इन पदों के चुनाव के लिये तथा प्रार्थियों की योग्यता एवं अयोग्यता की जांच आदि करने के लिये क्या कोई नियम हैं ?

(घ) निम्न भाग (ङ) में उल्लिखित पदों के वर्तमान पदाधिकारियों का चुनाव किस ढंग से किया गया है ?

(ङ) निम्न पदों के वर्तमान पदाधिकारियों की राष्ट्रीयता उन का सम्पूर्ण वेतन, तथा अन्य नकद उपलब्धियां क्या हैं ?

(१) देख रेख अधीक्षक ।

(२) बिजली घर अधीक्षक ।

(३) महा अधीक्षक ।

(४) यंत्र विशेषज्ञ ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख) सिंदरी उर्वरक कारखाने में कारखाने के नियम के अनुसार उच्च प्रशासन तथा प्रावैधिक पदों के विषय में पहले समस्त भारत में विज्ञापन किया जाता है । आवेदन पत्रों के आने पर इन की उचित जांच विभागीय जांच समिति द्वारा की जाती है । और जिन आवेदकों को प्रत्यक्षतः इन्टरव्यू के लिये उपयुक्त समझा जाता है उन्हें उस के लिये बुलाया जाता है । प्रबन्ध संचालक के अतिरिक्त जो कि चुनाव समिति का सभापति होता है, सम्बन्धित विभाग के प्रधान अधिकारी तथा उस का उपाधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं । आम तोर से उच्च पदाधिकारियों के चुनाव में एक या दो बाहर के व्यक्तियों को बुला लिया जाता है । प्रबन्ध संचालक को यह अधिकार है कि वह विभागीय चुनाव समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर ले तथा उस पद पर अन्तिम रूप से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दे किन्तु उस का वेतन क्रम एक हजार रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होना चाहिये । किन्तु जहां वेतन क्रम एक हजार रुपये से अधिक होता है वहां विभागीय चुनाव समिति की सिफारिशें तथा प्रबन्ध संचालक की सिफारिशें संचालक मंडल में रखी जाती हैं ताकि उन सिफारिशों के आधार पर वहां अन्तिम निर्णय किया जा सके । किन्तु दो हजार या अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से की जाती है ।

(ग) ये विभागीय चुनाव समितियां विशेष रूप से किसी पद के लिये उचित प्रार्थी की सिफारिश करते समय निम्न बातों का ध्यान रखती है :—

(१) अवस्था साधारण हाव भाव और व्यक्तित्व नेतृत्व का गुण, विशेषतायें तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण करने की योग्यता

(२) उस पद के लिये शिक्षा सम्बन्धी योग्यता, तथा प्रावैधिक शिक्षा योग्यता,

(३) वास्तविक अनुभव,

(घ) तथा (ङ) जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]

बग्गे पंचाट को कार्यान्वित करना

*२११. **श्री टी० के० चौधरी :** (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों पर बग्गे पंचाट की अभिपूर्ति की स्थिति क्या है ?

(ख) इस पंचाट को कार्यान्वित करने के लिये अंतिम तिथि कौन रखी गई थी ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान सरकार ने हमारी सरकार को यह सूचना दे दी है कि कुछ अन्तर्जात वास्तविक कठिनाइयों के कारण वह इस पंचाट को कार्यान्वित करने में असमर्थ है ?

(घ) इस न्यायाधिकरण को भेजे गये उन सभी झगड़ों सम्बन्धी मामलों में क्य पाकिस्तान से सीमा सम्बन्धी मामले के निर्णय में अभी तक कोई प्रगति हुई है, यदि हुई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (घ) बग्गेन्यायाधिकरण के सम्मुख विवाद संख्या १ की सम्बन्धित सीमा की हवाई जांच, तथा मुरशिदाबाद (पश्चिमी बंगाल) और राजशाही (पूर्व बंगाल) क्षेत्र के बीच गंगा की जल सम्बन्धी जांच पूरी हो गई है । विवाद संख्या २ में माथाभंगा की निकासी का मामला भी संयुक्त रूप से तै हो गया है । विवाद संख्या ३ में यद्यपि सीमा अलग अलग करने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है (बरलेखा थाना तथा पाथरिया पहाड़ी के रक्षित जंगलात के पाथरकंडी के बीच साधारण सीमा); और विवाद संख्या ४ (मुशियारा नदी के प्रवाह) में बग्गे पंचाट के अनुसार सीमांकन के आधार पर पाकिस्तान और भारत में मतभेद होने के कारण इस के बारे में कुछ तय नहीं हो सका है ।

(ख) केवल विवाद संख्या १ में न्यायाधिकरण न पंचाट को कार्यान्वित करने के लिये केवल एक वर्ष की अवधि रखी है । यह अवधि समय समय पर बढ़ा दी गई है ।

(ग) नहीं ।

मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त पुरजे

*२१२. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार न मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त पुर्जों का उचित वितरण विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं में करने के लिय कोई पग उठाया है ?

(ख) क्या सरकार का इन संस्थाओं की समय समय पर देख रेख तथा जांच करने का विचार भी है, ताकि ये संस्थायें इन पुर्जों को चोर बाजारी से न बेंचें ?

(ग) क्या सरकार भारत वर्ष में पूरी कार बनाने के लिये भी कोई निश्चित तिथि रखने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य तथा वितरण पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

मोटर गाड़ी निर्माता फ़र्म

*२१३. **श्री नानादास :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि उन पांच औद्योगिक संस्थाओं में जिन्हें मोटर गाड़ी बनाने की मान्यता दी गई है उन संस्थाओं के प्रबन्धक प्रावैधिक, तथा अधीक्षक कर्मचारियों में कितने प्रतिशत कर्मचारी विदेशी हैं :

(ख) क्या सरकार न भारतीय प्रशिक्षकों की प्रशिक्षा समाप्त होने तथा कारखानों की देखभाल करने के लिय कोई समय की अवधि निश्चित कर दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि इन पांच संस्थाओं में से दो संस्थाओं में तो कोई भी गैर भारतीय कर्मचारी नहीं है। अन्य तीन संस्थाओं में एक हजार से कम वेतन वाले सभी कर्मचारी भारतीय हैं। इन संस्थानों में एक हजार से अधिक वेतन पाने वाले सभी पदों जैसे प्रबन्धक तथा प्राविधिक आदि पदों पर ६१ प्रतिशत गैर भारतीय कर्मचारी काय करते हैं।

(ख) नहीं श्रीमान्, इस समय इस के लिये सरकार कोई अवधि सीमा निश्चित करना नहीं चाहती तथा विदेशी प्राविधिक कर्मचारियों की संख्या में कुछ समय के लिये और भी वृद्धि हो सकती है ता कि ये भारतीय संस्थान उन के निर्माण में सही और सच्ची उन्नति कर ले।

सूती कपड़ा जांच समिति

*२१४. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सूती कपड़ा जांच समिति श्रमिकों की दशा के सम्बन्ध में भी जांच कर रही है ?

(ख) क्या जांच के दौरान में मजदूर संघ की भी गवाही ली गई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां। और विशेष रूप से उन श्रमिकों के बारे में जो हाथ करघा तथा विद्युत करघा वाले क्षत्रों में कार्य करते हैं।

(ख) मजदूर संघ के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर, जो वह उपस्थित करे, यह समिति विचार करेगी।

जापान से पेंसिलों का आयात

*२१५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान बम्बई के अंग्रेजी के साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित उस सूचना की ओर आकर्षित किया गया है जिस में कहा है कि वाणिज्य मंत्री ने मद्रास के एक समाचार पत्र के प्रमुख मास्विक को जापानी पेंसिलों को अनुज्ञा देते समय अपने अधिकारों का सीमोलंघन किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या मद्रास बन्दरगाह अधिकारियों ने सामान हटाने की अनुज्ञा पर इसलिय इन्कार कर दिया था कि ये पेंसिलें आयात की सामग्री नहीं है ?

(ग) क्या ये भी उक्त माल में सम्मलित थे ?

(घ) उस माल का कुल मूल्य कितना था ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री डी० पी० करमरकर) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) से (घ) यं प्रश्न नहीं उठते।

तुंग भद्रा परियोजना के लिए संगठन

*२१६. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र तथा मद्रास, मैसूर और हैदराबाद के राज्यों के सिंचाई सम्बन्धी अधिकारियों का एक सम्मेलन, तुंगभद्रा परियोजना को लागू करने तथा उसे बनाये रखने के लिये संगठन का रूप क्या हो—इस बात पर विचार करने के लिये दिल्ली में हुआ था ?

(ख) इस सम्मेलन के विनिश्चय क्या हैं ?

(ग) क्या सम्मेलन में मैसूर के प्रतिनिधि ने तुंगभद्रा की ऊंची तल की नहर के निर्माण का विरोध किया था ?

(घ) यदि हां तो उस प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी): (क) इस सम्बन्ध में दो सम्मेलन हुए थ, एक २८ और २९ मई, १९५३ को और दूसरा ९ जुलाई, १९५३ को ।

(ख) इन सम्मेलनों में जो निर्णय किये गये थे, उन में से प्रत्येक की एक एक प्रति सदन पटलपर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८**]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में अधिगृहीत भवन

*२१७. **श्री के० सुब्रह्मण्यम :** (क) **क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सरकार द्वारा अभी तक अधिगृहीत भवनों की संख्या कितनी है ?

(ख) उन में से कितने इस समय खाली पड़े हैं ?

(ग) इन भवनों को अधिगृहण से मुक्त करने की साधारण प्रक्रिया क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नई दिल्ली तथा दिल्ली में सरकार द्वारा अभी तक अधिगृहीत भवनों की संख्या ४०२ है ।

(ख) अधिगृहीत भवनों को खाली नहीं रहने दिया जाता सिवाए थोड़े थोड़े समय के लिये जब कि उन का प्रयोग करने वाले बदलते हैं ।

(ग) ऐसे मकानों के प्रश्न पर उन के मालिकों की प्रार्थना पर या वैसे, समय समय पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले के गुण दोषों को देख कर निर्णय किया जाता है ।

कलकत्ते के पास मार्गस्थ शिविर

*२१८. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **क्या पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९५३ को कलकत्ते के पास चार मार्गस्थ शिविरों में पृथक पृथक कितने लोग थे ?

(ख) उन में से कितने जनवरी, १९५३ से सियालदह के स्वागत केन्द्र में से हो कर आये ?

(ग) उन में से कितने संरक्षक-विहीन महिलाओं के परिवारों में से हैं ?

(घ) वे किस कैम्प में हैं ?

(ङ) पहले कुछ महीनों में इन चार कैम्पों में आने वालों तथा वहां से जाने वालों का क्या अनुपात है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क)

कोसीपुर	२७८६	व्यक्ति
रिलायेंस	२५३६	,,
घुशुरी	४३८०	,,
बाबूघाट	३०२	,,
कुल जोड़	१०,००४	,,

(ख)

कोसीपुर	१२९	व्यक्ति
रिलायेंस	८४८	,,
घुशुरी	४६८	,,
बाबूघाट	८६	,,
कुल जोड़	१५,३१	,,

(ग) ३०२ व्यक्ति

(घ) बाबूघाट मार्गस्थ कम्प

(ङ) ६० प्रतिशत आने वाले

लिजबन में भारतीय राज दूतावास का बन्द होना

*२१९. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इस बात के विरुद्ध विरोध स्वरूप कि पुर्तगाल सरकार ने भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों के बारे में बात चीत करने से भी इन्कार कर दिया है, लिज़बन में अपना राजदूतावास बन्द कर दिया है ?

(ख) भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में सरकार का और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां । राजदूतावास ११ जून १९५३ को बन्द कर दिया गया था ।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

रूस में राजदूतावास

*२२०. **श्री पी० सी० बोस :** (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रूसी सरकार ने रूस में हमारे राजदूत तथा राजदूतावास के कर्मचारियों के आने जाने पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया था, वह अभी तक जारी है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) पहले जो प्रतिबन्ध लगे हुए थे, पिछले जून से उन में से कुछ ढीले कर दिये गये हैं और विदेशी अब रूस के बहुत बड़े क्षेत्रों में आ जा सकते हैं । परन्तु बहुत से प्रतिबन्ध अभी तक लगे हुए हैं ।

(ख) सरकार का कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

कोयले का निर्यात

*२२१. **श्री जेठालाल जोशी :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय कोयले के निर्यात पर से अधिभार हटा दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस से समुद्र पार देशों में हमारे कोयले की मांग बढ़ गई है ?

(ग) अप्रैल, मई और जन १९५३ में कितने टन कोयला बाहर भेजा गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां । सरकार ने कोयले के निर्यात पर अतिरिक्त (वाणिज्यिक) भार हटा दिया है ।

(ख) अभी तक तो समुद्र पार देशों में हमारे कोयले की मांग नहीं बढ़ी । यह मांग और भी कई बातों पर निर्भर है ।

(ग) पाकिस्तान को छोड़ कर दूसरे देशों को अप्रैल, मई और जून १९५३ में क्रमानुसार ९५,६४० टन, १,४५,७९७ टन और १,०६,८९५ टन कोयला भेजा गया । इसी कालावधि में पाकिस्तान को कोयले का निम्नलिखित निर्यात किया गया :

अप्रैल	६१,६२७ टन
मई	७९,२०० ,,
जून	६२,५०० ,,

(लगभग)

मूंगफली और गन्ने की खोई से गत्ता बनाना

*२२२. **श्री के० जी० देशमुख :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मूंगफली और गन्ने की खोई से गत्ता बनाने का प्रयोग सफल रहा था ?

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त प्रयोग के आधार पर गत्ता बनाने का कोई कारखाना खोला है या खोलना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) गन्ने की खोई से तो गत्ता बनाया ही जाता है। परन्तु सरकार को इस देश में, मूंगफली की खोई से गत्ता बनाने के लिये किये गये किसी सफल प्रयोग का पता नहीं है ।

(ख) जी नहीं

बिहार में करघा उद्योग

*२२३. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय करघा बोर्ड ने बिहार के करघा उद्योग को कहां तक और किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : बिहार सरकार से उस राज्य में करघा उद्योग के विकास की एक योजना बना कर भेजने को कहा गया है जिस पर मिल के कपड़े पर लगे उपकर की आय में से खर्च किया जायगा। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अमरीकी राजदूत का भाषण

*२२४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में अमरीका के वर्तमान राजदूत द्वारा अपने पद के परिचय पत्र राष्ट्रपति को पेश करने के अवसर पर दिये गये भाषण की एक अग्रिम प्रति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपबन्धों के अनुसार वैदेशिक कार्य मंत्रालय को दी गई थी ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी, हां। भारत में अमरीका के राजदूत द्वारा अपने पद के परिचय पत्र पेश करने के अवसर पर दिये गये भाषण की एक अग्रिम प्रति वैदेशिक कार्य मंत्रालय को दे दी गई थी ।

पहाड़ी नमक

*२२५. **श्रीमती कमलेन्दु मती शाह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित टिहरी गढ़वाल जिले में पहाड़ी नमक निकालने की कोई संभावना है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्य कर रही है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ वर्ष पहले तिब्बत तथा टिहरी गढ़वाल के लोगों के बीच पहाड़ी नमक का व्यापार होता था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

बान्ध निर्माण में प्रशिक्षा

*२२६. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री ३ मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रूपांकन तथा बांधों एवं पुलों के निर्माण में इंजीनियरों को ऊंची प्रशिक्षा देने की योजना पूरी की जा चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना के महत्वपूर्ण अंग क्या हैं ?

(ग) इस पर आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय क्या होंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रीमान अभी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भवन-निर्माण

*२२७. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण** मंत्री

१७ फरवरी, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भवन निर्माण की विशारद समिति की रिपोर्ट पर कोई विचार किया गया है और सरकार द्वारा उस पर कोई निश्चय हुआ है ?

(ख) इस समति द्वारा की गई महत्व-पूर्ण सिफारिशों में से कौन कौन सी सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकीं हैं ?

(ग) उन स्वीकृत सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया जा चुका है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उक्त समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है और इस समिति की कई सिफारिशों पर निश्चय भी किये जा चुके हैं ।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्था से सम्बन्धित सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है। निर्माण की अगाऊ योजना और आय व्ययक अनुदान की अगाऊ व्यवस्था, सामग्री के प्रकारों का प्रमापीकरण, आवास तथा निर्माण के प्रमाप, स्थापत्य एवं निर्माण से सम्बन्धित नमूनों द्वारा मितव्ययिता तथा ठेकेदारों को क्षिप्र अदायगी से सम्बन्धित कमेटी की सिफारिशों की भी प्रायः सरकार को स्वीकार्य हैं ।

वस्त्र उद्योग कार्यपन्न पार्टी

*२२९. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलान की कृपागे करें कि :

(क) वस्त्र उद्योग सम्बन्धी कार्यपिन्न पार्टी की क्या सिफारिशे हैं ;

(ख) उन में से कितनी एक सरकार द्वारा स्वीकृत हुई हैं ;

(ग) अन्य सिफारिशों के अस्वीकृत होन के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार के प्रकार-नियंत्रण के विषय में इस उद्योग को परामर्श दिलाने के लिये कोई निरीक्षकालय स्थापित किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उक्त रिपोर्ट के अध्याय १५ में ये सभी बातें दी गई हैं ; और उस की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी गई हैं ।

(ख) तथा (ग) उक्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

संसद् सदस्यों के लिए फ़्लैट

*२३०. **श्री आर० एन० सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संसद् सदस्यों के फ्लेट जो पहले के बने हैं तथा जो अब नये बनाये जा रहे हैं उन की लागत में कितने रुपये का अन्तर है ?

(ख) उन नये बने फ्लैटों में जो सुव्यवस्था के हेतु सामान दिये गये हैं वे पहले बने फ्लेट में दिये गये सामानों से कम कीमत के हैं कि अधिक ?

(ग) यदि अधिक या कम हैं तो कितना ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९**]

(ख) पुराने फ्लैटों में रखे गये मेज़-कुर्सी, आदि उपकरण की सी कई चीज़ें नये फ्लेटों में नहीं रखी गई, जिस के परिणाम-स्वरूप लागत में कमी हुई। किन्तु पहली मंज़िल में 'बी' प्रकार विशष के फ्लैटों के साथ आंगन की सुविधा दी गई है और 'बी' तथा 'सी' कार विशेष के फ्लेटों के बरामदों को और एक फुट चौड़ा किया गया है ।

पाकिस्तान को खाद का संभरण

*२३१. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सिंदरी से पाकिस्तान को पन्द्रह हजार टन खाद भेजा गया है ;

(ख) इस खाद का मूल्य ; तथा

(ग) विनिमय की शर्तें ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिंदरी से पूर्वी पाकिस्तान को १५,००० टन अमोनियम सल्फेट भेजने की व्यवस्था की जा चुकी है। इस मास के प्रारम्भ से ही भजने का काय शुरू हुआ है ।

(ख) सिंदरी से रेल भाड़ा सहित ३२५ रु० प्रति टन ।

(ग) भारत पाकिस्तान सीमा तक पहुंचने के रेल भाड़े तथा कृषिसार मूल्य को पूरा करने वाला एक अपरिवर्तनीय साख-पत्र पाकिस्तान सरकार द्वारा कलकत्ता के एक बैंक में खोला गया है । यही बक पाकिस्तान सरकार के उस प्रतिनिधि द्वारा जो इस योजन के लिये सिंदरी में स्थानापन्न है, प्रमाणित किये गये रेल रसीदों और बीजकों को देख कर वास्तविक खेपों को अदायगी करता रहेगा ।

बेकार भारतीय

*२३२. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** (क) **प्रधान मंत्री** जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सिंगापुर तथा पेनांग में हजारों बेकार भारतीय हैं ?

(ख) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि बोर्न्यो के कई मार्थ भारतीय कामकरों को काम देने के लिये तैयार है ?

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) रबड़ मूल्यों म गिरावट के कारण कभी कभी किसी अवधि के लिय अस्थायी बेकारी रही है ।

(ख) तथा (ग) सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं कि बोर्न्यो के सार्थ इस तरह की बात करने को तैयार है ।

प्रशासकीय लेखापरीक्षा

*२३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की पद्धति पर ही आगामी वित्त वर्ष से लेखा परीक्षा शुरू करवाने का निश्चय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के व्यय की प्रविधिक जांच कराने के लिये एक स्वतंत्र निरीक्षण अभिकरण के संस्थापन की व्यवस्था की गई है ?

(ग) प्रधान टैक्नीकल परीक्षक और प्रधान निर्माण-परिमापक कब से काम आरम्भ करने वाले हैं ।

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान । मैं चालू वित्त वर्ष में भी यह पद्धति चलाने की आशा करता हूं ।

(ख) अभी नहीं, क्योंकि इस सारे ढांचे के विस्तार का हिसाब लगाया जा रहा है ।

(ग) मैं अभी कोई ठीक दिनांक नहीं बता सकता, किन्तु लगभग तीन महीनों में इस प्रश्न पर निर्णय किया जा सकेगा ।

आसाम में स्थित चाय बगीचे

*२३६. **श्री बेली राम दास :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में आसाम में कितन चाय बगीचों को बन्द किया गया ?

(ख) इन बन्द किये गये बगीचों में से कितने पुनः खोले गये हैं ?

(ग) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से कितने बगीचों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :

(क) ८३,

(ख) ७३,

(ग) किसी को नहीं ।

कच्चा रेशम (आयात)

*२३७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि :

(क) जनवरी १९५३ से आज तक भिन्न भिन्न देशों से कुल कितना कच्चा रेशम भारत में आयात किया गया; और

(ख) क्या इस प्रकार के आयातों में कमी किय जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जनवरी से मई, १९५३ तक कुल ५८,३४६ पौण्ड कच्चे रेशम का आयात हुआ था ।

(ख) कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

चलते-फिरते ध्वनि-बर्द्धक यंत्र

*२३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों में नभोवाणी के केन्द्र नहीं हैं वहां के कलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों के संगीत को ध्वनि-बर्द्ध करने के लिये सरकार ने चलते फिरते ध्वनि-बद्धर्क यन्त्रों की जो योजना तैयार की है वह कब से प्रचलित हो रही है ?

(ख) यदि प्रचलित हो चुकी है, तो अब तक ऐसे कितने चलते फिरते यंत्र कार्य में जुटाये जा चुके हैं और वे कहां कहां कार्य कर रहे हैं ?

(ग) योजना के अन्तर्गत कुल कितने ऐसे यंत्र प्रति वर्ष चलाये जायेंगे ?

(घ) प्रति चलते फिरते यंत्र के संचालन में कितना आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय होता है जब कि चालकों और अन्य कर्मचारियों आदि का सालाना व्यय भी इस में शामिल कर लिया जाय ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (घ). एसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । वहनीय ध्वनि-बद्धक यंत्र आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो) के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों में प्रायः होते हैं ।

गोआ को शस्त्र भेजना

*२३९. **श्री रघवय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पुर्तगाल गोआ को सभी प्रकार के शस्त्र भेज रहा है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : भारत सरकार को, समय समय पर समाचार प्राप्त हुए हैं कि कुछ सैनिक सामग्री गोआ पहुंची है ।

भारतीय राज्य-क्षेत्र तथा भारत-स्थित फ्रांसीसी बस्ती के बीच यात्रा

*२४०. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय राज्य क्षेत्र तथा भारत-स्थित फ्रांसीसी बस्ती के बीच यात्रा को नियमित करने के लिये अनुज्ञा व्यवस्था जारी करने

के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय हो चुका है ?

(ख) इस पार-पत्र व्यवस्था को जारी करने का उद्देश्य क्या है ?

(ग) क्या इस अनुज्ञा व्यवस्था पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करार होगा।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) भारत सरकार भारतीय राज्य क्षेत्र एवं भारत-स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के बीच यात्रा को नियमित करने के लिये अनुज्ञा-व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस उपाय का उद्देश्य है तस्कर व्यापार पर रोक लगाना, जो भारत-फ्रांसीसी सीमा पर एक बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस उद्देश्य से किसी भी द्विपक्षीय करार पर निर्णय करने का कोई प्रश्न नहीं है।

चीन को भारतीय कलाकार मण्ल

*२४१. { **श्री बीरबल सिंह** : **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत से चीन को ३० कलाकारों का एक दल श्री शचिन सेन गुप्त के नेतृत्व में गया है; तथा

(ख) क्या सरकार ने इस दल को को कुछ आर्थिक सहायता दी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सरकार समझती है कि ऐसा कलाकार मण्डल चीन को गया है। इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर न तो सरकार से प्रामर्श ही किया गया था और न अवगत कराया गया।

(ख) नहीं।

राजनयिक विमुक्तियां

१११. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** उन भारत स्थित २१८ अमरीकनों के पदनाम तथा भारत में उन के ठहरने के स्थान बताने की कृपा करेंगे जिन को राजनयिक विमुक्तियां प्राप्त हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वर्तमान जानकारी के अनुसार उन अमरीकी नागरिकों की संख्या, जिन को राजनियक विमुक्तियां प्राप्त हैं, १९१ है, उन के परिवारों को छोड़ कर जिन के सम्बन्ध में सही-सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे सभी नई दिल्ली में ठहरे हुए हैं तथा निम्न श्रेणियों में आते हैं :—

(१) अमरीकी राजदूत तथा नई दिल्ली में अमरीकी राजदूतावास के अन्य पदाधिकारी ६०

(२) नई दिल्ली में अमरीकी राजदूतावास के कर्मचारीवर्ग के अ-राजनयिक सदस्य ९१

(३) नई दिल्ली में अमरीकी राजदूतावास के कर्मचारियों में सम्मलित अमरीकी प्रविधिक सहयोग प्रशासन के अधिकारी . . . ४०

नारियल की बटी हुई चटाइयां

११२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उद्योग-व्यापार पत्रिका (जून १९५३) के पृष्ठ ७४७ की अन्तिम से पहले की कंडिका के निर्देश से यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वह आधार जिस पर उस कंडिका में दिये गये निष्कर्ष निकाले गये हैं;

(ख) क्या भारत सराकार ने वे मूल्य पता लगा लिये हैं जिन पर विदेशों के निर्माताओं को चटाइयां बनाने के लिये (१) भारत से तथा (२) अन्य देशों से नारियल की जटायें उपलब्ध होती हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने पता लगा लिया है कि चटाइयों की निर्माण लागत अन्य देशों की अपेक्षा में भारत में कितनी है ;

(घ) यदि ऐसा है, तो उन में किस प्रकार तथा कितना अन्तर है; तथा

(ङ) क्या नारियल की जटाओं के मूल्य तथा बनाने की लागत दोनों ही विदेशों में भारत से अधिक हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) विदेशों में भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों के नारियल की चटाइयों के विक्रय सम्बन्धी प्रतिवेदन पर यह निष्कर्ष आधारित है ।

(ख) हां श्रीमान् ।

(ग) और (घ) विदेशों में चटाइयों के बनाने की सही सही लागत उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि कच्चे मालों का मूल्य (नारियल की जटा), जो निर्मित लागत का बहुत बड़ा अंश है, भारत की अपेक्षा अन्य विदेशों में अधिक होगी ।

(ङ) हां, श्रीमान् ।

सूती धागा और कपड़ा बनाने के उद्योगो में विनियोग

११३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में सूती धागा और सूती कपड़ा बनाने की उद्योगों में अब तक लगाई गई कुल पूंजी;

(ख) वर्ष १९४७-४८ से १९५२-५३ तक इन दोनों उद्योगों में सेवायुक्त मजदूरों की संख्या ;

(ग) उपर्युक्त कालावधि के लिये इन दोनों उद्योगों में से प्रत्येक में दी गई मजूरी की कुल राशियां;

(घ) उपर्युक्त कालावधि में इन दो उद्योगों का उत्पादन ; तथा

(ङ) उसी कालावधि में उन उद्योगों को प्राप्त वार्षिक लाभ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०**]

जूट निर्माण उद्योग में विनियोग

११०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जूट निर्माण उद्योग में अब तक लगाई गई कुल पूंजी ;

(ख) वर्ष १९४७-४८ से १९५२-५३ तक के लिये उद्योग में दी गई मजूरी की कुछ राशि ;

(ग) ऊपर दिये हुए वर्षों में उद्योग में सेवायुक्त मजदूरों की संख्या ;

(घ) ऊपर दिये हुए वर्षो में प्राप्त कुल लाभ;

(ङ) उपर्युक्त कालावधि में जूट के उत्पादन का योग मूल्य; तथा

(च) प्रबन्धक ऐजेन्सी फर्मों द्वारा प्रबन्धित कारखानों में तैयार की गई जूट का योग मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य क 'कुल पूंजी' से क्या आशय है यह पूर्ण स्पष्ट नहीं है। औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण उद्योगों की गणना द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार उद्योग ने ३१ दिसम्बर १९५० को समस्त सम्पत्ति ३०.०३ करोड़ रुपये तथा सक्रिय पूंजी ३९.११ करोड़ रुपये निश्चित की थी भारत में जूट कम्पनियों की कार्य में लगी कुल परिदत्त पूंजी वर्ष १९५०-५१ में, संयुक्त स्टाक कम्पनी के निबन्धक द्वारा भेजे गये आय-विवरण के अनुसार, २७.१७ करोड़ रुपये थी ।

(ख), (ग), (ङ) तथा (च). एक विवरण वांछित सूचना सहित सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१**]

(घ) सम्पूर्ण उद्योग के विषय में सही आकड़ उपलब्ध नहीं हैं।

लोहा तथा इस्पात उद्योग में पूंजी

११५. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में लोहा तथा इस्पात उद्योग में-अब तक विनियोजित पूंजी;

(ख) उस में के हिस्से (१) मेसर्स टाटा तथा (२) विदेशी विनियोजकों के;

(ग) इस उद्योग में सेवायुक्त मजदूरों की संख्या;

(घ) वर्ष १९४७-४८ से १९५२-५३ तक के कुल मजदूरी बिल, तथा

(ङ) उपर्युक्त कालावधि में उद्योग को प्राप्त कुल वार्षिक लाभ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) दो मुख्य उत्पादकों जैसे, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के द्वारा १९.०१ करोड़।

(ख) (१) १०.४७ करोड़; (२) १८ करोड़ रुपये।

(ग) १९५१ में ७८,६९७

(घ) १९४७ ६.४१ करोड़ रुपये
१९४८ ७.४१ " "
१९४९ ८.२८ " "
१९५० ९.२७ " "
१९५१-५३ (सूचना उपलब्ध नहीं है)

(ङ) दी टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० तथा दी इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कं०; नामक दो प्रमुख उत्पादकों के वार्षिक शुद्ध लाभ, घिसाई तथा कर को छोड़ कर ये हैं :

	रुपये करोड़ों में
१९४७-४८	१.७४
१९४८-४९	२.१३
१९४९-५०	२.४१
१९५०-५१	३.१८
१९५१-५२	३.४४
१९५२-५३	उपलब्ध नहीं हैं

डीज़ेल इजन निर्माण उद्योग में विनियोग

११६. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में, अभी तक, डीज़ेल इंजन निर्माण उद्योग में, विनियोजित की गई समग्र पूंजी ;

(ख) १९४७-४८ से १९५२-५३ तक इस उद्योग में सेवायोजित किये गये व्यक्तियों की संख्या ;

(ग) उन में प्रति वर्ष दी गई मजूरी की कुल राशि ;

(घ) उपर्युक्त काल में उद्योग को लाभ अथवा हानि ;

(ङ) इस उद्योग में विदेशी पूंजी का अंश, यदि कोई हो ; तथा

(च) उसी काल के अन्दर इंजनों का कुल उत्पादन ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) से (ङ) तक। निशचित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(च) उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

१९४७-४८	७७२
१९४८-४९	१,१५८
१९४९-५०	२,५५४
१९५०-५१	५,५३६
१९५१-५२	७,२६३
१९५२-५३	२,८०९
कुल	२०,०९२

पेन्सिलीन फ़ैक्टरी

११७. डा० अमीन : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पेन्सिलीन फ़ैक्टरी, पिम्परी, को, विद्युत संभरण करने के लिए, टाटा हाड्रो-इलेक्ट्रिक कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई के साथ वार्ता पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के साथ कोई क़रार किया गया है, तथा

(ग) यदि, किया गया है तो उस करार की शर्तें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग) अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

भारतीय समाचार

११८. चौ० रघुवीर सिंह : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार, "भारतीय समाचार" का हिंदी संस्करण फिर से निकालने जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर कितना व्यय किया जाने वाला है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वित्तीय प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है । "भारतीय समाचार" निकालने की व्यवस्था धन उपलब्ध होने पर की जायेगी ।

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

११९. श्री हेडा : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में पाकिस्तान को किये जाने वाले कोयले, का समग्र मूल्य, बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) कोयले के अन्तर्देशीय मूल्य की तुलना में निर्यात किये जाने वाले कोयले का मूल्य कैसा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) समुचित, मूल्य निम्नलिखित हैं :—

१९५०-५१———३२,३५,४०८ रुपये
१९५१-५२———५,१५,७५,४६३ ,,
१९५२-५३———४,९४,७६,०९३ ,,

(ख) गत तीन वर्षों में पाकिस्तान से वसूल किया जाने वाला मूल्य, समय समय के अन्तर्देशीय मूल्य से अधिक था जैसा कि नीचे दिया गया है :—

१-४-५० से १५-२-५१ तक—१२ रुपये प्रति टन

(इस काल में पाकिस्तान को किया जाने वाला कोयले का निर्यात स्थगित रहा)

२६-२-५१ से ९-५-५१ तक	...	१० रु० ६ आ० ९ पा० प्रति टन
१०-५-५१ से ७-८-५२ तक ...	...	१० रु० ३ आ० ९ पा० प्रति टन
८-८-५२ से २४-३-५३ तक ...	...	११ रु० १३ आ० ९ पा० प्रति टन

२५-३-५३ से मूल्य वही है जो देश के उपभोक्ताओं के लिये है ।

विस्थापित व्यक्तियों को काम धन्धों का प्रशिक्षण

१२०. **श्री हेडा:** क्या **पुनर्वास** मंत्री १२ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०५१ के अपने उत्तर की ओर ध्यान देने की, तथा यह बताने की, कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च १९५३ तक ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिनको काम धन्धों का प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) १९५२-५३ में जिन को प्रशिक्षण दिया गया । उन की संख्या तथा उन के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय ; तथा

(ग) इन प्रशिक्षण पाने वालों में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो लाभप्रद कार्य में लगाये जा चुके हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). पूरी जनकारी उपलब्ध नहीं ह। कुछ राज्यों से अभी उत्तर प्राप्त होने हैं तथा आशा की जाती है कि शीघ्र ही सदन पटल पर पूरा विवरण रख दिया जायगा ।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विदेशी व्यापार

१२९. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५२-५३ में प्रधान सामग्रियों के भारत के विदेशी व्यापार का मूल्य बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) उसी काल में भारत के निर्यात की आय का झुकाव क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आयात (वहन व्यापार को सम्मिलित करके) ६५८.११ करोड़ रुपये

निर्यात (पुनः निर्यात को सम्मिलित-करके) ५६९·८८ करोड़ रुपये

(ख) पटसन की सामग्रियों तथा चाय के निर्यात में गिरावट थी परन्तु निर्यात मूल्यों में गिरावट होने पर भी, शेष सारे क्षेत्र में निर्यात से होने वाली आय का स्तर उसी प्रकार कायम रक्खा गया ।

हस्त-निर्मित क़ाग़ज़ का क्रय

१२२. **श्री दाभी:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे ;

(क) विभिन्न सरकारी विभागों की आवश्यकताओं के लिए हस्तनिर्मित कागज़ के क्रय के सम्बन्ध में सरकारी नीति ;

(ख) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों के उपयोग के लिये क्रय किये जाने वाले कागज का समग्र मूल्य ; तथा

(ग) विभिन्न सरकारी विभागों के उपयोग के लिये क्रय किये जाने वाले हस्त निर्मित काग़ज़ का समग्र मूल्य ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार के सारे अर्धसरकारी पत्र-व्यवहार के लिये हस्तनिर्मित काग़ज़ क्रय किया जाय ।

(ख) (१) १९५१-५२ लगभग ४ १/२ करोड़ रुपया

(२) १९५२-५३ लगभग ५ करोड़ रुपया ;

(ग) (१) १९५१-५२—९०,५०० रुपया,

(२) १९५२-५३—शून्य, क्योंकि पिछले साल के अंत में पर्याप्त स्टाक शेष था ।

बिना वेतन के काम करने वाल राजनयिक प्रतिनिधि

१२३. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९४७ से १९५२ तक कौन कौन भारतीय राजदूत, मुख्यायुक्त तथा महा वाणिज्य-दूत बिना वेतन के काम करते थे ;

(ख) वे किन किन देशों में काम करते थे ;

(ग) क्या लंडन के भूतपूर्व राजदूत केवल अपने निजी व्यय की ही रकम लेते थे ;

(घ) क्या कोपनहैगन स्थित विद्यमान भारतीय महा वाणिज्य-दूत आज भी बिना वेतन काम करते हैं ; तथा

(ङ) कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो विदेशों में विना वेतन काम करते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). उल्लिखित कालावधि में कोई भी बिना वेतन काम करने वाले राजदूत, मुख्यायुक्त तथा महा वाणिज्य-दूत नहीं थे। परन्तु हमारे लंदन स्थित मुख्यायुक्त ने उस पांच वर्ष में कोई भी वेतन नहीं लिया जब कि वे इस पद पर थे। उन्होंने सरकारी निधि से केवल राजकीय भोजों का खर्चा लिया ।

(घ) कोपनहैगेन में भारत का एक, विना वेतन काम करने वाला, महा वाणिज्य-दूत है। वह एक डेनमार्क का राष्ट्रजन है ।

(ङ) एक ।

रक्षित उद्योगों की कच्ची सामग्रियां

१२४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) ऐसे संरक्षित उद्योग जो अधिकतर अन्य देशों से अपनी कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं तथा वे देश जिन से यह कच्ची सामग्री आयात की जाती है ;

(ख) ऐसे कच्ची सामग्री के आयात की प्रतिशतता ;

(ग) क्या ऐसे आयात शनै शनै बढ़ते जा रहे हैं ;

(घ) इन उद्योगों की आयात निर्भरता को दूर करने के कौन से उपाय किये गए हैं ; तथा

(ङ) ऐसे उपायों के परिणाम ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ). जहां तक जानकारी उपलब्ध है, उसका एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

नमक बनाने के केन्द्र

१२५. **श्री रघवय्या :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में नमक बनाने के केन्द्रों के नाम;

(ख) इन में से प्रत्येक केन्द्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या—स्त्री, पुरुष तथा बच्चों की अलग अलग;

(ग) प्रत्येके केन्द्र में, उन के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वेतन, मंहगाई भत्ता तथा बोनस;

(घ) काम के घन्ठे, एक वर्ष का सेवा-योजन काल, छुट्टियां तथा अन्य सुविधायें जो उन को प्राप्त हैं; तथा

(ङ) श्रमविधियां जो इन केन्द्रों में से प्रत्येक में प्रचलित हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

(क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ख) से (ङ). यह जानकारी देने वाला एक और विवरण भी सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४]**

अभ्रक (उत्पादन) तथा निर्यात

१२६. **श्री गोपाल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ और मई, १९५३ के बीच (वर्ष प्रति वर्ष) अभ्रक के उत्पादन की कुल मात्रा, तथा साबुत अभ्रक अभ्रक के परतों और रद्दी अभ्रक के पृथक्-पृथक् आंकड़े ;

(ख) उक्त समय में इसके निर्यात की मात्रा (प्रति वर्ष तथा प्रत्येक श्रेणी की (पृथक्-पृथक्) ; तथा

(ग) १९४७ से मई, १९५३ के बीच प्रत्येक श्रेणी के वर्षवार पृथक्-पृथक् (भीतर और बाहरी) मूल्य ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)से (ग). उत्पादन के विश्वस्त आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं । चूंकि देश में अभ्रक की मुश्किल से ही कुछ खपत होती है, निर्यात के आंकड़े ही बहुत-कुछ देश के वास्तविक उत्पादन का भी विवरण देते हैं । एक विवरण जिसमें वर्ष प्रति वर्ष होने वाले निर्यात के आंकड़े और उसके मूल्य बताए गए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५]**

रेडियो के वाल्व (आयात)

१२७. **श्री बाल्मीकि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०--५३ में किन किन देशों से रेडियो के वाल्व तथा अन्य सामान आयात किया गया ;

(ख) रेडियो के वाल्व तथा अन्य सामान को अपने देश में ही उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; तथा

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो ने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : '(क) रेडियो वाल्व और पुरजों का आयात मुख्यत: इंग्लैंड, सं० रा० अमरीका और हालैंड से होता है ।

(ख) रेडियो वाल्वों का निर्माण बंगलौर स्थित नए राज्यापत्त बेतार-कारखानों में होने जा रहा है । अन्य पुर्जे बहुत सारी मात्रा में देश में पहले ही बनाए जा रहे हैं । रेडियो के पुर्जों के निर्माण को विकसित करने के लिए भी आवश्यक सहायताएं प्रदान की जा रही हैं ।

(ग) लगभग १९५६ वर्ष तक ।

रेडियो सेट

१२८. **श्री बाल्मीकि** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहाती क्षेत्र में राज्यवार कितने रेडियो सेट कार्य कर रहे हैं ;

(ख) देहाती जनता को दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत रखने के लिए प्रसार योजना को अधिक प्रोत्साहन देन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)

(क) देहाती क्षेत्र में सामूदायिक-सैटों का राज्यवार किया गया वितरण निम्न प्रकार से हैं :

१.	आसाम	९३
२.	बिहार	३१४
३.	बंबई	५३०
४.	दिल्ली	१५५
५.	हैदराबाद	११७
६.	जम्मू तथा काश्मीर	२३१
७.	मद्रास	१७८३
८.	मध्य प्रदेश	५५०
९.	मैसूर	१८८
१०.	उड़ीसा	१९२
११.	पंजाब	२६४
१२.	उत्तर प्रदेश	१९३
१३.	पश्चिमी बंगाल	१९५
१४.	त्रावणकोर-कोचीन	८८
	योग : :	४८९३

(ख) देहाती क्षेत्रों में सामुदायिक सैटों का प्रबंध करने का महत्व राज्य सरकारों को समझाया गया है, जिन पर और अधिक सैट लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है।

रुपसी स्थित विस्थापित तथा निराश्रित नारी सदन

१२९. श्री अमजद अली : (क) क्या **पुनर्वास मंत्री** ३१ मार्च १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ८२१ का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रूपसी (जिला ग्वालपाड़ा, आसाम) स्थित निराश्रित नारी-सदन को वर्तमान स्थान से हटाकर धुलरी के शहरी-क्षेत्र में ले जाने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

(ख) वहां रहने वाली नारियों की वर्तमान संख्या क्या है ?

(ग) कितनों को वैकल्पिक या स्वतंत्र आजीविका दी गयी है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) रुपसी के सदन का केन्द्रीय निराश्रित नारी-सदन में उसकी स्थापना की स्वीकृति होते ही विलय करने का विचार है।

(ख) २२।

(ग) १२।

संयुक्त राज्य अमरीका की कपास

१३०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या सं० रा० अमरीका की कपास के आयात के अनुज्ञापत्र देने का समय दिसम्बर, १९५३ तक बढ़ा दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के अन्त तक भारत में आयातित सं० रा० अमरीकी कपास की कुल मात्रा कितनी होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां।

(ख) १९५१-५२ फ़सल की सं० रा० अमरीकी कपास की ११·२५ लाख गांठों के आयात के लिये अगस्त, १९५१ से आग अनुज्ञापत्र दिये गये थे। इसके सामने कपास की लगभग ९,७०,००० गांठों का आयात हो चुका है। आशा है, शेष गांठें इस वर्ष के अन्त तक आ जायगी ?

वस्त्रों की उपलब्धता

१३१. श्री झूलन सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९३८-३९ से आगे के गत १३ वर्षों में वस्त्रों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में क्रमशः कमी आती गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नहीं । प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जो १९५१ में ११·८ थी, १९५२ में बढ़ कर १४·२ तक हो गई। वर्तमान उत्पादन दर से इस प्रगति को बनाये रखने की आशा है ।

विज्ञापन

१३२. **श्री के० सी० सोधिया** : (म) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से निकाले जाने वाले विलसित विज्ञापनों के निकालने पर होने वाला व्यय उनसे वसूल किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो १९५२-५३ में प्रत्येक से क्या राशि वसूल की गई थी ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) १९५२-५३ में लघु-आय बचत और कोषागार-बचत निक्षेपों सम्बन्धी सिनेमा स्लाइडों और अन्य विज्ञापनों के तैयार करने में कुल कितनी राशि व्यय की गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् । विलसित विज्ञापनों के तैयार करने और निकालने में होने वाले व्यय की सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के आय-व्ययक प्राक्कलनों में उपबन्ध किया गया है ।

(ख) तथा (ग) । राशियां व्यक्तिगत मंत्रालयों से वसूल नहीं की जाती ।

(घ) सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों कलेंडरों, ब्लाटरों, चिप्पियों तथा विलसित विज्ञापनों पर १९५२-५३ में व्यय की गई राशि रू० ५,५४,३८७ रुपये थी ।

त्रिपुरा में बीड़ी उद्योग

१३३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी उत्पादकों तथा मज़दूरों ने त्रिपुरा में बाहर की बीड़ियों के उपयोग पर बन्धन लगाने तथा अभ्यंश निर्धारण करने की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बाहर की बीड़ियों की स्पर्धा के कारण बहुत से कारख़ान और मज़दूर बेकार होने जा रहे हैं ; तथा

(ग) त्रिपुरा के बीड़ी उद्योग को बचाने के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) त्रिपुरा सरकार या भारत-सरकार को उत्पादकों या मज़दूरों से इस विषय पर कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बाईसिकल के कारख़ाने

१३४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९५२ के अन्त में कितने बाइसिकल कारख़ाने काम कर रहे थे ;

(ख) प्रत्येक कारख़ाने से प्रत्येक प्रकार की बाइसिकल का वार्षिक उत्पादन ;

(ग) क्या सरकार बाहर से बाइसिकल के आयात की अनुमति देगी ; तथा

(घ) यदि हां, तो उन बाइसिकलों की संख्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) छः।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) इस वर्ष में लगभग ७२,००० साइसिकलों के आयात की सम्भावना है।

वस्त्र (निर्यात)

१३५. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और इंडोनेशिया के लिये १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ वर्षों में निर्यात किये गये वस्त्रों का परिमाण गज़ों में कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (डा० करमरकर) :

मिल के बने वस्त्र का निर्यात (गज़ों में आंकड़े)

	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
आस्ट्रेलिया	५४,६४५,९५३	२४,७७७,३४८	६,५३९,३८४
न्यूजीलैंड	८,६३९,६६८	३,७६५,२०५	२,६४७,८५८
इंडोनेशिया	६,७५७,८५७	२,७९१,३२३	३,५६२,८११

लाजपतनगर हरिजन बस्ती

१३६. श्री पी० एन० राजभोज : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती लाजपतनगर, नई दिल्ली में अभी तक कितने हेण्डपम्प (हस्त उदञ्च) लगाये जा चुके हैं ?

(ख) क्या वहां के निवासियों की जल की आवश्यकता पूरी करने में वे पर्याप्त है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). पांच हेण्डपम्प लगाये जा चुके हैं और अन्य छै पम्प लगाये जा रहे हैं। उक्त स्थान पर रहने वालों की पानी की आवश्यकता के लिये ये छै नल पर्याप्त हैं।

साबुन निर्माण

१३७. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ म भारत में उत्पादित साबुन की कुल मात्रा ;

(ख) भारत में साबुन उद्योग का सबसे बड़ा तथा कुल उत्पादित राशि का सत्तर प्रतिशत उत्पादन करने वाला कारखाना क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय समवाय-संघ का अनुसहायक है ?

(ग) आजकल भारत में साबुन निर्माण के सामर्थ्य के कितने अंश का प्रयोग होता है।

(घ) योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट साबुन-उत्पादन के लक्ष्य की १९५५-५६ तक पूर्ति को सुनिश्चित करने लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ११६,३७० टन।

(ख) भारत में साबुन उत्पादन करने वाला सब से बड़ा कारखाना भारत के कुल उत्पादन का ४३ प्रतिशत भाग उत्पादन करता है। यह कारखाना भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध है यद्यपि उसमें समस्त पूंजी विदेशी है।

(ग) देश के कुल सामर्थ्य का लगभग ४४ प्रतिशत वर्तमान में प्रयुक्त हो रहा है।

(घ) योजना में उत्पादन का लक्ष्य १९५५-५६ तक २००,००० टन है। चूंकि वर्तमान सामर्थ्य इससे भी अधिक है अत: उत्पादन में इतनी वृद्धि न होने का कोई कारण नहीं है जिससे कि मांग पूरी हो सके।

गवेषणा कार्यक्रम समिति

१३८. श्री एस० एन० दास क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या राष्ट्रीय विकास से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनीय समस्याओं में गवेषणा एवं अनुसन्धान करने की दृष्टि से उपयुक्त परियोजनाओं का संचालन और उन्हें क्रमबद्ध करने के लिये अनुसन्धान कार्य क्रम समिति संविहित कर दी गई है और क्या वह काम कर रही है ;

(ख) क्या उक्त समिति स्थायी निकाय के रूप में काम करेगी ; और

(ग) क्या समिति ने कोई परियोजना तैयार की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हां। परन्तु उसने अभी काम आरम्भ नहीं किया है। समिति की पहली बैठक इसी महीने में निर्धारित की गई है

(ख) उक्त समिति योजना आयोग द्वारा नियक्त तदर्थ निकाय है और अभी इसकी अवधि के विषय में विचार नहीं किया गया है।

(ग) गवेषणा और अनुसंधान के लिये ली जाने वाली योजनाओं पर समिति की पहली बैठक में विचार किया जायगा।

डा० मलान का भाषण

१३९. श्री एस० एन० दास: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया द्वारा प्रेषित दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री डा० डेनियल मलान के भाषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जो उन्होंनें ९ जुलाई, १९५३ को आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री श्री मन्जीज़ को दिये गये भोज के अवसर पर दिया था और जिसका वृत्तान्त मद्रास के 'हिन्दू' के १० जुलाई, १९५३ के अंक में पांचवें पृष्ठ पर चतुर्थ स्तम्भ में निम्न शीर्षक से प्रकाशित हुई है "आस्ट्रेलिया को मलान की पेशकश—भारत के विरुद्ध प्रतिरक्षा में सहायता"; और

(ख) यदि यह ठीक है तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) हां।

(ख) डा० मलान के आरोप एवं संकेत इतने असंगत और भ्रामक थे कि भारत सरकार ने उनका निराकरण करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा। आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों के समाचारपत्रों की आलोचनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता डा० मलान के वक्तव्य के बहकावे में आने वाली नहीं है। भारत की वैदेशिक नीति का अनेक बार निरूपण कर दिया गया है। अफ्रीका अथवा विश्व के किसी भाग में भारत की राज्य विस्तार करने की महत्वाकांक्षा नहीं है। भारत विश्व के सब भागों में और विशेषत: अफ्रीका में राजनैतिक स्वतन्त्रता और जातीय समानता का समर्थक है जहां जनता दोनों से वंचित है।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
६ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

स्थगन प्रस्ताव

श्री कामी रैड्डी की भूख-हड़ताल

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, एक डा० लंका सुन्दरम से और दूसरा श्री के० सुब्रह्मण्यम से। मैं संक्षेप में माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि सरकार का इस से क्या सरोकार है।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : श्रीमान् श्री कामी रेड्डी का, जो इस समय वास्तव में मृत्यु-शय्या पर हैं, उनके मृत्यु पर्यन्त उपवास का आज ४६वां दिन है और इस उपवास का कारण सरकार का वह कार्य पाली निर्णय है जिस के अनुसार कि भारत सरकार ने बेलारी ज़िले के कुछ भोगों को मैसूर राज्य को देने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने यह निर्णय लोगों की राय मालूम किये बिना ही किया है। दूसरे, जब जस्टिस वांच्छू को भेजा गया और उन्होंने इस विषय पर कुछ सिफारिशें कीं तो उन्हों अस्वीकृत कर दिया गया। तब जस्टिस मिश्रा गये और उन की सिफारिशें क्रियान्वित की गईं। फिर, सैंकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन में बेलारी नगरपालिका के चेयरमेन भी सम्मिलित हैं। आज श्री कामी रेड्डी की दशा चिंताजनक है। ये ही मेरे कारण हैं।

श्री के० सुब्रह्मण्यम (विज़ियानगरम) : जस्टिस मिश्रा ने भी यह कहा है कि बेलारी की समस्या का संतोषजनक अंतिम हल जनमत द्वारा ही तो हो सकता है। इसलिये मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि श्री कामी रैड्डी के बहुमूल्य जीवन को बचायें और सदन में घोषणा करें कि विवादग्रस्त क्षेत्रों के मामले को निबटाने के लिये जनमत लिया जाएगा अथवा एक सीमा आयोग को नियुक्ति की जायेगी।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, सदन के सामने बहुत सरल सा प्रश्न यह है कि क्या किसी सज्जन के राजनीतिक लक्ष्य से भूख हड़ताल करने के कारण सरकार उस निर्णय को बदल दे जो उसने बहुत समय पूर्व इस सदन को सूचित किया था। मुझे इस में संदेह नहीं है कि श्री कामी रैड्डी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और सच्चे हृदय

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से ही उन्होंने यह कार्य अपनाया है। किन्तु मैं नहीं समझता कि इस सदन का कोई सदस्य कैसे यह सुझाव दे सकता है कि सरकार अपने उस निर्णय को बदल दे अथवा संशोधित कर दे जो उस ने इतनी सावधानी से की गई जांच के पश्चात् किया है। वास्तव में, इस विशिष्ट मामले में, इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया था कि तटस्थ व्यक्तियों से इस बात की जांच की जाये कि ठीक मार्ग क्या होगा और उसे स्वीकृत तथा घोशित कर दिया गया। जिन माननीय सदस्यों ने जस्टिस मिश्रा की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैं उन से निवेदन करूंगा कि उसे सावधानी के साथ पढ़ें। अलावा इस के कि सरकार यह समझती है कि उसका निर्णय बिलकुल सही था, उसे इस बात का और भी पक्का विश्वास है कि वह इस प्रकार की भूख-हड़तालों से प्रभावित नहीं होगी। इस तरह से कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती।

हमें बहुत बड़ी संख्या में तार प्राप्त हुए हैं जिन में दोनों ओर के लोगों ने ये धमकी दी है कि यदि उनकी सी बात नहीं की गई तो वे भूख-हड़ताल कर देंगे। दोनों ओर का मत एक दूसरे के खिलाफ़ है। कुछ लोग हमें श्री कामी रैड्डी के पक्ष में तार भेजते हैं; कुछ लोग सरकार को यह धमकी देते हैं कि यदि आप श्री कामी रैड्डी की बात पर तैयार हो गये तो आपको हमारी भूख-हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार राजनीति को एक विचित्र स्तर पर ला पटका गया है और इस प्रकार की बाहरी घटनाओं के आगे सदन शक्तिहीन हो जाता है। मुझे श्री कामी रैड्डी से सहानुभूति है। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि भूतकाल में वह एक रचनातमक कार्यकर्त्ता रह चुके हैं। यह वास्तव में बड़े खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने भूतकाल में बहुत अच्छा काम किया है और आनेवाले आन्ध्र राज्य के लिये जो भविश्य में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है वह अपने आप को ऐसी चीज़ से सम्बद्ध करे जिस से कि, आन्ध्र राज्य के निर्माण से ठीक पूर्व, मन मुटाव ही हो सकता है। कल शाम मैं ने प्रधान मंत्री की हैसियत से नहीं वरन अन्य हैसयित से श्री कामी रैड्डी के पास तार भेजा है जिसमें मैं ने स्पष्टतया इस उपवास के सम्बन्ध में अपनी राय बतलाई है कि यह बहुत ग़लत तरीक़ा है तथा बैलारी का मामला इस तरह पुनः आरम्भ नहीं किया जा सकता और यदि वह बाद में मुझसे मिलना चाहें तो मैं बड़ी खुशी से उनसे मिलूंगा तथा वह अपना उपवास समाप्त कर दें।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं प्रधान मंत्री का ध्यान १७ जुलाई को मद्रास में दिये गये श्री राजगोपालाचार्य के भाषण की ओर आकर्षित कर सकता हूं जिस में उन्होंने कहा था कि बैलारी को सीमा आयोग के निर्देश के पदों में सम्मिलित कर दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आन्ध्र राज्य विधेयक शीघ्र ही इस सदन के सम्मुख आएगा उस में सीमा आयोग अथवा आयोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ खंड हैं। मैं समझता हूं कि उस के पीछे दृष्टिकोण यह है कि सम्बन्धित दोनों राज्य, अर्थात्, आन्ध्र तथा अवशिष्ट मद्रास राज्य या आन्ध्र तथा मैसूर—भारत सरकार नहीं—सीमा आयोगों की नियुक्त करें जो सीमा सम्बन्धी मामूली परिवर्तनों का प्रश्न व्यवहृत करें। राज्य अपने सीमा आयोगों को जो निदेश चाहें दे सकते हैं। वे जिस बात पर भी सहमत हों, हम भी उससे पूर्णतया सहमत होंगे।

श्री बी० एस० मूर्ती : क्या यह सच नहीं है कि जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि इन मामलों का निर्णय जनमत द्वारा होना चाहिये ? प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि मोका, रूपनागुडी तथा बेलारी फिरकों के प्रश्न को व्यवहृत करते समय, प्रतिवेदन के उस भाग पर विचार क्यों नहीं किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय मंत्री जी की बात का खंडन नहीं करना चाहता किन्तु जस्टिस मिश्रा ने ठीक यह बात नहीं कही थी। उन्होंने यह कहा है कि यदि कोई यह पूछे कि कितने लोग इस ओर हैं और कितने लोग उस ओर, यह संख्या तो जनमत-संग्रह द्वारा ही जानी जा सकती है। उन्होंने जनमत-संग्रह की सिफारिश नहीं की है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : प्रधान मंत्री ने अभी अभी बतलाया कि कुछ अन्य विवाद-ग्रस्त क्षेत्र हैं और उन सब को एक सीमा आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा। बेलारी के इस प्रश्न पर काफ़ी उत्तेजना है। राजनीतिक प्रश्नों पर उपवास करने की बात से मैं निश्चित ही सहमत नहीं हूं, किन्तु श्री कामी रैड्डी ने पूर्ण सद् भाव से यह उपवास किया है और उन का जीवन खतरे में है। मैं समझती हूं कि यदि अन्य प्रश्नों के साथ साथ इस प्रश्न के लिये भी सीमा आयोग की नियुक्ति कर दी जाये तो कोई हानि नहीं होगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्या को विदित है कि यह भारत सरकार तथा किसी और दल या राज्य इत्यादि, के बीच का मामला नहीं है। भारत सरकार एक निष्पक्ष मंत्रणादाता, सहायक, मित्र और सलाहकार—जो भी आप कहिए—के रूप में है। अतएव हमने लम्बे अनुभव के न्यायिक पदाधिकारियों को इसकी जांच करने के लिये भेजा है और जब हम उनके प्रतिवेदन पर विचार करते हैं तो हम उसे न्याययुक्त ही समझते हैं। और उसमें सीमा आयोग का निर्देश है। सीमा आयोग मूलत: विवादग्रस्त स्वरूप में नहीं थे जब कि हमने उन पर चर्चा की थी, किन्तु वे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे परिवर्त्तनों के लिये थे। इस समय हम सदन को छोटी-छोटी बातों से परेशान न करके पहले तो ज़िलों को मिलाकर आंध्र-राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और तत्पश्चात् अधिक विस्तार में छोटे-मोटे परिवर्त्तनों के विषय में जाना चाहते हैं। आन्ध्र राज्य के इस मामले के निश्चित रूप से तय हो जाने पर, सरकार का विचार राज्यों के पुनर्संगटन के वृहत्तर प्रश्न पर विचार करने का है क्योंकि हम इस निकर्ष पर पहुंचे हैं कि इस विषय पर छुट पुट विचार करना ठीक नहीं है। भारत भूमि में एक आवयविक एकता है तथा प्रशासनात्मक सुविधा के लिये हम इसे कितना ही विभाजित क्यों न कर दें, प्रत्येक विभाजन का किसी राज्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये यदि हम इस मामले पर एक आवयविक एकता के आधार पर विचार करें तथा एक वर्ष बाद को एक उच्च सत्ता आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से इस प्रश्न पर विचार करने के लिये करें, तो सरकार अवश्य ही उसकी सिफारिशों को इस सदन के सम्मुख रखेगी।

श्री ए० के० गोपालन : प्रधान मंत्री जी ने श्री कामी रैड्डी के उपवास का ज़िक्र किया जहां कि दूसरी ओर के भी लोग हैं जो इस के बिलकुल विरुद्ध हैं। इस प्रकार दो विचारधाराओं के लोग हैं जो एक भाग पर दावा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या यह आवश्यक नहीं है कि यदि दोनों दलों के लोग सहमत हों तो मतदान-संग्रह कर लिया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार के मामले के लिये

[उपाध्यक्ष महोदय]

उपवास की शरण ली जाये। श्री रैड्डी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और यह उनके उपवास का चालीसवां दिन है। उन की दशा गम्भीर है। किन्तु इस प्रकार के मामले में उपवास करके सरकार के ऊपर ज़ोर डालना संवैधानिक नहीं है। जैसा कि अभी बतलाया गया था, यह मामला सदन के सम्मुख आ रहा है और तब ठंडे दिमाग़ से इस पर विचार किया जा सकता है। तब सरकार यदि निर्णीत नीति में परिवर्त्तन करना चाहेगी तो कोई कठिनाई की बात नहीं है। इसलिये, मैं स्थगन प्रस्तावों की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं प्रधान मंत्री जी से जान सकता हूं कि वह विदेशी मामलों पर, समस्त मदों को लेते हुए और हाल की घटनायों पर प्रकाश डालते हुए, जिनमें कि भारत को रुचि है, एक वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं वर्त्तमान विश्व परिस्थिति पर, विशेष कर भारत से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर, विचार करने का स्वागत करूंगा। इस बार छोटा सत्र हो रहा है और इस में बहुत काम है। इस-लिये समय मिलना शायद आसान न हो। फिर भी, सदन के सम्मुख वक्तव्य देने के लिये समय निकालने को मुझे आशा है किन्तु इसके लिये शायद हमें दूसरी बैठक भी करनी होगी। मेरा सुझाव है कि इस मास के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह में चर्चा के लिये कोई समय ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दिन निर्णीत हो जाने पर वादविवाद होगा।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि श्री ए० के० बसु से मुझे एक पत्र मिला है उस में बताया गया है कि अपने स्वास्थ्य के कारण वे एक दो महीनों के लिए स्विटज़रलैंड जा रहे हैं और सदन के आगामी सत्र में उपस्थित न हो सकेंगे। क्या सदन इस सत्र की सभी बैठकों में अनुपस्थिति के लिये उनको अनुमति देना चाहता है।

अनुमति प्रदान की गई।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

टाटा-स्टील के प्रतिधारण-मूल्य के सम्बन्ध में तटकर-आयोग का प्रतिवेदन और उस पर सरकारी संकल्प

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ में उपधारा (२) के अधीन मैं निम्नांकित कागजों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखना चाहता हूं :—

(१) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटड द्वारा उत्पादित स्टील के उचित प्रतिधारण-मूल्य के विषय में तटकर आयोग का प्रतिवेदन (१९५३);

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या एस० सी० (ए०) -२(९६)/५२ दिनांक २० जुलाई, १९५३।

[पुस्तकालय में रखे गये, **देखिये संख्या ४ और १५९ (२२)**]

आंकड़ा संग्रह विधेयक—समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन ५ अगस्त को रखे गये आंकड़ा संग्रह सम्बन्धी विधेयक के विचार प्रस्ताव पर चर्चा जारी करेगा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : आज स्वतंत्र भारत हम से यह मांग और आशा कर रहा है कि देश के आर्थिक जीवन और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में देशवासियों का पुरा-

पूरा नियंत्रण हो। कुछ विदेशी सार्थों ने थोड़े से भारतीयों की ऊंची श्रेणियों में पदोन्नति अवश्य की है, पर भारत सरकार के पूरा पूरा ध्यान न देने के कारण कुछ ढील आ गई है और फलतः क्रमशः भारतीयकरण की गति में कुछ धीमी पड़ गई है। कुछ सार्थों में भारतीयों के प्रति विभेद की शिकायतें भी हमें मिली हैं। बहुत शिकायतें होने के कारण अब केन्द्रीय सरकार ने कुछ कार्यवाही करना आरम्भ किया है।

उचित आंकड़े उपलब्ध होने पर ही इन विभेदों की सत्यता असत्यता का निश्चय हो सकता है। लक्ष्य और कारण के विवरण से ही स्पष्ट है कि सरकार इन सभी प्रकार के सार्थों और उन की प्रबन्धक शाखाओं से आंकड़े एकत्र करने के सम्बन्ध में विशेष शक्ति चाहती है, जो मेरे विचार से उसे मिलनी चाहिये। इस प्रकार आंकड़े प्राप्त करके भारतीयों के साथ विभेद और उनको तंग करने आदि के मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।

मैं माननीय सदस्यों की यह बात मानता हूं कि ऐसी विशेष शक्तियों का दुरुपयोग होता है और मैं स्वयं निवारक-निरोध का अकारण लक्ष्य बन चुका हूं। मैं यह भी मानता हूं कि कार्यपालिका को अनियंत्रित अधिकार न दिय जायें, पर इस समय ऐसी ही विशेष शक्ति देने का अवसर है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन है कि प्रश्न पूछने की शक्ति के स्थान पर अभिलेखों और कागज़-पत्रों को हथिया लेने की शक्ति ली जाये और श्री वी० पी० नायर भी यही सुझाते हैं। मंत्री जी के मांगन पर सदन वह शक्ति भी दे देगा पर ऐसी शक्ति का बहुधा भीषण दुरुपयोग होता है। फिर भी आज देशभक्ति की मांग पर यह जानते हुए भी कि ऐसी विशेष शक्तियों का दुरुपयोग होता रहा है, हमें दलबंदी की बात छोड़ कर इसका समर्थन करना है। माननीय मंत्री कहते हैं कुछ सार्थों ने प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया और कुछ ने टालनेवाले उत्तर दिय। हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जातिगत भेद-भावों का विरोध करते रहे हैं और हम इन सार्थों को बता देना चाहते हैं कि अपने घर में हम यह कभी न चलने देंगे तथा अपनी सार्वभौम संसद् के अधिकार की अवहेलना हम किसी भी प्रकार सहन न करेंगे। अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बाधक इन व्यापारी क्षेत्रों का यह रवैया हम सहन न कर सकेंगे। यह केवल उन के वेतन बढ़ाने का ही प्रश्न नहीं है, और यदि ऊंचे विदेशी पदाधिकारियों के वतन भी उतने ही कम कर दिये जायें, तो हमें उन के वेतन और कम कर दिय जाने पर भी आपत्ति न होगी, पर यह आत्म-सम्मान और राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। हमारे मूल-उद्योग अब भी विदेशियों के हाथों में हैं। भावी राष्ट्रीय संकटों का ध्यान रखते हुए हमें अपने नागरिकों को उचित रूप में प्रशिक्षित बनाना है। अतः मेरे विचार से उचित सुरक्षाओं के साथ यह शक्ति देना परम आवश्यक है और आशा है इसका सदुपयोग करते हुए सम्बन्धित आंकड़े प्राप्त किये जा सकेंगे और हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के समाधान की दृष्टि से विदेशी सार्थों से निपटा जा सकेगा।

श्री एच० एन० शास्त्री (जिला कानपुर—मध्य): मजदूर नेता के रूप में कई वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कई श्रम जांच समितियों की सदस्यता में मैंने देखा है कि अधिष्ठाताओं द्वारा अपेक्षित आंकड़ न देने के कारण इन समितियों को जांच में बड़ी कठिनाइयां होती रही हैं। फिर समझौता बोर्ड या अधिकरणों के सामने आने वाले औद्योगिक

[श्री एच० एन० शास्त्री]

विवादों का समुचित निर्णय भी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पाता।

वैयक्तिक उद्योग-उपक्रमों के विषय में पंजियों में गड़बड़ करने की गुंजाइश होने के कारण यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है और कुप्रबन्ध के कारण इनके सहसा बंद हो जाने से हज़ारों मज़दूर बेकार हो जाते हैं। इस दृष्टि से मज़दूर संघ बहुत समय से इस विधान की मांग करते रहे हैं और आशा है अब इसे पूरे सदन का समर्थन प्राप्त होगा।

इस विधेयक द्वारा सरकार को मिलने वाली शक्ति को कम करने वाले पंडित भार्गव द्वारा रखे गये संशोधन जैसे संशोधनों को मान लेने से सारा विधेयक ही निरर्थक हो जायेगा, अतः इस विधेयक को मूल रूप में ही पारित किया जाये।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): विधेयक के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण भूलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरणार्थ उपखंड (ख) में दी गई 'व्यापारिक उपक्रम' की परिभाषा में निजी समवायों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है; यद्यपि 'या व्यापार में संलग्न कोई अन्य व्यक्ति या निकाय' में निजी समवाय आ जायेंगे, पर स्पष्ट उल्लेख अधिक अच्छा रहता। औद्योगिक तथा व्यापारिक उपक्रमों की विस्तृत परिभाषा दी गई है, पर भारी पैमाने पर खेती करने वाले समवाय जैसे कि हमारे यहां गन्ने और गुड़ के समवाय हैं, इन परिभाषाओं में नहीं आ सकेंगे। खंड (२) (ख) (६) में रबर, चाय, कहवा सिनकोना के रोपणों का स्पष्ट उल्लेख करके गन्ने आदि के अन्य रोपणों को छोड़ दिया गया है, भले ही उनमें सैकड़ों व्यक्ति काम करते हों और श्रम-कल्याण के लिये आंकड़े प्राप्त करना नितांत आवश्यक हो। आशा है माननीय मंत्री इधर ध्यान देते हुए इस विधान के क्षेत्र में निजी समवायों और कृषि सम्बन्धी समवायों की भी गणना कर लेंगे।

दंड सम्बन्धी खंड के विषय में दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे यह कहनी है। खंड ८ (ख) (२) में 'जानते हुए' और 'जिसे वह असत्य समझता है' वाक्यांश व्यर्थ हैं, क्योंकि तब उसका दोषी अभिप्राय सिद्ध करना पड़ेगा मेरे विचार से यह शब्द योजना भ्रामक है। फिर संभव है कि उसे ज्ञात हो कि यह सूचना असत्य है या उसे इसकी सत्यता में विश्वास न हो। यह विकल्प जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा १२३ की उपधारा (५) में दी गई 'भ्रष्ट व्यवहार' की परिभाषा में भी दिया गया है, और ऐसा ही उपबंध यहांभी रखना ठीक रहेगा। यही बात भारतीय दंड संहिता की धारा १७१ (छ) में और प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की धारा १४ में भी रखी गई है। अतः अन्य विधानों में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली यहां रखना ठीक न होगा।

समवायों द्वारा किये गये अपराधों का विवरण देने वाले खंड ९ की भाषा भी मेरी समझ में नहीं आयी है। इसके अनुसार न केवल सम्बन्धित व्यक्ति बल्कि पूरे समवाय पर, जो एक संगठित निकाय है, अभियोग चला कर दंड दिया जायेगा। दीवानी क्षति के लिये तो किसी संगठित निकाय के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है, पर साधारणतः यह कैसे हो सकेगा। इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। फिर इस उपखंड के परंतुक से बहुत से लोगों को बचाव का रास्ता मिल जायेगा, क्योंकि इसके कारण उनको यह दिखाने का अवसर मिल जायेगा कि अपराध

उनके अनजाने संपन्न हुआ था, वैसे उक्त उपखंड के अनुसार जानते हुए असत्य सूचना देने से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा सकता था ।

इस का प्रभाव क्या होगा ? यदि यह परन्तुक रहने दिया गया तो इस का लाभ उठा कर कम्पनी के डायरेक्टर या वे लोग जिन पर सूचना संभरण करने का भार है साफ निकल जायेंगे तथा किसी कर्मचारी के सर यह सारा दोष मढ़ दिया जायेगा । जो वास्तव में इस के उत्तरदायी हैं वे यह कह कर बच जायेंगे कि 'हमें इस का कोई पता नहीं है 'हमें इसका कोई पता ही नहीं था' इसलिये कम्पनी का कोई भी कर्मचारी जिस को अपने वेतन के अतिरिक्त कम्पनी के कार्यों से तथा उस के लाभ से कोई सरोकार नहीं है, इस विशेष खंड का शिकार न बनाया जाय ।

इस खण्ड के उपखण्ड २ को लीजिये । इस में शब्द 'तथापि' की क्या आवश्यकता है ? वास्तव में इस में इसी बात को दुहराया गया है जो उपखंड १ में है । इस का निर्णय तो न्यायालय करेंगे परन्तु यदि हमारा आशय स्पष्ट तथा यथार्थ न होगा तो इस का लाभ उठाया जायगा । तब हमारे मंत्री महोदय दुबारा हमारे सामने आयेंगे और कहेंगे कि न्यायालयों के अनेक निर्णयों के कारण इस धारा में संशोधन की आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि यह सारा उपखण्ड (२) उसी को दुहराता है जो उपखण्ड (१) में है तथा इस परन्तुक को निकाल देना चाहिये क्योंकि वास्तविक अपराधी इसी की शरण ले कर बच जायेंगे । मैं यह भी सुझाव दूंगा कि कृषक कम्पनियां जो गन्ने तथा अन्य आर्थिक फसलें उगाती हैं तथा हजारों कर्मचारियों से काम लेती हैं, उन को इस विधि की परिधि में लाना चाहिये । जहां तक दण्ड सम्बन्धी खण्डों का प्रश्न है मैं सरकार से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि उन में कोई त्रुटि न रहने पाये ।

मैं स्वीकार करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । हमारे देश में आंकड़ों की दशा बहुत ही खराब है । इसे सुधारने की आवश्यकता है जिस से ठीक ठीक आंकड़े संग्रह किये जायें, उन को छांटा जाय तथा उन का विश्लेषण किया जाय जिस से हम अपना भविष्य निर्माण करने में इन से पूरा लाभ उठा सकें ।

१० म० पू०

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : इस विधेयक के द्वारा सरकार आंकड़े संग्रह करने का अधिकार चाहती है । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण देखने से पता लगता है कि इस विधि के क्या उद्देश्य हैं । मुझे विश्वास है कि सरकार उस सीमा के आगे नहीं जाना चाहती है जो उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में निर्धारित की जा चुकी है । उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, जो अधिकार सरकार को प्राप्त हैं, वे बहुत काफी हैं, । मेरे मित्र श्री मोरे तथा श्री चटर्जी का विचार है कि किसी भी योजना के लिये कोई भी विधि लाई जाय तो सरकार को असाधारण तथा अत्यन्त विस्तृत अधिकार प्रदान करना चाहिये तब उस विधि का उद्देश्य पूरा होगा । परन्तु वे भूल जाते हैं कि संसद् जो अधिकार सरकार को देती है वे सामान्यतः उस कार्य के लिये उपयोगी नहीं होते हैं और तब वे स्वयं शिकायत करते हैं कि सरकार ने उन अधिकारों का दुरुपयोग किया है । जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है वे चाहे सरकारी हों या वैयक्तिक उन की दशा बड़ी शोचनीय है । परन्तु जो आंकड़े हम चाहते हैं उन के लिये वे अधिकार पर्याप्त हैं जो सरकार के पास हैं फिर और अधिकारों की क्या आवश्यकता है ?

जो अधिकार सरकार को दिये जाते हैं, अक्सर सरकार उन का प्रयोग लोगों को सताने

[श्री तुलसीदास]

के लिये करती है । मैं, मंत्री विशेष से, जिन का इस विधेयक से सम्बन्ध है, पूछना चाहूंगा कि वह खण्ड ३ में उल्लिखित सूचना क्यों चाहते हैं ? खण्ड ३ में कहा गया है, "कोई बात ....." यह विधेयक आंकड़े जमा करने के लिये हैं या और किसी प्रयोजन के लिये ? क्या इस का अर्थ है कि वाणिज्य, उद्योग तथा व्यापार सम्बन्धी 'कोई बात' हो जानी जा सकती है ? यह शब्द अत्यन्त विस्तृत हैं । मैं चाहता हूं कि इस को स्पष्ट कर दिया जाय ।

अभी अभी श्री मोरे ने कहा है कि खण्ड ६ के कारण कम्पनियों के प्रबन्ध करने वाले बच जायेंगे तथा किसी और को उत्तरदायी बना देंगे । परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि न्याय यही कहता है कि दण्ड उसे दिया जाय जिस ने अपराध किया है न कि उन व्यक्तियों को जिन को उस का कोई ज्ञान भी नहीं है ।

मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि अनेक ऐसे अधिनियम हैं जिन के द्वारा सरकार जो सूचना चाहती है प्राप्त करती है । अब सरकार और अधिकार चाहती है । मैं चाहता हूं कि पहले सरकार विभिन्न विभागों का समन्वय करावे । हो सकता है कि सरकार को वही सूचना दी जा चुकी हो और सरकार फिर वही सूचना मांगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि जब सरकार को यह अधिकार दिये जा रहे हैं तो सरकार इन का प्रयोग इसी सूचना को प्राप्त करने के लिये करे जो उस के पास नहीं है ।

लेबर यूनियन के नेता जो कुछ भी कहते हैं उस के अतिरिक्त एक सिद्धान्त प्रतिनिधिक दायित्व का है तथा किसी को दण्ड देने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस ने अपराध किया है या नहीं इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब न तो मैं किसी कमर्शल कन्सर्न (व्यापारिक संस्था) के मैनेजमेन्ट से ताल्लुक रखता हूं और न कोई कैपिटैलिस्ट (पूंजीपति) हूं कि जो इस बिल से घबराऊं । न मैं कोई लेबर या ट्रैड-यूनियन का रिप्रैजेंटेटिव (प्रतिनिधि) हूं जो यह चाहूं कि इस की वजह से किसी मैनेजमेंट पर किसी किस्म का नावाजिब बोझ डाल दिया जाय । मैं तो एक सीधा सादा अपने देश का सिटीजन (नागरिक) हूं और इसी हैसियत से मैं ने इस बिल को पढ़ा है । मैं इस बिल को बड़े जोर से सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैं यकीन रखता हूं कि स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) किसी भी मुल्क में, किसी भी वैलफेयर स्टेट में इतनी जरूरी और अहम चीज है कि जिस के बिना काम नहीं चल सकता । हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स की बहुत कमी है और इस की वजह से हमारे देश में ठीक नतीजे उन ऐदादी शुमार (आंकड़ों) से नहीं निकल सकते जो दूसरे मुल्कों में निकलते हैं । इस वास्ते मैं बहुत ऐंग्शस (उत्सुक) हूं कि स्टैटिस्टिक्स के मामले में गवर्नमेंट को पूरे अख्तियारात मिलें और स्टैटिस्टिक्स की हमारे यहां ऐसी हालत हो कि जिस से सही नतीजे हमारी वैलफेयर स्टेट निकाल सके । चुनांचि एक मिसाल जो इस के अन्दर दी गई है, जो आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में दी गई है उस से इस बात की ताईद होती है कि स्टैटिस्टिक्स के बिना ठीक हुए गवर्नमेंट को किसी भी काम के करने में कितनी मुश्किल है ।

मैं ने श्री एन० सी० चटर्जी साहब की स्पीच सुनी है जिस से नतीजता निकलता है कि वह किस कदर इस बात से खुश हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी तो सही है, लेकिन उन की राय में उस पर अमल दुरुस्त नहीं होता, जब तक स्टैटिस्टिक्स उन के पास न हों ।

मैं उन से इस बात में सहमत ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की खिदमत में बड़े जोर से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक स्टैटिस्टिक्स का सवाल है और जहां तक उस अहम नुक्ते का सवाल है जिस की वजह से हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब ने आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में (उद्देश्य तथा कारणों) दी है, मैं उस की तरफ खास तवज्जह दिलाना चाहता हूं। इस में कोई शक नहीं कि यह सवाल कोई रुपये आने का सवाल नहीं है। दर असल यह नैशनल प्रैसटीज (राष्ट्रीय प्रतिष्ठा) का सवाल है। यह सवाल इस (अम्र) बात का है कि हमारे लोग यह महसूस न करें कि फारैनर्स (विदेशियों) के मुकाबले में हमारे यंग मैन (नौजवान) अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते और जब कभी मौका मिले तो फारैनर को ज्यादा तनख्वाह दी जाय और हमारे आदमियों को कम तनख्वाह दी जाय। यह नैशनल प्राइड (राष्ट्रीय स्वाभिमान) का सवाल है, नैशनल प्रैस्टिज का सवाल है। साथ ही यह नैशनल सेफ्टी (सुरक्षा) का भी सवाल है, क्योंकि बहुत सारी की इंडस्ट्रीज फारैनर्स के हाथ में हैं। हमारी गवर्नमेंट इन फारैनर्स के साथ, इन सफेद चमड़े वालों के साथ पहले तो बहुत ज्यादा और उस के बाद अब कम तरजीह वाला सलूक करती है रही है। अब पहले के मुकाबले कम तरजीह है, लेकिन ताहम अभी भी तरजीह वाला उन के साथ सलूक है और हमारे लोगों को पूरा मौका हासिल नहीं होता। जब कि एक सफेद खाल वाला आदमी हमारी गवर्नमेंट के या किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में जाता है, तो यह मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स का कसूर है कि अगर वह सफेद मुंह वाला हो तो उस की खातिर तवाजह होती है, उस की ज्यादा सुनवाई होती है। जब गवर्नमेंट खुद इस तरह का ऐटीट्यूड रखती है तो क्या उम्मीद रखी जाय कि फारैनर्स जो इस मुल्क में रहते हैं वह हमारे नैशनल्स को ठीक जगह देंगे और अच्छा सलूक करेंगे।

मैं समझता हूं कि इस बिल के पास (पारित) होने से यह शिकायत गवर्नमेंट को नहीं रहेगी कि गवर्नमेंट के पास ठीक स्टैटिस्टिक्स न होने की वजह से वह इस मामले में पूरी तवज्जह नहीं दे सकी। मैं चाहता हूं कि आयन्दा गवर्नमेंट हाउस में यह जवाब न दे सके कि अमल इसलिये नहीं हो रहा है कि उस के पास स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। यह मिसाल गवर्नमेंट के पास मौजूद है। अगर यह मिसाल नहीं होती तो भी मैं बहुत सी मिसालें जानता हूं कि जिन में इस तरह का सलूक होता है। लेकिन गवर्नमेंट यही कहती कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। इसलिये मैं इस बिल को बहुत जोर से सपोर्ट करता हूं और चाहता हूं कि यह बिल पास हो।

इस को सपोर्ट करते हुए यह मैं जरूर महसूस करता हूं कि "ऐनी मैटर" इस लफ्ज से मामला बहुत काफी वाजह हो जाता है। लेकिन साथ ही यह भी बात है कि इस के अन्दर पहले लफ्ज "स्टैटिस्टिक्स अबाऊट ऐनी मैटर" न हों तो जिन मामलों में स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते वे इस में नहीं आ सकते। अगर "ऐनी मैटर" न लिखा जाय तो गवर्नमेंट को इस के अन्दर काफी ज्यादा डिटेल देने पड़ते और पता नहीं वह डिटेल काफी भी होते या नहीं। इसलिये मैं नहीं घबराता हूं कि लफ्ज "ऐनी मैटर" इतना वाजह लिख दिया गया है। मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर अमल करे और मैं खुश हूं कि गवर्नमेंट ने इस को रखा है। यह ही दिक्कत लेबर मैटर्स में भी आई थी और उस में गवर्नमेंट को महसूस करना पड़ा और चन्द मामले दर्ज करने पड़े और बाकी उस में दाखिल नहीं हो सके, क्योंकि उन्हों ने लेबर के बारे में "ऐनी मैटर" लफ्ज पसन्द नहीं किया।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चुनांचे एक अमेंडमेंट मेरी इस में है और कई एक अमेंडमेंट दी गई हैं जिन के बारे में यह बिल साइलेंट (चुप) था । इस वास्ते इस लफ्ज "ऐनी मैटर" से मुझे कोई घबराहट नहीं है । मुझे घबराहट है तो एक और चीज से है जिस का हवाला हमारे मोअज्जिज दोस्त श्री एन० सी० चटर्जी साहब ने दिया और बाद को श्री तुलसी दास किलाचन्द जी ने जिस का हवाला दिया ।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

जनाब वाला, जब कभी हम किसी गवर्नमेंट को पावर्स देते हैं तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पूरे पावर्स मिलें और हम चाहते हैं कि उन पावर्स का जायज इस्तेमाल हो । लेकिन कौन ऐसा शख्स हाउस में है जिस का तजुर्बा नहीं है कि बहुत से मामलों में गवर्नमेंट जब उन का इस्तेमाल करती है तो बहुत से आफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि उन को अब्यूज (दुरुपयोग) करते हैं । तो इस चीज को हमें देखना है । इस हाउस में हम पावर्स तो दें, लेकिन ऐसी हालत जरूर बना दें कि वे पावर्स अब्यूज न की जायें । मैं चाहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में पूरी पावर्स गवर्नमेंट को मिलें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स न होने की वजह से हर एक चीज का इन्तजाम नहीं किया जा सकता । लेकिन ताहम कौन ऐसा शख्स है जिस के तजुर्बे में नहीं आया कि चाहे जब गवर्नमेंट के अफसरान इस तरह से सैक्शन को कंसट्रू करते हैं, (धाराओं का अर्थ लगाते हैं) इस तरह से पावर्स का इस्तेमाल करते हैं जिस से कि लोगों के हकूक पर असर पड़ता है । इसलिये जहां हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पावर्स पूरे हों, वहां हम यह भी चाहते हैं कि लिबर्टी आफ सब्जैक्ट्स (प्रजा की स्वतन्त्रता) में इस तरह से नावाजिब इंटरफियरेंस (हस्तक्षेप) न हो । लोगों को यह महसूस न होना चाहिये कि उन के हकूक छीने जा रहे हैं । इस वास्ते हर एक चीज में बैलेंस (सन्तुलन) करना पड़ता है, ज्युडीशश बैलेंस करना पड़ता है कि गवर्नमेंट को इस तरह से पूरे पावर्स दें तो साथ ही इस तरह से रैस्ट्रेन (निबन्धित) भी कर दें कि जिस से लोगों की बैगैरीज (दुष्कल्पनाओं) की वजह से खराब असर पैदा न हो सके और उन का बेजा इस्तेमाल न हो सके ।

इस वास्ते जब मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसी भी बारे में स्टैटिस्टिक्स के बारे में हुक्म दे, किसी आदमी को हुक्म दे, किसी कमर्शियल एन्ड इंडस्ट्रियल कंसर्न को हुक्म दे कि वह अपने स्टैटिस्टिक्स भेजे और मैं समझता हूं कि जिन को ऐसा करने का हुक्म मिले, वह उसे मुहय्या करे और यह जायज हुक्म है और जो शख्स इस की तामील नहीं करता, गलत तौर पर तामील करता है या इस तरह से तामील करता है जिस से देश का इंटरेस्ट सर्व (लाभ) नहीं होता है, ऐसे फाल्टी लोगों के लिये हम ने इस बिल में पेनाल्टीज प्रोवाइड (अर्थ दण्ड का प्रबन्ध किया) है क्योंकि उस हालत में वह मुजरिम है और उस को सजा दी जायेगी । इस सिलसिले में मोरे साहब ने जो तनकीद की है उस को मैं आगे चल कर देखूंगा कि वह कहां तक जायज है । हमें देखना चाहिये कि हम ने पनाल्टीज की दफा में उन अफसरों को क्या पावर्स दी हैं और क्या उन के पास इतनी पावर्स हैं कि वह उन का मिस्यूज कर सकें, हमें देखना चाहिये कि हम उन अफसरों को क्या पावर्स देते हैं और आया वह लोगों को खामखा पेनेलाइज कर सकते हैं या नहीं । दफा पांच की रू से स्टैटिस्टिक्स अथारिटी को हम ने यह पावर्स दी हैं कि वह किसी भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंसर्न से स्टैटिस्टिक्स के बारे में इनफारमेशन (जानकारी)

या रिटनस् दरयाफ्त कर सकती है, यह पावर्स जो दफा पांच में दी गई है बड़ी वाजे और मौजूं हैं, और इस दफा के अन्दर सारी चीज मौजद हैं और वह किसी भी पर्सन (व्यक्ति) या कंसर्न (संस्था) से इस तरह की इनफार-मेशन या रिटर्नस् मांग सकते हैं, इस सब के वास्ते प्रावीजन मौजूद हैं ।

लेकिन जहां तक दफा ६ का ताल्लुक है मुझे यह जरूर तसलीम करना पड़ता है कि उसे देख कर कुछ हैरानी पैदा होती है । दफा ६ जो राइट आफ एक्सेस टु रेकार्डस् आर डाकुमेंट्स (अभिलेख तथा दस्तावेज देखने का अधिकार) के मुताल्लिक है उस के ऊपर गवर्नमेंट को जरूर फिर से गौर करना पड़ेगा । हम यह जानते हैं कि कई सूरतों में लोग सही स्टैटिस्टिक्स अपने प्राइवेट (निजी) फायदे की खातिर नहीं देना चाहते, खसूसन ऐसी इंडस्ट्रीज जो नाजायज फायदा उठाती हैं और जो अपनी सही कास्ट नहीं बतलाना चाहतीं, जो अपनी बहुत सी बातें छिपाना चाहती हैं और जिस के कारण कंजूमर्स को नुकसान होता है, ऐसी हालतों में मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस तरह की पावर हासिल हो जिस से वह उन लोगों से सही स्टैटिस्टिक्स और रिटर्नस् हासिल कर सके, लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक यह न साबित हो जाय कि कोई शख्स या इंडस्ट्रियल कंसर्न दफा पांच के अन्दर जो स्टैटिस्टिक्स और रिटर्नस् उस को दाखिल करने का हुक्म दिया गया है, वह उस की ठीक तरह तामील नहीं करती, सही इत्तिला देने से वह शख्स इंकार करे या ऐसे स्टैटिस्टिक्स दे जिन के ऊपर एतबार न किया जा सके, तभी दफा ६ का इतलाक होना चाहिये और उस हालत में गवर्नमेंट यह हुक्म जारी कर दे कि उस शख्स के घर में या फैक्टरी की प्रीमिसेज में दाखिल हो जाय और वहां जा कर उस के जो रेकार्डस् और डाक्यूमेंट्स् हों उनको देखने की कोशिश और सही इत्तिला इकट्ठा करने की गरज से उन से सवालात पूछे, इस के अलावा मेरी अदब से गुजारिश है कि दूसरी हालतों में स्टैटिस्टिक्स अथारिटी को यह पावर नहीं होनी चाहिये कि वह एक आदमी के घर में या उस की फैक्टरी में जा कर डाकुमेंट्स को तलाश करे और उससे पूछताछ करे, क्यों कि फंडामेंटल राइट्स रूल्स के मुताबिक हर एक आदमी का घर और उस की वर्किंग प्लेस ऐसे हमलों से मुबर्रा होती है और इस वास्ते यह सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है कि रुथलेसली दफा ६ का इस्तेमाल न किया जाय, दफा ६ का इस्तेमाल तभी किया जाय जब दफा पांच के मुताबिक कोई शख्स या कमर्शियल कंसर्न अपने रिटर्नस् सही सही दाखिल नहीं करते हैं या इंकार करते हैं । और जैसा मेरे भाई श्री तुलसीदास किलाचन्द ने फरमाया कि कई सूरतों में इस दफा ६ में दी गई पावर्स को एब्यूज किया जा सकता है । स्टैटिस्टिक्ल अथारिटी को दफा ६ का प्रयोग तभी करना चाहिये जब वह देखे कि ऐसी इनफारमेशन दफा पांच के जरिये उसे नहीं मिल रही है और जिस के न मिलने से पबलिक इंटरेस्ट को नुक्सान पहुंचेगा, तभी उस को दफा ६ के मुताबिक हुक्म जारी करना चाहिये कि उस शख्स या कंसर्न की प्रीमिसेज में एक्सेस हासिल कर के उस के डाकुमेंट्स, रिटर्नस् और इनफारमेशन को देखे और इक्ट्ठा करे और उन से पूछताछ भी कर सकता है । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि दफा ६ की जो वर्डिंग (शब्द रचना) है, मैं उस को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सका ।

सिर्फ ऐक्सेस का हुक्म देने से ही और किसी की प्रीमिसेस में दाखिल होने का राइट दे कर ही आप का मकसद हासिल नहीं होता, क्योंकि अगर मौके पर जा कर भी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आप को ठीकठीक इनफारमेशन नहीं मिलती या वह शख्स मौजूद न हो तो क्या किताबें और डाकुमेंट्स जो वहां पर मिलेंगी, वह बोलेंगी, ऐसी हालत में इस दफा के अन्दर यह चीज साफ होनी चाहिये थी और इस का लाजिकल कौंसीक्वेन्स (परिणाम) यह होना चाहिये था कि अगर वहां मौके पर कोई शख्स मौजूद न हो और इनफारमेशन देने वाला न हो तो उन डाकुमेंट्स को सीज कर ले और उन डाकुमेंटस से इनफारमेशन हासिल कर ले, किसी को पकड़ना तो हमारा मकसद नहीं है, असल में मकसद तो इनफारमेशन लेने का है। अगर जवाब देने वाला वहां पर मौजूद न हो और किताबें और दूसरे मतलब के कागजात वहां पर पड़े हों, और स्टैटिस्टिक्स इस किस्म के हों कि जिन का न आना लोगों के हितों को बाधक हो और नुक्सान पहुंचता हो, उस सूरत में गवर्नमेंट को चाहिये कि लाजिकली प्रोसीड करना चाहिये और अथारिटी को अख्तियार दे कि वह वहां जांय और अगर वहां वह शख्स जो इनफारमेशन दे सकता हो मौजूद न हो, तो वहां मिले हुए डाकुमेंट्स और दूसरे कागजात को सीज कर लें और इनफारमेशन और सही सही रिटर्नस् मालूम करने के बाद वह कागजात उन को वापिस कर दिये जायें। इसलिये जनाब वाला जहां हम दफा ६ में यह लफ्ज देखते हैं : "पहुंच में होंगे" इस के साथ ही अब तक आप स्टैटिस्टिक्स अथारिटी को यह अख्तियार न दें कि वह जा कर उन खास हालतों में जिन का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, किसी शख्स के मकान में दाखिल हो सके और उस के डाकुमेंट्स और दीगर हिसाब किताब की किताबों को पकड़ सकें, उस वक्त तक यह दफा ६ बेमानी हो जाती है। हमें इस के बारे में बिल्कुल साफ होना चाहिये। प्रश्न पूछे जायें किस से ? किस सम्बन्ध में ? हम को बिल्कुल साफ अपने दिमागों में रखना है, साफ लिखना चाहिये कि किन लोगों का फर्ज है कि जवाब दें, किन बातों का जवाब दें और अगर उस का जवाब भी न मिले तो क्या किया जाय, मुझे अदब से अर्ज करना है कि मौजूदा दफा में इस के वास्ते कोई प्रावीजन अब नहीं है। अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो इस में कोई प्रावीजन (प्रबन्ध) नहीं है जिस से इनफारमेशन हासिल की जा सके और इस लिये इस का प्रावीजन किया जाना जरूरी है।

मैं अर्ज करूंगा कि इस के आगे क्लाज ८ (२) में फिलवाक़या "स्वेच्छा से" लफ्ज़ की क़तई जरूरत नहीं है। "उपलब्ध करता है" या "उपलब्ध कराता है" काफी है। जहां भी यह अल्फाज़ हैं "व्हिच ही नोज टु बी फाल्स" अगर उस को पता है कि वह झूठ है, और वह उसे फर्निश करे, और उस के बाद विलफुली हट जाय, तो जुर्म तो उतना ही हो गया, जुर्म हो गया उस को झूठ बनाने का लेकिन फिर भी आप उस का ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इस लिये आप को दो चीजें रखनी चाहियें, वरना हर एक आदमी बच जाएगा "व्हिच ही नोज टु बी फाल्स" इज नाट सफिशिएन्ट। अगर हम यकीन करते हैं कि यह चीज झूठ है तो बजाय खुद करने के किसी दूसरे आदमी के जरिये फर्निश करा देते हैं। यह उतना ही खराब फेल है जितना खराब कि वह फेल जिसे कि हम जानते हैं कि झूठ है, इसलिये मोरे साहब का क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज है कि 'व्हिच ही नोज आर बिलीवज़ टु बी फाल्स' जब तक आप "बिलीवज़" का लफ्ज नहीं रखते उस वक्त तक यह कानून बेमानी होगा, क्योंकि यह साबित करना होगा कि "ही निउ इट टु बी फाल्स।" जनाब मुलाहिजा फरमायें कि आई० पी० सी० की

दफा १९१ और १९३ में यह तीनों चीजें लिखी जाती हैं "व्हिच ही नोज टु बी फाल्स आर बिलीव्ज टु बी फाल्स, आर डज नाट बिलीव टु बी ट्रू।" लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि "डज नाट बिलीव टु बी ट्रू" ज्यादा सख्त है क्योंकि यह तो स्टैटिस्टिक्स का मामला है, लेकिन जहां तक "बिलीव्ज" का मामला है यह जरूरी है कि यह लिखा जाय कि "व्हिच ही नोज आर बिलीव्ज टु बी ट्रू"।

अगली चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस क्लाज ८ के अन्दर एक 'इम्पीड' का लफ्ज़ है।

हमारी कामर्स मिनिस्ट्री एक नया लफ्ज इस्तेमाल करती है दफा ८ में।

दफा शब्द का क्या अर्थ है। धारा ६ के अधिकारों का प्रयोग कर के कोई भी कह सकता है कि अमुक व्यक्ति अन्दर जाने का अधिकार रखता है और उस को रेकार्ड देखन का अधिकार है। यदि कोई क्लर्क आपत्ति करे तो वह अड़चन डालता है या 'इम्पीड' करता है या वह केवल इतना कहे कि "मालिक नहीं है, कृपा कर के अन्दर न जाइय" तो भी वह इम्पीड करता है।

मैं इसके आगे चल कर जनाब की खिदमत में दफा ९ के ऊपर अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि उस पर बहुत बहस की गई है। दफा ९ में दो विउज एक्स्प्रेस (मत प्रदर्शित किये गये) की गई हैं। नम्बर ए मोरे साहब ने एक्स्प्रैस की है जिन की राय दफा ९ के हक में है क्योंकि वह इंडस्ट्रियल कन्सर्न के मैनेजमेन्ट के सिलसिले में है। दूसरी विउ मेरे लायक दोस्त तुलसी दास किलाचन्द ने जाहिर की है जो फरमाते हैं कि इस की भी मनाही होनी चाहिये कि मर्डरर (हत्यारे) को भी सजा न दी जाये जब तक कि उस के खिलाफ जुर्म न साबित हो। तो कारखानेदार पर क्यों बारे सबूत रक्खा जावे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सेक्शन ९ जो है वह दो कन्फलिक्टिंग विउस के बारे में कम्प्रोमाइज प्रोपोजीशन (मध्यम मार्ग) है और वह इस तरह पर है कि जहां तक सवाल किसी ऐसे आदमी का है वह दफा २ में दर्ज है। उस में यह लिखा गया है कि यदि कोई अपराध मैनेजर, सेक्रेटरी या डायरेक्टर आदि की अनुमति अथवा अवहेलना के कारण किया गया हो तो ऐसे पदाधिकारियों को भी अपराधी समझा जायगा।

मेरी समझ में नहीं आया अब तक कि इस चीज़ से मोरे साहब क्यों नाराज हैं और क्यों इस दफा दो के मुतजाद ख्याल फरमाते हैं। इस के अन्दर वह चीज़ दर्ज है जिस के वास्ते हम हमेशा झगड़ते रहे हैं और वह झगड़ते रहे हैं कि अगर किसी आदमी की कन्सेन्ट से, कनाइवेन्स से या किसी के कहने से या नेगलैक्ट से जुर्म हो तो गो नैगलेक्ट के बहुत कम जुर्म ऐसे बनते हैं जिन में पेनेलाइज किया जा सके। बहुत थोड़े जुर्म हैं जिन में नैगलेक्ट की वजह से आदमी को सजा दी जाय, लेकिन ताहम कल्पेबल नैगलेक्ट होता है जिस में आदमी का फर्ज है कि वह थोड़ा सर्कम्स्पेक्शन करे।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी में बोलें क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि वह मेरा विरोध कर रहे हैं जब वे वास्तव में मेरा समर्थन करते होते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस दर्खास्त को मंजूर करने से पहले अपने लायक दोस्त से जो यह फर्माते हैं यह काउन्टर दर्खास्त करूंगा कि उन को कोशिश करनी चाहिये कि वह मेरी टूटी फूटी हिन्दी को समझ सकें। मेरे लायक दोस्त को यह दर्खास्त मिनिस्ट्री से करनी चाहिये कि बिल हिन्दी में छपा करें--मेरी भी यही शिकायत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है कि हिन्दी में बिल नहीं छपा करते । पेश्तर इस के कि यह दरख्वास्त मुझ से की जाय ।

मुझ को अफसोस है कि जो कुछ मैं ने कहा उस को मैं इस तरह से अदा नहीं कर सका कि मेरे लायक दोस्त उस को पूरी तरह समझ सकते । लेकिन इस में कुछ थोड़ा सा कुसूर मेरा है और वह यह कि अपनी स्पीच में मैं बिलकुल शुद्ध हिन्दी इस्तेमाल नहीं करता हूं । यह तो आदत का सवाल है । हिन्दी में थोड़े से अलफाज उर्दू के भी होते हैं । लेकिन चूंकि यह आदत का सवाल है, वह कुछ दिनों के अन्दर बदल नहीं सकती । मैं कोशिश करता हूं लेकिन ताहम वक्त लगेगा । इसलिये मैं उस जबान में बोलूंगा जिस में करमरकर साहब कहते हैं ।

श्री करमरकर : मैं अंग्रेजी बोलने के लिये नहीं कहता हूं, मैं हिन्दी समझता हूं । परन्तु जब वे श्री मोरे की बातों का जवाब दें तो उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिये क्योंकि वे समझ नहीं पायेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं खण्ड ९ के उप खण्ड (२) के सम्बन्ध में कह रहा था कि श्री मोरे ने इस के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई है उस के लिये इस में कोई स्थान नहीं है । यदि कोई अपराध के सम्बन्ध में सहमति हो, या उस के घटित होने के सम्बन्ध में उपेक्षा से काम ले, या उस अपराध के घटित होने का कारण मैनेजर डाइरेक्टर की कोई लापरवाही हो, तो साधारण विधि की दृष्टि में यही अनुमान होगा कि उस ने अपराध किया है । अतः उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । "या उस का कारण कोई लापरवाही हो" यह शब्द अगर न हों तो अच्छा हो ।

खण्ड ९ (१) के सम्बन्ध में श्री तुलसीदास किलाचन्द ने आपत्ति की है कि इस में प्रतिनिधित्व दायित्व को भी स्थान दिया गया है । ऐसे उपबन्ध न केवल इस में बल्कि अनेक अधिनियम में देखे गये हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम देखते हैं कि ऐसे उपबन्ध केवल इस लिये रखे गये हैं कि जिस से कम्पनी का जो भी उत्तरदायी व्यक्ति हो वह कम्पनी तथा सरकार के सारे ही व्यवहारिक कार्यों के लिये भी उत्तरदायी ठहराया जा सके। यदि इस में अपवाद न लगाये जायें तो सम्पूर्ण दायित्व उसी पर होगा । किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति अस्पताल में बीमार पड़ा है तो दायित्व उस पर न होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं समझता हूं कि उस धारा का इस प्रकार स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि किसी व्यक्ति को स्पष्टतः उत्तरदायी ठहरा दिया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : "प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व" का रहना आवश्यक है जिस से कि उत्तरदायित्व प्रमुख व्यक्ति पर रह सके और यदि किन्हीं मामलों में वह निर्दोष है तो वह बच भी सकता है । अब सरकार ने इस में काफी उन्नति कर ली है और यह अधिक तर्कपूर्ण हो गया है । अतः मैं खण्ड ९ का समर्थन करता हूं ।

खण्ड ८ के सम्बन्ध म में पहले ही निवेदन कर चुका हूं ।

मैं इस के सिद्धान्त का विरोध नहीं करता हूं किन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि उचित रक्षा का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये जिस से लोगों की स्वतन्त्रता का अपहरण न हो सके। इस सम्बन्ध में एक मामले में कुछ अधिकारियों को जेल की हवा तक कुछ घंटों के लिये खानी पड़ गई । यह धारणा कि वह सम्मानित व्यक्ति है, अतः प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व

उस पर होना चाहिय, सिद्धान्ततः गलत है । इस प्रकार के नियम बनाने से मौलिक अधिकारों का फिर क्या उपयोग रह जाता है । आज न्यायिक स्वतन्त्रता की बड़ी कमी है । केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को छोड़ कर मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले की जांच करें और यह देखें कि इन अधिकारों का उपयोग करने में वैयक्तिक स्वतंत्रता को ठेस न लगन पाये तथा न्याय निष्पक्ष एवं विद्विन्तापूर्वक हो ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूव) : सरकार ने आंकड़ों का संकलन करने में अपने अधिकार की कमी दिखाई है । सरकार को इस सम्बन्ध में सतर्क रहने की आवश्यकता है और उसे चाहिये कि उन विदेशी फर्मों को यह जता दे कि यदि उन्हों ने भारत सरकार को उचित आंकड़ न भेज तो उन का कार्य दण्ड पाये बिना न चल सकेगा । विदेशियों का हाथ होने से भारत में मनमानी प्रश्नावलियां बन जाती हैं और स्वीकार कर ली जाती हैं । अब हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस ओर प्रयत्नशील हैं तथा उस को समूल नष्ट कर उचित कार्यवाही करने वाले हैं । विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों की अवश्यक नियुक्ति एक अनुपात में करने के आश्वासन के सम्बन्ध में श्री टी० के० चौधरी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया कि यह 'भलमनसाहत का समझौता' नहीं था । उन्हों ने ऐशोसियेटेड चेम्बर्स के सम्मुख भाषण में बताया कि उन के मस्तिष्क में इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित धारणा थी । उन्होंने अभिभाषण किया कि कम से कम बीमा व्यापार का ५० प्रतिशत तथा विदेशी कम्पनियों के जहाजरानी व्यापार का अधिक प्रतिशत भारतीय कम्पनियों को मिलना चाहिये और उन्हों ने यह आशा भी दिलाई कि ये विदेशी जिन के साथ भारतीय नागरिकों जैसा उदारतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें भारत सरकार के प्रति उस उत्तरदायित्व को पूर्णरूपेण निभाना भी चाहिये । इस के अतिरिक्त कामर्स में मैं ने पढ़ा था कि इन विदेशी कम्पनियों ने आश्वासन दिलाया था कि कुछ प्रविधिक पदों के अतिरिक्त वे भारतीयों की नियुक्ति करेंगे । उन की नियुक्ति हो या न हो इस का प्रश्न नहीं है किन्तु प्रश्न यह है कि सरकार इस बात का पता लगाये कि इन कम्पनियों में भारतीयों की स्थिति क्या है? भारत सरकार ने भारतीय करण के लिये बड़ा जोर लगाया तथा उत्साह दिखाया । किन्तु महान आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारी सरकार विदेशी पूंजी को आकर्षित कर रही है या विदेशियों को ही उन की ही शर्तों पर आमन्त्रित कर रही है । जब तक कि यह विरोधाभास चलेगा तब तक आप विदेशी कम्पनियों में कायकारिणी पद अनिवाय रूप से भारतीयकरण के नाम पर भला किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे । इसी प्रकार विदेशी नीतियों के क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा यहां भी हम इस प्रकार के ज्वलन्त विरोधी उदाहरण पाते हैं ।

एक ओर कभी कंभी हम लोग तथा हमारी सरकार लोगों के विचारों पर यह प्रभाव डालती है कि इस प्रकार की कार्यबाही होनी चाहिये किन्तु सरकार किन्हीं अन्य दायित्वों तथा वादों से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विवश होने के कारण वैसा करने में समर्थ नहीं हो पाती । यदि हम आर्थिक क्षेत्र में विदेशी पूंजीपतियों का सहारा लेते हैं तो भले ही हम सन्तुष्ट हो जाय काफी धन पा कर किन्तु देश सरकार से जो कराना चाहता है वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता । फिर भी सरकार का ध्यान कड़े संकलन की ओर आकर्षित हो चुका है यद्यपि सीमित क्षेत्र तक ही किन्तु इस विधेयक द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

योजना आयोग के प्रतिवेदन के पढ़ने से आंकड़ों के संकलन की महत्ता स्पष्ट हो जाती है क्योंकि आंकड़ों की कमी के कारण उस के कार्य में बाधा उपस्थित होती है। जब नमूने का राष्ट्रीय परिमाप का प्रथम प्रतिवेदन छपा तो बड़ी हाय-तोबा मची थी क्योंकि अन्नों के उत्पादन के राजकीय अनुमान के आंकड़ों तथा वास्तविक उत्पादन में बड़ा अन्तर निकला। यह अन्तर ३५ प्रतिशत से भी अधिक था। मुझे इंडियन स्टैटिस्टिक्स इस्टीटयूट तथा नमूने के राष्ट्रीय परिमाप के विरोध में कुछ नहीं कहना है। किन्तु यह परिमाप उस प्रकार नहीं हो रहा है जैसा कि वादा किया गया था। उदाहरण के लिये त्रुटि की सम्भावना के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गया है और जब तक ऐसा न किया जायगा तब तक नमूने के राष्ट्रीय परिमाप से वे बहुमूल्य परिणाम न निकल सकेंगे जिन की आशा की गई थी। इस परिमाप का दूसरा प्रतिवेदन कालातीत हो चुका है, और हम यह नहीं जानते कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। इंण्डियन स्टैटिस्टिक्स इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, जिस को यह परिमापन कार्य सौंपा गया था तथा गोखले इन्स्टीट्यूट पूना जिस के प्रोफैसर गाडगिल अध्यक्ष हैं। इन दोनों संस्थाओं को एक दूसरे का पूरक होना चाहिये तथा आवश्यक सूचना देनी चाहिये थी जिस के आधार पर राष्ट्रीय आय पर जांच पूरी की जा सकती थी। अभी तक इन संस्थाओं के विषय में जब तक सब तथ्य उपलब्ध न हो जायें, कुछ कहना सम्भव नहीं। किन्तु जब सदन के सम्मुख आंकड़े संकलन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है तो इन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रो० गाडगिल नमूने के राष्ट्रीय परिमाप के तात्पर्य तथा उद्देश्यों के घोर विरोध में हैं। उन्हों ने विभिन्न विभागों की आंकड़ा संकलन एजेंसियों का भी निर्देश किया है। मेरे विचार से इन एजेन्सियों ने बहुत बड़ा काम किया है किन्तु इन आंकड़ों के संकलन को इस ढंग से केन्द्रित किया जाना चाहिये कि जिस से वे सम्पूर्ण देश के हित में सिद्ध हो सकें। प्रो० गाडगिल इस मामले में बहुत दूर तक चले गये हैं। उन्हों ने बहुत सी सरकारी एजेंसियों का उल्लेख किया है जो कि दैनिक प्रशासन कार्य करती हैं। तथा इस के साथ ही आंकड़ों के संकलन करने का कार्य भी करती हैं। उन का कहना है कि अब नमूने का एक सर्वांग राष्ट्रीय परिमाप होने जा रहा है तथा यह भी जोड़ते हैं :

"यह निश्चय ही इस के एक क्षेत्र के पश्चात् दूसरे क्षेत्र पर एक विस्तृत तथा साम्राज्यवादी आन्दोलन के रूप में अनधिकार कब्जा कर लेने की ओर ले जायगा।"

ये शब्द 'साम्राज्यवादी आन्दोलन' एक सर्वविख्यात अर्थ शास्त्री द्वारा प्रयोग में लाये गये थे जो थोड़े बहुत सांख्यिक भी हैं। हमारी सम्पूर्ण आर्थिक योजना ही आंकड़ों के संकलन पर आधारित है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह सभी से निजी ऐजेन्सियों फर्मों तथा, कम्पनियों आदि के आंकड़ों का संकलन करे चाहे वह भारतीय हों अथवा विदेशी। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में विधान बन जायेगा जिस से विभिन्न विभागों में आंकड़ों का संकलन किया जा सके। मैं चाहूंगा कि यह उपाय शीघ्र ही कार्यान्वित किये जा सकेंगे तथा अबाध गति से इन के अनुसार आंकड़ों का संकलन होता रहेगा। मैं यह भी चाहूंगा कि सदन उन विशेष उपबन्धों को और भी जकड़ देगा जिस से वे फर्में जो आंकड़े देने का उत्तरदायित्व नहीं संभाल सकेंगी उन को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री टेक चन्द : मैं इस विधेयक की नीति का समर्थन करता हूं । आंकड़ों का होना आवश्यक है और उन के अभाव में किये गये त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन हानिकारक हो सकते हैं । अतः तथ्यों को जमा करने और सूचना प्राप्त करने के लिये जो भी अधिकार सरकार को अपेक्षित हों वह हमें प्रसन्नतापूर्वक उसे देने चाहियें । परन्तु विधेयक की शब्दावली पर पुनः विचार करना आवश्यक है : श्री तुलसीदास जी ने जो आशंकायें प्रकट की हैं वह प्रायः काल्पनिक हैं । खण्ड (३) (क) और ३ (ख) की शब्दावली से स्पष्ट है कि जांच व्यापारिक तथा औद्योगिक दोनों प्रकार के व्यवसायों में की जायेगी और उन की प्रत्येक शाखा को इस के अन्तर्गत लाया जायगा । इस का यह आशय नहीं है कि आंकड़ों के प्रभारी अधिकारी विभिन्न निजी व्यवसायों को चलाने वाले व्यक्तियों के मामले में नाक घुसेड़ते फिरेंगे, आंकड़े केवल मात्र उन्हीं चीजों के इकट्ठे किये जायेंगे जिन को सरकार महत्वपूर्ण समझती है और जिन का उस व्यवसाय विशेष की व्यापारिक तथा औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है । मुझे दण्डनीय खण्डों ८, ९ तथा १० की भाषा में के सम्बन्ध में कुछ अशंकायें हैं । पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात से मेरी सहमति है कि शब्दावलि 'अभिलेखों को प्राप्त करने के अधिकार में बाधा डालती हैं' । ऐसे दण्डनीय खण्डों की भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिये ।

दूसरी बात दण्ड के सम्बन्ध में है । ऐसे अपराधों के लिये ५०० रुपये तक के जुर्माने के दण्ड तक की व्यवस्था की गई है और अग्रेतर अपराध करने पर २०० रुपये प्रति दिन जुरमाने के दण्ड की व्यवस्था है । खण्ड ९ में जो सिद्धान्त रखा गया है उस की भावना अपराधीय न्याय शास्त्र के बिल्कुल प्रतिकूल है । न्याय शास्त्र का कहना है कि जब तक अपराध करने की इच्छा न हो तो किसी भी कार्य को दंडनीय नहीं माना जा सकता है । परन्तु कभी कभी अपराध करने की इच्छा न होने पर भी केवल इसी लिये दण्ड दिया जाता है ताकि लोग सचेत रहें । परन्तु इस खण्ड के अनुसार न केवल अपराध करने पर दण्ड दिया जायगा अपितु लापरवाही के लिये दण्ड दिया जायेगा । अपराधीय न्यायशास्त्र में ऐसी व्यवस्था से घृणा प्रकट की गई है, अतः इस विधेयक के उपबन्ध सामान्य विधि को देखे बहुत भिन्न हैं ।

खण्ड ९ (१) में एक और प्रतिवाद है । किसी सार्थ को दण्ड देने की बात तो समझ में आती है, परन्तु इस खण्ड में तो सार्थ के साथ साथ उस सार्थ को गतिविधि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड दिये जाने का उपबन्ध किया गया है । अग्रेतर उपबन्ध यह भी है कि ऐसे व्यक्तियों अथवा सार्थ को अपराधी समझा जायेगा और उन के विरुद्ध कार्यवाही ही की जायेगी । परन्तु खण्ड २ इस के प्रतिकूल है । खण्ड २ के उपखण्ड (१) में अपराध सिद्ध हो जाने पर जान बूझ कर अपराध करने वालों को दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है, परन्तु उपखण्ड (२) में इस के विपरीत यह कहा गया है कि केवल लापरवाही के कारण भी उन को दण्ड दिया जायेगा । मेरा निवेदन है कि विधेयक की भाषा इस प्रकार सुधारी जाये जिस से कि कोई परस्पर विरोधी बातें न रहें । इस के अतिरिक्त अपराधीय न्यायशास्त्र न केवल उन व्यक्तियों के दण्ड दिये जाने से घृणा करता है जिन से बिना मूल से सोचे विचारे अपराध हो गया है अपितु वह एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे को दण्ड दिये जाने का भी विरोध करता है । यदि अनजाने में किये गये अपराध के लिये दण्ड दिया जाये तो बात कुछ समझ में आती है परन्तु किसी के बदले किसी अन्य व्यक्ति को दण्ड देना तो दण्ड प्रणाली के सिद्धान्तों के एक दम प्रतिकूल है ।

[श्री टेक चन्द]

खण्ड १० में संग्रह अधिकारी द्वारा जान बूझ कर भेद खोल दिये जाने के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है। उन को असावधानी से भेद खोल देने के लिये दण्ड क्यों न दिया जाये ? सरकारी गुप्त सूचना के प्रकट कर दिये जाने पर भी उन को तभी दण्ड दिया जा सकेगा जब कि यह सिद्ध हो जाये कि यह कार्य उन्हों ने जान बूझ कर किया था। यदि लापरवाही को इस विधेयक में दण्डनीय अपराध माना गया है तो आंकड़ों की गोपनीयता के लिये प्रभारी व्यक्ति द्वारा अनुचित रीति से सूचना का प्रकट कर दिया जाना भी दण्डनीय अपराध समझा जाये। इन विचारों के साथ मैं इस विधेयक के आधारभूत सिद्धान्त का समर्थन करता हूं।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): विदेशी सार्थों की बात मैं ने अस्थायी संसद् में भी उठायी थी और १३ बड़े बड़े सार्थों की एक काली सूची बनाई थी। उस समय किसी भी समाचार पत्र ने मेरा भाषण प्रकाशित करने का साहस नहीं किया था, इस का कारण यह था कि समस्त भारतीय समाचार पत्र विदेशी सार्थों के प्रभाव में हैं क्यों कि उन को उन सार्थों से पांच करोड़ रुपये के विज्ञापन प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। केवलमात्र मेरे अपने पत्र फोरम ने उसे प्रकाशित किया था जिस का परिणाम यह हुआ कि तीन विदेशी सार्थों ने विशेषतया फायरस्टोन तथा इम्पीरियल कैमिकल्स ने अपने विज्ञापन देने बन्द कर दिये। दुख की बात है कि भारत का स्वतन्त्र प्रेस, जो कि ब्रिटिश राज्यकाल में भी अपनी देश भक्ति, साहस तथा चरित्र के लिये प्रसिद्ध था इन विदेशी सार्थों की धन रूपी गोलियों का मुकाबला नहीं कर सका। जब तक भारतीय विज्ञापक मैदान में नहीं आते हैं या केवल मात्र ५० लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किये जाते हैं, जब तक लिवर ब्रादर्स का आधी दुनिया पर आधिपत्य बना रहता है और उसे विज्ञापन की मद में ७० लाख रुपया खर्च करने की अनुमति प्राप्त है तब तक भारतीय प्रेस का भविष्य अंधकार में ही है।

मैंने यह सब इसलिये कहा क्योंकि भारत सरकार अभी अंधेरे में ही हाथ पैर फेंक रही है। भारतीय सरकार विदेशी सहायता और विदेशी पूंजी प्राप्त करने की इच्छुक है और वह विदेशी सार्थों का स्वत्व-निरसन कर के बदनाम नहीं होना चाहती है। इस देश से १६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाहर चला जाता है। सरकार जो अधिकार चाहती है वह केवलमात्र आंकड़ों के सम्बन्ध में अथवा सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। विदेशों में प्रविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त हमारे नवयुवकों को सरकारी नौकरी न मिलने पर कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिल पाती है। अतः विदेशी सार्थों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विभाजन से इन विदेशी सार्थों को सब से अधिक लाभ हुआ है। उन्हों ने पाकिस्तान में अपनी नई शाखायें खोल ली हैं। हम नहीं चाहते कि इन विदेशी सार्थों द्वारा बनाई गई चीजें हमारे देश में फैलें और देश का धन विदेशों को चला जाये। मैं ने कलकत्ते की बर्ड एण्ड कम्पनी के संचालक गणों के नामों को देखा। दो सौ नामों में से दो या तीन ही भारतीय हैं। यह सार्थ पुरानी ईस्ट इंडिया कम्पनी के अवशेष हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से ब्रिटिश सरकार तो चली गई है किन्तु उस की आर्थिक नीति आज भी हमें अपने चंगुल में दबाये हुए है।

भारत सरकार की यह कार्यवाही बिल्कुल ठीक है। उसे आंकड़ों की आवश्यकता थी और १२०० सार्थों से उन को संग्रह किया गया है। उन्हों ने यह सूचना दी है कि कितने भारतीय उन में सेवायुक्त हैं, उन का सेवा-

काल क्या है और कितनों को १००० रुपये या उस से अधिक मासिक वेतन मिलता है। इस के विपरीत १३०० विदेशी सार्थों ने यह सूचना देने से इन्कार कर दिया है।

बर्मा शैल की बात ही लीजिये। पैरिस में उस की एक शाखा है। फ्रांस की सरकार ने कम्पनी को सभी प्रकार की सुविधायें देने तथा सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रबन्ध करने की प्रत्याभूति दी है परन्तु इस शर्त पर कि एक भी विदेशी को सेवायुक्त नहीं किया जायेगा। इस के विपरीत हमारे देश में भी बर्मा शैल तथा कालटैक्स तथा अन्य विदेशी सार्थ हैं और इन सब में १००० रुपये मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी ऊपर से नीचे तक विदेशी हैं।

अस्थायी संसद् में मैं ने वेतन की सीमा १५०० रुपये प्रति मास रखी थी। ३०-४० वर्ष की नौकरी के बाद १००० रुपये वेतन पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितने भारतीयों को विदेशी सार्थ में इतना वेतन मिलता है? जब कि इन सार्थों को दो या तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष की शुद्ध आय होती है। तो भारत सरकार को यह ज्ञात करना आवश्यक है कि उन में कितने भारतीय उच्चतम स्थानों पर हैं। मिस्र देश की हालत को हम कैसे भूल सकते हैं। ग्रेट बृटेन स्वेज़ पर आधिपत्य रखना चाहता था और इस के लिये उस ने मिस्र को गुलाम रखा। आज मिस्र में कोई भी विदेशी सार्थ अपनी शाखा स्थापित नहीं कर सकती। जब तक कि उस के उच्चतम अधिकारी मिस्री न हों या पूंजी का ५१ प्रतिशत भाग मिस्र की जनता द्वारा न लगाया गया हो। हमारी सरकार इसी कार्य को यहां प्रारम्भ कर रही है अतः हमको उसे पूर्ण अधिकार प्रदान करने चाहियें। हमारे जिन नवयुवकों ने विदेशों में रह कर प्रविधिक ज्ञान प्राप्त किया है उन को इन सार्थों का कार्यभार संभालने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। संभव है ऐसा दिन दस या पन्द्रह वर्ष के बाद ही क्यों न आये। अभी तक हम अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति में से १५०-२०० करोड़ रुपये तक प्रति वर्ष विदेशों को जाने दे रहे हैं परन्तु आज समय की पुकार है कि यह बन्द कर दिया जाये। यदि हमारे नवयुवक वायुयानों को पूर्ण कुशलता से उड़ा सकते हैं तो क्या कारण है कि वह बड़े विद्युत जनन संयंत्रों को चला नहीं सकते हैं। आज इन उद्योगों का भेद हम को मालूम नहीं है। हमारे पुराने उद्योग धंधों को ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा बरबाद कर दिया गया और कुटीर उद्योगों को पनपने का अवसर ही नहीं दिया गया। यह विदेशी पूंजीपति उद्योगों के सिर मौर हो कर बैठ गये और उन्हों ने हमारे नवयुवकों को कोई अवसर ही नहीं दिया। आज भारत स्वतन्त्र है तो भी हम इंग्लैंड या अमरीका के जनमत को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी उद्योगपति सारे काम अपने ही दृष्टिकोण से चलाना चाहते हैं। और हमारे दृष्टिकोण को जानना तक नहीं चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा आर्थिक भविष्य इन विदेशी सार्थों के साथ सम्बन्ध है। मुझे यह भी विश्वास है कि यदि कभी हम को युद्ध की आग से निकलना पड़ा तो हमारे देश में रह रहा प्रत्येक विदेशी पांचवें दस्ते का काम करेगा और देश की सुरक्षा तथा शान्ति के रास्ते में कांटे बिछायेगा। आज सरकार जो अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है वह तो खूंटी की नोक जैसा है। परन्तु साथ ही वाणिज्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह कहीं जो अधिकार उन को एक ओर से प्राप्त हो रहे हैं उन को दूसरी ओर से दे न दें। मंत्रालय को चाहिये कि विदेशी सार्थों को उन वस्तुओं के बनाने के लिये फैक्टरियां खोली जाने की अनुमति न दे जिनको भारतीय सार्थों ने बनाना प्रारम्भ किया है। गोडरेज कम्पनी टाइपराइटर बनाने का उद्योग

[श्री जोकीम आल्वा]

प्रारम्भ करना चाहती है, कहीं सरकार रैमिंगटन कम्पनी को भी यही सुविधायें दे कर भारतीय उद्योग का नाश न कर दे। इस से तो सारे किये रे पर पानी फिर जायेगा। इसी प्रकार जो वस्तूयें हमारे देश में बनती हैं उन के लिये आयात अनुज्ञप्तियां दे कर सारा खेल ही खत्म न कर दिया जांये।

यह बहुत आवश्यक बातें हैं। हमें अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिये। जो कुछ हमें करना है उसे खूब समझ कर करें जिस से कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित अनुसूचित जातियां) : यद्यपि यह विधेयक एक अधूरा विधयक है, फिर भी मैं श्री मुखर्जी और श्री अलवा के साथ यह मानता हूं कि आंकड़ों से सारी समस्याओं की समुचित जांच हो सकेगी और राज्य की प्रशासनीय नीतियों का सम्यक् निर्धारण हो सकेगा। जनसाधारण की अनेकों अत्यावश्यक समस्याओं का समाधान बहुत कुछ आंकड़ों पर ही निर्भर है। यद्यपि यह एक संदिग्ध बात ही है कि राष्ट्रीय-अर्थव्यवस्था का नियंत्रण सरकार के हाथ में है या पूंजीपतियों के हाथ में, फिर भी आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी पर बहुत कुछ निर्भर है। और हमारे देश में कुछ पूंजीपतियों के एकछत्र राज्य के कारण यह राजकीय हस्तक्षेप और भी आवश्यक है।

फिर उत्पादन, मजूरी, आय, रोजगार, व्यापार, लोक-वित्त, कृषि और उद्योग आदि के आंकड़े बिना जाने आज योजना का कार्य भी नहीं चल सकता है। लोक-कल्याण चाहने वाली सरकार का तो यह परम कर्तव्य है कि वह इन महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रकाशित करे, पर खेद है कि इस विधेयक के उपबन्ध भी अत्यन्त सीमित हैं। सरकार हमें पूरे-पूरे आंकड़े बतलाने में असमर्थ रही है। पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ १४, कंडिका ९ में भी यह स्वीकार किया गया है कि कुछ दशाब्दियों से विनियोजन-दर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, और बिखरे हुए आंकड़ों पर मोटे तौर पर प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। पृष्ठ ३२६, कंडिका ५ में छोटे-मोटे उद्योगों के बारे में भी यही स्वीकार किया गया है। पृष्ठ ३८० कंडिका २ में खनिज संपत्ति और पृष्ठ ६५० कंडिका ३ में रोजगारी-बेरोजगारी के बारे में आंकड़ों के उपलब्ध न होने के बात कही गई है और पृष्ठ ५२१, कंडिका १०२ में तो यह स्वीकार कर लिया गया है कि महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन विशुद्धता और परिपूर्णता की दृष्टि से सर्वथा सदोष है। मेरा मन्तव्य है कि विविध विषयों पर अद्यतन विशद आंकड़ों का संकलन अत्यन्त आवश्यक है और पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय यह बात बार-बार हमारे ध्यान में आई है।

अतः विशुद्ध सरकारी आंकड़ों के संग्रह पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को चाहिये था कि यह अधूरा विधेयक न रख कर एक विशद विधेयक सदन के सम्मुख रखती। फिर विधेयक में सरकार को आंकड़े ज्ञात करने के लिये शक्ति देने की तो चर्चा है, पर आंकड़ों के नियमित प्रकाशन के सम्बन्ध में सरकारी कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है। उन के नियमित संग्रह और प्रकाशन का उत्तरदायित्व इस विधेयक में सरकार के ऊपर स्पष्ट रूप में रखा जाना चाहिए था। पदाधिकारियों, विशेषज्ञों और संसद्-सदस्यों की एक समिति का भी उपबंध होना चाहिये था, जो विधेयक के समुचित कार्यान्वय के लिये सुझाव देती। तब यह विधेयक अधूरा न रहता।

श्री ए० के० दत्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य अत्यन्त प्रशंसनीय है । जब विदेशी सार्थ सरकारी अधिसूचनाओं का संतोषप्रद उत्तर न दें, तो सरकार को यह शक्ति प्रदान करना समुचित ही है । कलकत्ते के उपनगरों में बिखरे हुए शिक्षित मध्यवित्त लोगों की परेशानियां आंकड़ों के न मिलने के कारण ही दूर नहीं हो पातीं । सरकारी नौकरी न मिलने पर वे विदेशी सार्थों में नौकरी करते हैं । वहां के देशी मालिक भी विदेशी सार्थों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उन्हीं का अनुकरण करते हैं । फलतः 'मार्टिन एंड बर्न' जैसे सार्थों में आज अनेक पदाधिकारी विदेशी प्रजाजन हैं और स्वाधीनता के बाद भारतीयकरण की ओर उन्होंने जो पग उठाए थे, वे अब रोक दिये गये हैं । अब उन की नीति क्रमशः भारतीय-करण की ओर बढ़ने वाली नहीं रही है और तभी वे ठीक-ठीक आंकड़े भी नहीं बताते । कलकत्ता में छाई हुई ग्लानि और हाल में ही हुए उपद्रवों में प्रकट हुई निराशा का एक कारण यह भी है । आशा है, सरकार केवल आंकड़े संग्रह करके ही चुप न बैठेगी, बल्कि आगे बढ़ कर इन सार्थों में चलने वाले जातिगत भेदभाव का अन्त करवा देगी ।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब प्रश्न रखा जाए ।"

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : मैं सवेरे से खड़ा होता रहा हूं और मेरे दल का कोई सदस्य नहीं बोला है ।

सभापति महोदय : शांति, शांति । विदेशी सार्थों से संबंधित इस प्रश्न पर मेरे विचार से सभी दल सहमत हैं । जब मुख्य बात में मतभेद की गुंजाइश नहीं है, तो इस चर्चा को आगे चलाने की वांछनीयता को ही ध्यान में रखना चाहिए । अस्तु, यदि माननीय सदस्य कुछ सर्वथा नई बात कहना चाहते हैं, तो मैं उन को बोल लेने दूंगा ।

श्री सारंगधर दास : मुझे इस विधेयक का समर्थन करते हुए हर्ष होता है । १९४७ में विदेशी सार्थ देशी पूंजीपतियों को सब कुछ बेच कर वापस लौट जाने की सोचने लगे थे । १९४९ में सहसा स्थिति बदल गई, और सरकार की दुर्बल नीति के कारण इंग्लैण्ड वापस चले गए कुछ सार्थ भी लौट आए, और उन्होंने भारतीय कर्मचारियों का भेदभाव भी शुरू कर दिया । देश में ही देश-वासियों के ऊपर होने वाले इस अन्याय के विरुद्ध कलकत्ते में जब आंदोलन शुरू हुआ, तभी सरकार को चेत आया और उसने आंकड़े मांगे । कोई भी देश यह सब सहन न करता, पर हमारी सरकार अब इतनी देर बाद शक्ति ग्रहण करने जा रही है । अमरीका में भी ब्रिटिश पूंजी थी, पर पदाधिकारी स्थानीय अमरीकावासी ही होते थे । आशा है, इस विधेयक का समुचित प्रवर्तन कर के सरकार इन सार्थों का सच्चा हाल जानती रहेगी । मैं विदेशी हितों के विरोध में नहीं हूं और हर्ष है कि इस विधेयक में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है । विस्तृत प्राविधिक ज्ञान और पूंजी के कारण विदेशी सार्थों का रहना आवश्यक है । मैं देशी सार्थों के बारे में भी कहूंगा कि समुचित कई और प्रविधिज्ञ व्यक्तियों को न लगा कर प्रबंधकों और संचालकों के संबंधियों को लगाया जाता है । आंकड़ों का संग्रह होते ही ये बातें सरकार को विदित हो जाएंगी, और इन को रोका जा सकेगा । एक भूतपूर्व औद्योगिक प्रविधिज्ञ के नाते मुझे विदित है कि इस स्वजनपोषण के कारण भारतीय उद्योगों की दशा गिरी हुई है । अतः विदेशी सार्थों के साथ ही भारतीय सार्थों से भी आंकड़े एकत्र करना उचित ही

[श्री सारंगधर दास]

है, क्योंकि वहां भी दोषी व्यक्तियों के होने की संभावना है ।

दूसरी बात खंड २ उपखंड (९) में बताए गए रोपणों में रबर, चाय, कहवा और सिनकोना का ही उल्लेख है । भारत के चीनी-उद्योग के पास भी गन्ने के ५०० एकड़ से ५००० एकड़ तक के रोपण हैं । पता नहीं ऐसे रोपणों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया । उन में भी अनेकों अप्रवीण, प्रवीण और प्रविधिज्ञ व्यक्ति काम में लगाए जाते हैं, और उन के विषय में भी यह ज्ञात करना आवश्यक है कि वहां मजदूरों के साथ उचित बर्ताव होता है या नहीं, प्रविधिज्ञ व्यक्तियों को सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं या नहीं और भारतीय प्रविधिज्ञों के स्थान पर यूरोपीय प्रविधिज्ञ तो नहीं लगे हुए हैं । अतः इस उपखंड में दशाब्दियों से चले आते हुए अन्य रोपणों का भी उल्लेख होना चाहिए ।

जहां तक कुछ पूंजी पतियों के हितों को होने वाले भय का संबंध है, मुझे इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहना है । मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं दिखाई देता है कि किसी के साथ अकारण ही या निराधार ही कुछ दुर्व्यवहार किया जाएगा ।

जहां तक प्रतिनिधिरूप दंड का संबंध है, अपने अनुभव के बल पर मेरा विचार है कि अकेले प्रबंधक को ही नहीं, बल्कि प्रबंधक-अभिकर्त्ताओं को भी उत्तरदायी ठहराना चाहिये । एक देशी समवाय का प्रबंधक रहने के नाते मुझे विदित है कि मालिक कारखाना-अधिनियम या कामकर क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि के अधीन कुछ गड़बड़ी होने पर सब कुछ मेरे ही ऊपर डालना चाहते थे और कहते थे कि प्रबंधक होने के नाते हथकड़ी मुझे ही पहननी चाहिए । यह सर्वविदित है कि कारखाना अधिनियम आदि से संबंधित सभी बातों का उत्तर देने के ही लिए प्रबंधक को वेतन दिया जाता है । भले ही प्रबंधक-अभिकर्त्ताओं की असावधानी से कुछ गलती हो, पर उत्तरदायी प्रबंधक को ही ठहराया जाता है और उसे ही न्यायालय में घसीटा जाता है । अतः समवाय के आंकड़े न देने के कारण दोषी होने पर संचालकों और प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं को उत्तरदायी ठहराने वाले उपबन्ध सर्वथा उचित हैं ।

सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब इस प्रश्न पर मत लिया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अब इस प्रश्न पर मत लिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री करमरकर : मैं स्वीकार करता हूं कि न तो यह मेरे लिये सम्भव ही होगा और न आवश्यक ही कि सामान्य वाद-विवाद में उठाई गई सभी छोटी-छोटी बातों पर विचार किया जाय । मेरे अपने अनुदेश के लिये जहां इस विधेयक का आंकड़ों से संबंध है मैं ने इस विधेयक पर विमर्श के पश्चात आंकड़ा-संकलन करने का प्रयत्न किया है ।

इस अवस्था पर इस संबंध में मैं देखता हूं कि लगभग सवा दो घंटे समय लिया जा चुका है, वक्ताओं की संख्या ११ थी, छोटे बड़े विवाद बिन्दु भी ३० से कम नहीं, जिन का मेरे विचार से यदि इसी समय उत्तर दिया जाय तो केवल १० होंगे और उन के वृहतर वर्ग तीन । अपने माननीय मित्रों के सम्मानार्थ, मैं उन बातों की संख्या नहीं बताऊंगा जो मेरे विचार से निरर्थक हैं । प्रस्तावित संशोधनों की योग संख्या २९ है । हमारे विचार से आवश्यक संशोधन एक भी

नहीं है । विधेयक पर विमर्श के संबंध में, आंकड़े संबंधी संक्षिप्त स्थिति यह है ।

इन विषयों के सम्बन्ध में मुझे एक अवलोकन से बड़ी निराशा हुई, जिस के लिये मैं आशा करता हूं कि वह आकस्मिक ही होगा--जो मेरे एक माननीय सदस्य द्वारा रखा गया है कि अब आंकड़ों की आवश्यकता लुप्त हो गई है । उन्होंने पूछा : "इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ?" मैं निरुत्साहित हो गया था, क्योंकि मैं ने सोचा कि विधेयक किसी भी प्रकार का सन्देह उत्पन्न न करेगा । आर्थिक आंकड़ों का उद्देश्य यथोचित आर्थिक परिणामों का विकास करना है । यही इस का एकमात्र उद्देश्य है ।

इस के पश्चात् एक दूसरी छोटी सी आनुषंगिक शिकायत की गई थी । हम आंकड़ों का प्रकाशन क्यों नहीं करने लगते ? सरकार जिस मामले को भी संगत समझती है प्रकाशित कर देती है । औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के मामले में, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन भी है, जब हम विभिन्न कम्पनियों को सूचना देने के लिये आमंत्रित करते हैं, जो गुप्त होती हैं, उन को प्रकाशित करने का कोई भी प्रयत्न स्वभावतः अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत होगा । पक्षों की सहमति से उस सूचना को प्रकाशित करना सम्भव होगा जिसे हम आवश्यक समझते हैं । किन्तु मैं चाहूंगा कि सदन इस उपाय के विस्तृत एवं साधारण उद्देश्य का अनुमोदन करे और वही पुराने अधिनियम के उपबन्धों का सही विस्तार होगा ।

एक प्रकार से मुझे बड़ी निराशा हुई । मैं जो आज प्रातः सुनने की आशा रखता था वह सरकार आंकड़े संबंधी जानकारी के संबंध में क्या कर सकी है इसका एक प्रकार का पुनरीक्षन था, विशेष कर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तथा हमारे तरीकों में यथासंभव सुधार करने के संबंध में । उदाहरण के लिए, हमें सदन के इस पक्ष में होने के कारण सन्तोष करने के बहुत से कारण हैं; हमारे विदेशी व्यापार के आंकड़े काफी संतोष-जनक हैं । इस के अतिरिक्त औद्योगिक सांख्यकी अधिनियम के अन्तर्गत हम औद्योगिक आंकड़ों का संग्रह तथा प्रकाशन साधारण रूप में मासिक पत्रिकाओं में करते रहे हैं । मेरे लिये यह काफी संतोषप्रद है । मैं ने इस विधेयक के क्षेत्र में वाणिज्य तथा व्यापार भी सम्मिलित कर दिया है तथा इस उपाय को काफ़ी विस्तृत कर दिया है, अतः मैं सुधार के कुछ सुझावों की अपेक्षा कर रहा था । मुझे निराशा होती है क्योंकि उस महत्वपूर्ण बात पर जो प्रकाश, वाद-विवाद के समय डाला गया है, मेरा तात्पर्य उन माननीय सदस्यों का निरादर करने का नहीं जिन्हों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं वह कुछ भी नहीं हैं । कुछ बातें ऐसी उठाई गई हैं जिन पर मेरी सम्मति से विशद रूप से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । शायद इस कारण कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में हम ने एक आनुषंगिक निर्देश अपने भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों की जानकारी के प्रयत्न के संबंध में किया था, मैं देखता हूं कि लगभग एक तिहाई समय भारत में कार्य करने वाली विदेशी कम्पनियों के संबंध में ही ले लिया गया है ।

मेरे मित्रों में से एक ने कहा कि विधेयक का प्रमुख उद्देश्य यही है । मुझे उन पर दोषा-रोपण किये बिना कहना चाहिये, कि यदि वह यह समझते हैं, कि जितने भी आंकड़ों का संकलन हम करते हैं उन का एक मात्र उद्देश्य है एक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना और जिस का नाम है--भारत में विदेशी कम्पनियां, तो वह बहुत बड़ी भूल करते हैं । मैं अपने पर्यवेक्षण के आरम्भ में बता चुका हूं कि आंकड़ों का उद्देश्य यह है कि कोई भी

[श्री करमरकर]

आर्थिक परिणाम यथोचित आर्थिक आंकड़ों के बिना सही नहीं कहे जा सकते । जैसा कि मैं ने कहा, एक उदाहरण स्वरूप अमरीका में फुटकर व्यापार, फुटकर दुकानों, कितना उत्पादन, कितना क्रय तथा उसी प्रकार की वस्तुओं के साप्ताहिक आंकड़े प्रकाशित होते हैं । इसी प्रकार का प्रकाशन, यदि हमारे देश में भी सम्भव हो सके, तो अत्यधिक लाभ-दायक होगा, किन्तु यह हमारे यहां के लिये बड़ा दुस्तर कार्य होगा । इस विधेयक का सामान्य उद्देश्य ऐसे आंकड़ों का यथोचित उपयोग ही नहीं रखा गया है किन्तु उद्योग तथा व्यापार के अधिक-से-अधिक क्षेत्र में लागू करना है । मैं इस बात को अधिक नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं देखता हूं कि ऐसी आंकड़े संबंधी जानकारी के संग्रह की आवश्यकता के संबंध में सामान्य एकात्मकता है ।

तब पुनः मैं इस बात का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि इस विषय पर मौन रहने का अर्थ गलत लगाया जा सकता है—भारत में विदेशी कम्पनियों के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है । मेरे आदरणीय ज्येष्ठ साथी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और यद्यपि हम को ऐसे कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे तो भी हम ने राष्ट्रीयों ब-नाम अ-राष्ट्रीयों के सेवा नियोजन से संबंधित सूचना सभी कम्पनियों से मांगी । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि संबंधित बहुत सी कम्पनियों ने इस में तर्क देखा और हमें सूचना भेजी । हम ने दूसरे यथोचित तरीकों, प्रभावशाली तरीकों को अपनाया कि जिस से अन्य कम्पनियों ने भी हमें सूचना दी । धीरे धीरे अधिकतर परिणाम संतोषजनक निकले हैं, जहां तक सूचना संग्रह करने का संबंध है यद्यपि अभी तक हम निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं । वह वास्तव में बड़ी समस्या न थी, यद्यपि यह संतोषजनक बात नहीं कि कुछ प्रतिशत कम्पनियों ने आवश्यक सूचना हमें नहीं दी । हम सदन के इस पक्ष के लोग सदन के दूसरे पक्ष द्वारा व्यक्त किये गये संकोच को अनुभव नहीं करते ।

श्री सारंगधर दास : उद्देश्य तथा कारणों का विवरण यह बताता है कि "यह बहुत संतोषजनक नहीं था ।" माननीय मंत्री जी कुछ कहते हैं वह इस से मिलता नहीं है ।

श्री करमरकर : उस हद तक असंतोष-पूर्ण है जहां तक कुछ फर्मों ने उस के अनुसार कार्य नहीं किया । हम पूर्ण सूचना चाहते हैं । यदि १० प्रतिशत ने सूचना नहीं भेजी तो भी आंकड़े संबंधी दृष्टिकोण से यह पूर्णतया असंतोषजनक है । मैं नहीं चाहता कि सदन की धारणा यह बने कि उस दिशा में हमारा प्रयत्न पूर्णतया असफल रहा, या वास्तव में हम कमजोर साबित हुए । मैं ने माननीय सदस्य को यह कहते हुए सुना कि कम से कम अब सरकार दृढ़ है । मैं इसे दूसरे रूप में रखूंगा । इन सभी वर्षों में सरकार सदैव दृढ़ रही है । मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र कम से कम अब बुद्धिमत्ता तथा सत्यता की खोज कर रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : सरकार कई वर्षों से अधिकारारूढ़ है । वह आप पांच वर्ष पूर्व भी प्राप्त कर सकते थे ।

श्री करमरकर : वर्तमान क्षण में मेरे पास सीमित समय है । मैं उन की बात सुनने तथा उन का उत्तर देने को तत्पर हूं, जहां तक वे चाहें, किन्तु मुझे सन्देह है कि इस बोलने तथा सुनने में वे मात नहीं कर पायेंगे ।

अब मैं आवश्यक बातों पर आता हूं । मुझे पूर्ण निश्चय है कि जिन विदेशी फर्मों को इस उपाय से कोई हानि पहुंच सकती

है, वे इस मामले में हमारी सम्मति भली भांति जानती हैं, मुझे यह भी विश्वास है कि इस सदन में व्यक्त की गई भावनाओं को भी उन्होंने समझ लिया होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां कहीं भी हम ने विदेशी पूंजी अथवा विदेशी सार्थों को स्वीकृति दी है, यथोचित विचार करने के पश्चात् ही दी ह। यह नहीं कि सरकार किसी अनिश्चित नीति का पालन करती है, वह निश्चित नीति का पालन करती आई है और कभी कभी अपनी नीति घोषित नहीं कर देती ह, जसा कि उसने हाल ही में तैल शोधन परियोजनाओं के मामले में किया है। मोटे तौर पर तथा विस्तृत रूप में प्रधान मंत्री के वक्तव्य में यह नीति स्पष्ट शब्दों में रखी गई है। जहां कहीं भी हम विदेशी सार्थों का भाग लेना अपने देश के हित के लिये सहायक पाते हैं, हम उस के लिये अनुमति दे देते हैं, पर महत्वहीन या तुच्छ बातों को छोड़ कर, जिन के विषय में विदेशी पूंजीपति की अपनी पूंजी के संबंध में स्वेच्छाचारिता से हमारी कोई विशेष हानि नहीं होती, हम शेष सभी बातों में अपने अधिकार को ही प्रमुख रखते हैं। किन्तु अधिकतर सम्पूर्ण आवश्यक क्षत्रों में हमारी नीति विदेशियों द्वारा भाग लिये जाने वाले सभी मदों में कड़ी छान बीन करने की है। निश्चय ही हम उस विचार धारा से सहमत नहीं कि : "सभी विदेशी सार्थों से दूर रहो।" हम देश की आर्थिक उन्नति की वर्तमान दशा में यह उचित समझते हैं कि न केवल विदेशी पूंजी को आन का ही अवसर दिया जाय वरन् उस के आगमन को उन की शर्तों पर नहीं किन्तु अपनी शर्तों पर प्रोत्साहित भी किया जाय। मेरा अनुमान है कि सदन इस की प्रशंसा करेगा। जहां तक विदेशी पूजी के भाग लेने के सम्बन्ध में हमारी नीति का प्रश्न ह, मैं समझता हूं कि सदन को इस में कोई विशेष आपत्ति न होगी जब तक कि वह विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों की इस कटटर विचारधारा से सहमत न हो कि विदेशी विचारधारा के अतिरिक्त सभी विदेशी चीज़ों से हमें अलग रहना चाहिय। इस संबध में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट रही है जैसे हम न विदेशी पूंजी की स्वीकृति देन में किसी प्रकार का भद-भाव नहीं रखा। किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में मतान्तर हो सकता है। बुद्धिमत्ता भी किसी अन्य चीज़ में हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे सभी निर्णय धार्मिक भावना से ओत-प्रोत तथा दोष-रहित होते हैं। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कह सकती। किन्तु हम ने इस बात का प्रयत्न किया है कि विदेशी पूंजी का आगमन न्यायसंगत तथा समर्थन करने योग्य कारणों पर आधारित है।

यह कहने के पश्चात् मैं नहीं समझता कि मुझे विदेशी कम्पनियों के संबंध में रखे गये विचारों पर कुछ और विलम्ब करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सदन को यह भली भांति विदित है कि हम निश्चय ही इस विचार के मानने वाले हैं कि जब एक विदेशी कम्पनी भारत आती है, तो उस के तथा यहां के राष्ट्रीयों दोनों के लिये श्रयस्कर यही होगा कि भारतीय व्यक्तियों को जहां तक सम्भव हो सके अधिक से अधिक संख्या में ले, जब तक कि प्रावैधिक अथवा अन्य कारणों वश विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति अनिवार्य न हो जाय। हमारा ऐसा विचार रहा है और वही मार्ग रहा है जिस पर हमने अपना प्रभाव रखने का प्रयत्न किया है। सदन की भी यही सम्मति है, जैसी कि उन्होंने व्यक्त की है, यद्यपि उग्रता में वह भिन्न हो सकती है।

अनेक बातों पर विचार करने पर उन्हें हम तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि विधेयक अपने उद्देश्य तथा प्रयोग के सम्बन्ध में बहुत विस्तत

[श्री करमरकर]

है । किसी मामले की सूचना प्राप्त करने के अधिकार लेने की कोशिश पर हमारी निन्दा की गई है । अपने माननीय मित्र के प्रति पूर्ण सम्मान सहित मैंने विश्लेषण करने तथा अपने लिये कोई अन्य परिभाषा ढूंढने का प्रयत्न किया है । एकमात्र वकल्पिक परिभाषा जो मैं अपने माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव के लिये प्रस्तावित करने को तत्पर था वह है "any matter" (किसी मामले) के बजाय "Such matters as in the opinion of Government are necessary for collecting information" (वे मामले जो सरकार के विचारानुसार सूचना संग्रह करने की दृष्टि से आवश्यक हैं) और मुझे लगभग पूर्ण विश्वास है कि वह इसे स्वीकार कर लेंगे । किन्तु मेरे साथ कठिनाई यह भी है कि इस के सार में कोई भिन्नता नहीं थी । "Such matters as in the opinion of Government are necessary for collecting information" (वे मामले जो सरकार के विचारानुसार सूचना संग्रह करने की दृष्टि से आवश्यक हैं) का अर्थ वही है जो "any matter" (किसी मामले) का । अतः मैं यह समझने में असमर्थ हूं और मैं इस विषय पर कुछ प्रकाश डाले जाने की प्रतीक्षा में हूं .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा तात्पर्य भी इस के अतिरिक्त कुछ और नहीं था । इस मामले में मैं ने आप का समर्थन किया था ।

श्री करमरकर : मुझे बड़ा खेद है । उन्होंने मेरा समर्थन इतने ओज से किया । कुछ समय तक मेरी यही गलत धारणा बनी रही कि वे मेरा विरोध कर रहे हैं । मैं सुधार को स्वीकार करता हूं । किन्तु इस विषय म हमे स्वतंत्र रहना चाहिय कि हम किस संबंध में सूचना मांगे । हम यह नहीं पूछने जा रहे हैं कि एक मैनेजर अथवा संचालक के कितने बच्चे हैं--जब तक कि इस का संबंध उद्योगों, व्यापार या वाणिज्य से नहीं है । वह सब निरर्थक होगा । हम अमयाद शक्ति नहीं चाहते; साथ ही मेरे लिये इस की व्याख्या देना भी असम्भव है कि हम को सूचना किसी सम्बन्ध में मंगानी पड़ेगी ।

तत्पश्चात् एक या दो विवाद-बिन्दु मेरे मित्र श्री मोरे द्वारा उठाये गये थे । वह "wilfully" (जान बूझ कर) शब्द के विषय में चिन्तित थे । मैं समझता हूं कि यह मेरे तथा सदन दोनों के लिए हितकर होगा यदि मैं अभी शीघ्रतापूर्वक विधेयक के अपराध या दण्ड की धारा से संबंधित उपबन्धों का निर्देश कर दूं । उदाहरण के लिये, खण्ड ९ के विषय में काफी कहा जा चुका है । माननीय सदस्यों को यह भली भांति विदित है कि हमारे लिये अधिकार लेने तथा इस प्रकार के दण्ड आरोपित करने का यह प्रथम अवसर नहीं है । हम ने यह वायदे के सौदे अधिनियम तथा शेष मामलों मे यही किया है ।

स्वयं खंड ९ को लीजिये । इसमें क्या है ? यह एक अत्यन्त युक्तियुक्त खंड है कभी-कभी कोई कम्पनी अपना उत्तरदायित्व टालने का प्रयत्न कर सकती है । एक फरजी मैनेजर रक्खा जा सकता है । उसे ५०० या ३०० रुपये दिये जा सकते हैं और उस से कहा जा सकता है कि तुम्हारा काम गलत सूचना प्रदान करना है और यदि कभी तुम फंस जाओ तो उस के लिये यह राशि है । इस प्रकार के फरजी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने से रोकने के लिए हम ने कहा है कि जुर्म होने के समय जो भी व्यक्ति कम्पनी के चार्ज में था अथवा उस के प्रति उत्तरदायी था, इस का जिम्मेवार होगा । इसलिये जब कभी किसी कम्पनी द्वारा कोई जुर्म किया

जाता है तो हम उस व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराते हैं जो कि मुख्यतः इस के लिए उत्तरदायी है। वह यह नहीं कह सकता कि "देखिये, टेकनीकल रूप से तो मैं जिम्मेवार हूं किन्तु अमुक-अमुक वास्तव में जिम्मेवार है।" इस तरह से वह बच कर नहीं निकल सकता।

हम नहीं चाहते कि कम्पनी की ओर से जो जुर्म किये जाएं उन से वह बच जाए। खंड ९(१) में यही व्यवस्था की गई है।

उप-खंड (२) में एक निश्चित उपबन्ध है। इस के अनुसार : "उप-खंड (१) के बावजूद भी, यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई जुर्म किया गया है और यह साबित हो जाता है यह जुर्म कम्पनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी अथवा किसी अन्य पदाधिकारी की मर्जी अथवा साजिश से किया गया है या उन की असावधानी से हुआ है तो उस डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी अथवा अन्य पदाधिकारी को भी दोषी समझा जाएगा।" इस प्रकार जब कि उप-खंड (१) उस व्यक्ति को दोषी ठहराता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है उप-खंड (२) उन समस्त व्यक्तियों को लेता है जो कि जुर्म किए जाने से अवगत हैं अथवा जिन की असावधानी से यह जुर्म हुआ है, और इस लिये वे भी जिम्मेवार हैं। अर्थात् उप-खंड (२) उत्तरदायित्व का दायरा बढ़ा देता है। दोनों के बीच का अंतर न केवल युक्तियुक्त है, वरन् अत्यन्त आवश्यक भी है।

खंड (८) के उप-खंड (क) के उपबन्ध को अधिक हलका करने अथवा अधिक शक्तिशाली बनाने के एक-दो प्रयत्न किए गए हैं। उप-खंड (क) (१) के अनुसार "इस अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना या हिसाब को देने से जानबूझ कर इनकार करता है अथवा उसे देने की अपेक्षा करता है।" और उप-खंड (ख) (२) के अनुसार "कोई सूचना या हिसाब गलत जानते हुए भी जानबूझ कर देता है अथवा दिलवाता है।" इस को इस प्रकार परिवर्त्तित करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है ; "जिसे उस के पास गलत समझने के कारण हैं।" मान लीजिए कि कोई सूचना गलत नहीं है, किन्तु उसे गलत समझने के उस के पास कारण हैं। तब क्या उसे जिम्मेवार ठहराया जाए ? कोई सूचना जो वास्तव में सही है किन्तु यदि वह उसे गलत समझता है तो यह बड़ी बेतुकी बात हो जाएगी। हमें औद्योगिक आंकड़े अधिनियम का अनुभव है। इसीलिये हम ने कहा है कि 'यह जानते हुए' न कि 'इसे गलत समझने का कारण होते हुए'।

जैसा मैं ने पहले बतलाया, कई बातें हैं जिन का उत्तर दिया जा सकता है किन्तु ऐसी बहुत सी बातें नहीं हैं जिन का उत्तर इस समय दिया जा सके। इस प्रस्ताव को सामान्यतः जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सदन का अनुग्रहीत हूं। मुझे विश्वास है कि सदन यह देखेगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत ली गई शक्ति का सदुपयोग हो।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य से सम्बन्धित विशेष प्रकार के आंकड़ों के संग्रह कार्य को आसान बनाने के विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब इस पर खंडशः विचार होगा।

खंड ३—(परिभाषाएं)

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २ में पंक्ति ८ के पश्चात निम्नलिखित निविष्ट किया जाये :

"(xii) any company engaged in the distribution of

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

goods imported from abroad or produced within the country."

"(१२) कोई भी समवाय जो बाहर से आयात किये गए अथवा देश में तैयार किये गये माल के वितरण का काम करता हो ।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में कुछ ऐसी फर्में हैं जो आयात किये गये अथवा देश में तैयार किये गये माल के वितरण का काम करती हैं, इन के सम्बन्ध में भी आंकड़ों का संग्रह करना आवश्यक है । इन फर्मों में बहुत सा धन लगा हुआ है तथा बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं । मुझे आशा है कि सरकार को इन्हें अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री करमरकर : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे । मेरा ख्याल है कि हम उप-धारा (११) के अन्तर्गत ऐसे समवायों के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकते हैं । यदि हमें बाद में पता चलेगा कि इन्हें एक अलग श्रेणी में शामिल करना आवश्यक है तो हम ऐसा करेंगे । हमारी कठिनाई यह है । "वाणिज्यिक निकायों" में वह समवाय भी आ जाते हैं जिनका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । इस बात में संदेह हो सकता है कि क्या विज्ञापन के काम में रत कोई समवाय माल का वितरण करने वाले समवायों में शामिल किया जा सकता है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं फिर भी महसूस कर रहा हूं कि परिभाषा सम्पूर्ण नहीं है । कुछ भी हो, मैं अब अपने अगले संशोधन पर आता हूं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति १३ में

शब्द "manufacture" "निर्माण" के पश्चात् शब्द "assembling, packing" "असेम्बलिंग, पैकिंग" निविष्ट किये जायें ।

श्री करमरकर : इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, इसलिये मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

उक्त प्रस्ताव सभापति महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३—(आंकड़ों का संग्रह)

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में पंक्ति ४४ के पश्चात् निम्न-लिखित निविष्ट किया जाये :—

(xii) labour turnover ;

(xiii) trade unions;

(१२) श्रमिक परिवर्तन ;

(१३) मज़दूर संघ ;

उक्त प्रस्ताव सभापति महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ६—अभिलेख आदि देखने का अधिकार

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरे बहुत से संशोधन हैं तथा इनके नम्बर २१, २३ २५ तथा २६ हैं।

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक संशोधन का अलग अलग निवारण करूंगा। आप संशोधन नम्बर २१ प्रस्तुत कर सकते हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि माननीय मंत्री को मामले के इस पहलू पर किस आधार पर विचार करना चाहिये, किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने भाषण में इसका कोई ज़िक्र नहीं किया। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कि इस विधेयक का समर्थन करते हैं किन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कुछ संरक्षण रखे जाने चाहियें मेरे विचार में खंड ६ के प्रवर्तन में आने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस दी जानी चाहिये। और जब नोटिस का जवाब न मिले तो फिर खंड ६ लागू होना चाहिये और यदि नोटिस का पालन किया जाये तो फिर सांख्यकी प्राधिकार को सूचना मिल ही जाती है। उस दशा में खंड ६ को लागू करना आवश्यक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हर मामले में सांख्यकी प्राधिकार को इस प्रतिकार का आश्रय नहीं लेना चाहिये। उसे इस सम्बन्ध में स्वविवेक से काम लेकर यह देखना चाहिये कि क्या सूचना न देना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है। जब उसे इस बात का संतोष हो जाये तभी उसे उस व्यक्ति अथवा समवाय की तलाशी का आदेश जारी करना चाहिये जो कि अपेक्षित सूचना को छिपा रहा हो।

मान लीजिये कि कोई व्यक्ति जिसके पास कि इस प्रकार की सूचना हो, सांख्यकी प्राधिकार को मकान के अन्दर आने की अनुमति नहीं देता है, तो क्या होगा ? यदि उसे अन्दर आने भी दिया जाये किन्तु प्रश्नों का उत्तर न दिया जाये, तो क्या होगा ? अभिलेख का परीक्षण करने का इसमें कोई उपबन्ध नहीं। अभिलेख की जब्ति का भी इस में कोई उपबन्ध नहीं। मैं चाहता हूं कि इस में ऐसा उपबन्ध रखा जाना चाहिये कि वह कागज़ों को ज़ब्त कर सके तथा उनका परीक्षण कर सके अथवा उन से नोट उतार सके।

तो यह दो बातें अत्यन्त ही गम्भीर हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सी परिस्थितियों में कैसे कोई व्यक्ति किसी वाणिज्यिक संस्था अथवा प्राइवेट संस्था को परेशान कर सकता है। आखिर, सांख्यकी प्राधिकार यह काम करने के लिये किसी व्यक्ति को ही तो नियुक्त करेगा, तथा हमें यह मालूम नहीं कि वह व्यक्ति विशेष कैसे इस शक्ति को प्रयोग में लायेगा। मैं किसी भी व्यक्ति को चाहे, वह कितना हो अच्छा अथवा आदरणीय क्यों न हो, निर्बाध शक्ति देने के विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि इन शक्तियों के साथ साथ संरक्षण भी हो, और जब इन शक्तियों को प्रयोग में लाने का अवसर उत्पन्न हो जाये, तो इन्हें प्रभावी रूप से प्रयोग में लाया जाये।

श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं संशोधन नम्बर २६ के बारे में भी कुछेक शब्द कहूंगा। इस संशोधन में मैंने कहा है कि जब सांख्यकी प्राधिकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तलाशी लेने के लिये किसी मकान में दाखिल होगा तो इस दशा में दंड प्रक्रिया संहिता के उचित उपबन्ध स्वतः ही लागू होने चाहियें। इस तलाशी के समय दो आदरणीय व्यक्ति उपस्थित होने चाहियें तथा ज़ब्त किये गये वस्तुओं की सूची तैयार की जानी चाहिये। मैं इस बात के लिये चिन्तित हूं कि जहां तक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हमारे कानून बनाने का सम्बन्ध है, हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप न हो। यह संरक्षण वास्तव में हानिकारक नहीं है तथा मुझे आशा है कि मंत्री जी इन्हें स्वीकार करेंगे। इससे सांख्यकी प्राधिकार के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, अपितु यह जनता के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करने से पूर्व मंत्री जी की राय जानना चाहता हूं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक उपबन्ध को राजकोषीय कानून के रूप में लागू किया जायगा। यदि यह कानून करों के सम्बन्ध में होता तो हिसाब किताब देखने के अधिकार के बारे में ऐसे उपबन्ध रखना उचित होता। यह एक अत्यन्त ही अहानिकारक विधेयक है। प्रत्येक प्रक्रम पर लोकहित को सिद्ध करना कुछ कठिन है। आखिर, लोकहित में ही आंकड़ों का संकलन आदि किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति सूचना देने से इंकार करता है, तो इस मामले को अलग अलग लेकर यह सिद्ध करना कठिन है कि उसका यह पग लोक हित के विरुद्ध है। दूसरे सांख्यको प्राधिकार कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है जिसका कि दंडाधीश, फौजदारी कानून अथवा पुलिस के साथ कोई भी वास्ता न हो, उसका काम केवल सूचना मांगना है। ऐसी दशा में नोटिस आदि देने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इन सार्थों पर यह सामान्य दायित्व है कि वह अपने सामयिक प्रतिवेदन भेजें। उन्हे ासिक आंकड़े अथवा साप्ताहिक आंकड़े भेजने होते हैं। नोटिस के पालन न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आंकड़े नहीं भेजता है तो अधिकारी उसके स्थान पर जाकर उसे पूछ सकता है कि "आप ने आंकड़े क्यों नहीं भेजे ?" अथवा यदि आंकड़े ठीक तरह से नहीं दिये गए हों तो वह उससे पूछ सकता है कि "क्या मैं आपके आंकड़ों को ज़रा देख लूं।" इस सारी धारा का उद्देश्य यह है कि ठीक ठीक आंकड़ों के संग्रह में सुविधा हो। दूसरी ओर मैंने निवेदन किया कि यदि यह विधेयक राज-कोष से सम्बन्ध रखता तो इस में वह सभी संरक्षण रखे जाने चाहिये थे जिनका कि मेरे माननीय मित्र ने ज़िक्र किया है, किन्तु ऐसी बात नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री रामस्वामी इस मामले में वकील की मनोवृत्ति रखते हैं। मुझे वकीलों के प्रति आदर है। परन्तु यदि इस मनोवृत्ति को वहां लाया जाये जहां कि इसे नहीं लाना चाहिये तो यह एक हानिकारक बात होगी मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र श्री ठाकुर दास भार्गव की आशंकाएं पूर्णतया निराधार हैं। यह कोई नई चीज़ नहीं है। यह औद्योगिक सांख्यकी अधिनियम से भी अनुकूलता रखता है। मेरे ध्यान में कोई ऐसी घटना नहीं आई है जबकि इसके किसी विशेष उपबन्ध का दुरुपयोग किया गया हो और न ही इस विधेयक के उपबन्धों का दुरुपयोग किये जाने का कोई विचार है। यह केवल तथ्यों तथा आंकड़ों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का प्रश्न है। यह किसी न्यायालय में जाकर कानूनी जटिलताओं के निवारण करने का कोई प्रश्न नहीं। आप अपने हितों की रक्षा के लिये कोई नोटिस नहीं जारी कर सकते हैं। यह हित तो आंकड़ों के संग्रह में ही निहित है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने संशोधन पर आग्रह न करें।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : यदि माननीय मंत्री मुझे यह विश्वास दिला रहे हैं कि कोई अनुचित बात नहीं होगी, तो मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ३६ में "at" के स्थान में "and search at" आदिष्ट किया जाये।

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ३८ में "may" के पश्चात् "inspect or take copies of relevant records and" निविष्ट किया जाये।

मैं इन संशोधनों को इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार के पास अधिक शक्ति होनी चाहिये। आवश्यक शक्ति के अभाव में सम्पूर्ण खंड ही निरर्थक हो जाता है। आयकर अधिनियम में भी आपको ऐसी शक्ति मिलेगी। इस विधेयक में आप यह उपबन्ध तो कर रहे हैं कि कोई पदाधिकारी किसी भी जगह जा सकता है ताकि वह आंकड़े इकट्ठे कर सके, परन्तु जब तक उसे तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक इस उपबन्ध से क्या लाभ ? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे अभिप्राय को समझेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

मेरा एक संशोधन और भी है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संशोधन स्वीकार करने के पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम संशोधन स्वीकार करने को तो तैयार हैं, परन्तु इसमें कुछ परिवर्तन किये जाने होंगे।

श्री वी० पी० नायर : क्या आप मेरा पहला संशोधन स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं। मैं दूसरा संशोधन स्वीकार कर लूंगा, परन्तु शर्त यह है कि आप उसमें थोड़ी फेर बदल कर दें।

सभापति महोदय : यदि "and" ("और") के स्थान में "or" ("या") आदिष्ट कर दिया जाये तो माननीय मंत्री संशोधन संख्या २४ को स्वीकार करने को तैयार हैं।

श्री वी० पी० नायर : परन्तु यह तो पर्याप्त नहीं होगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य का संशोधन यह हो: "inspect or take copies of relevant records or" तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं।

श्री वी० पी० नायर : मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि कभी कभी प्रश्न पूछना तथा कागजात लेना दोनों बातें जरूरी होती हैं। इसीलिये मैं "or" ("या") की अपेक्षा "and" ("और") को वरीयता देता हूं।

श्री करमरकर: व्याकरण तथा विधि से यह पता चलता है कि "or" ("या") से अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता।

श्री वी० पी० नायर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३८ में, "may" के पश्चात "inspect or take copies of relevant records or document or" निविष्ट किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि श्री वी० पी० नायर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या २२ स्वीकार्य नहीं है।

श्री करमरकर : वह स्वीकार्य नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : परन्तु इतना ही कह देना तो काफ़ी नहीं होगा। हमें इसका कारण भी तो पता होना चाहिये।

श्री करमरकर : कारण यह है कि किसी संगत अभिलेख या दस्तावेज़ देखने के सम्बन्ध में शक्ति तो पहले ही दी जा चुकी है। इससे अधिक शक्ति दी जानी हमारे विचार में अनावश्यक होगी। हां, यदि बाद में उसकी आवश्यकता प्रतीत होगी तो हम इसे प्राप्त करन के लिय कार्यवाही करेंगे। अभी तो तलाशी की शक्ति आवश्यक नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : संगत अभिलेख प्राप्त करने के लिये तलाशी आवश्यक होगी। जब तक तलाशी नहीं ली जायगी। तब तक आप आवश्यक सामग्री कैसे प्राप्त कर सकेंगे?

श्री करमरकर : मेरी राय में तो हमें अभी देखना चाहिये कि इसकी कोई आवश्यकता है भी या नहीं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ७ (....प्रकाशन पर निबन्धन)

श्री नानादास : इस खंड के सम्बन्ध में मैं ने जो संशोधन रखा है उस का उद्देश्य यह है कि सरकार के पास किसी सार्थ से प्राप्त जानकारी को उस के स्वामी या अभिकर्ता की अनुमति के बिना प्रकाशित करने की शक्ति रहे। ऐसी सांख्यकीय सामग्री कोई निजी चीज़ नहीं रहती, उस का सम्बन्ध तो जन साधारण की आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं से रहता है। अतः जनता को यह जानने का पूरा पूरा अधिकार है कि किसी सार्थ विशेष से सम्बन्ध रखने वाले आंकड़े क्या हैं।

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि किसी उद्योग या वाणिज्यिक संस्था से जानकारी प्राप्त किया जाना केवल सामान्य उपयोग के लिये आवश्यक है। मान लीजिये कि हम किसी संस्था के स्वामी से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे उस की मर्ज़ी के बिना प्रकाशित कर देते हैं तो इस का यह परिणाम होगा कि हमें ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलेगी। जो जानकारी हमें विश्वास कर के दी जाती है उसे प्रकाशित करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिये हम इस संशोधन का विरोध करते हैं।

श्री नानादास : मैं इस संशोधन को रखना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि वाणिज्यिक संस्थाओं तथा औद्योगिक उपक्रमों सम्बन्धी ये आंकड़े कोई गुप्त चीज़ नहीं होने चाहिये। जनता को उन्हें जानन का तथा सरकार को इन्हें आवश्यकतानुसार प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिये।

अतः मैं अपना संशोधन रखना चाहता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया।

सभापति महोदय : एक संशोधन श्री झूलन सिन्हा के नाम में है। परन्तु वह अनुपस्थित हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव के भी संशोधन हैं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं पहला संशोधन नहीं रख रहा हूं । दूसरे संशोधन के विषय में मैं पहले माननीय मंत्री के विचार जानना चाहता हूं । इस में पृष्ठ ४ की पंक्ति १९ से २१, जिन में कि व्याख्या दी गई है, के लुप्त किये जाने की अपेक्षा है । मेरा निवेदन यह है कि जब एक बार अपराध हो गया हो तो बाद में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त होने पर वह अपराध कैसे दूर हो सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में,

पंक्ति १९ से २१ तक लुप्त की जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री **नानादास** : एक मेरा संशोधन और है, श्रीमान् । यह है संशोधन संख्या १९

सभापति महोदय : क्या आप उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री नानादास : जी हां । यह संशोधन दंड सम्बन्धी खंड से सम्बन्ध रखता है । उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी आंकड़ों का बहुत महत्व है । यदि ये आंकड़ ही ग़लत होंगे तो सरकार ठीक नीति किस प्रकार बना सकेगी ? अत: यह आवश्यक है कि वाणिज्यिक संस्थाओं तथा औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ठीक ठीक जानकारी दी जाये । इस प्रयोजन के लिये यह ज़रूरी है कि अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाये । इसलिये मेरा सुझाव है कि जुर्माना ५०० रुपये की बजाय २,००० रुपये रखा जाय । इस के अलावा छै मास तक के कारावास का भी उपबन्ध हो । यदि कारावास का कोई उपबन्ध नहीं होगा तो एक धनी व्यक्ति के लिये ५०० रुपये दे देना एक साधारण सी बात होगी । वह ५०० रुपये दे देगा और इस प्रकार सरकार को ठीक ठीक जानकारी से बंचित रखेगा ।

मैं इस सिलसिले में खंड १० के अन्तर्गत उपबन्धित दंड का जिक्र करना चाहता हूं । जब उस में अनुचित रूप से जानकारी या विवरण प्रकट करने के अपराध में छः मास तक के कारावास का उपबन्ध है तो इस सम्बन्ध में--आंकड़ों के संग्रहण के सम्बन्ध में--भी ऐसे ही दण्ड का उपबन्ध किया जाना चाहिय और जुर्माना भी काफ़ी रखा जाना चाहिये। आखिर यह विषय भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री करमरकर : श्रीमान्, हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं । इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उस के लिये कारावास या इतने भारी जुर्माने का दण्ड दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति यही अपराध बराबर करता रहे तो प्रति दिन के लिये उस से २०० रुपया जुर्माना लिया जायगा और यदि वह १० दिन तक यही अपराध करता रहे तो मेरे माननीय मित्र का आशय पूरा हो जायगा । इस के लिये इतना कठोर दण्ड रखना आवश्यक नहीं है ।

जहां तक खंड १० का सम्बन्ध है गुप्त सूचना का प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण बात है इस लिये उस का दण्ड भी अधिक रक्खा गया है । इस के लिये पहले दिन के ५०० रुपये तथा उस के पश्चात प्रति दिन के लिये २०० रुपये का जुर्माना पर्याप्त है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एच० एन० मुकर्जी तथा अन्य व्यक्तियों के नाम का,

[उपाध्यक्ष महोदय]

तथा श्री नानादास द्वारा प्रस्तुत किया गया, संशोधन सदन के सामने रखता हूं :

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ पंक्ति १६ में,

'पांच सौ रुपये' के स्थान पर रक्खा जाय, 'दो हज़ार रुपये या कारावास जिस की अवधि छै मास की हो, या दोनों'।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ९—(कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले अपराध)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बना लिया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १०—(अनुचित रहस्योद्घाटन के लिये दण्ड)

श्री एस० वी० रामस्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ पंक्ति २ में

"छै मास" के स्थान पर "दो वर्ष" कर दिया जाय

यह, अनुचित रूप से किसी कम्पनी की सूचना तथा नक़शों को प्रकट करने का दण्ड है। इन अधिकारियों की प्रत्ययी स्थिति है और यदि कोई बात इस स्थिति में इन्हें मालूम हो और वे उस को प्रकट कर दें तो यह बड़ी गंभीर बात होगी। इस का परिणाम यह भी हो सकता है कि कम्पनी फेल हो जाये अतः मैं कहता हूं कि इस का दण्ड छै मास के स्थान पर दो वर्ष तथा एक हजार रुपये के स्थान पर दो हजार रुपये होना चाहिये। जिस से कोई सांख्यकी अधिकारी अपनी जांच के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त करे उसे लापरवाही से प्रकट न करे, इस के लिये ऐसे दण्ड का भय होना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि यह संशोधन अत्यन्त न्यायसंगत है तथा आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री करंभरकर : हमारी राय में छै मास तथा एक हजार रुपया काफ़ी भयोत्पादक दण्ड है अतः इसे और भी भयोत्पादक बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो हम फिर सदन के सामने उपस्थित होंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी : तो, मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

१ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १०, ११, १२ तथा १३ में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड १०, ११, १२ तथा १३ विधेयक के अंग बना लिये जायं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १०, ११, १२ तथा १३ विधयक के अंग बना लिये गये।

खण्ड १४—(नियम बनाने का अधिकार)

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ ५ में,

पंक्ति ३१ के पश्चात्,

"(३) इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सारे नियम सदन के सामने रक्खे जायेंगे।" जोड़ दिया जाय।

मैं यह शब्द रखना पसन्द नहीं करूंगा, "सरकारी सूचना पत्र में प्रकाशित होने के पूर्व"

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार जो भी नियम बनायेगी वे सदन पटल पर रख दिये जायेंगे। परन्तु इस खण्ड में कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दिये गये हैं। मैं उन की ओर से आश्वासन नहीं दे सकता हूं। मैं बहुत आभारी हूंगा यदि माननीय सदस्य, जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है मेरे आश्वासन को स्वीकार कर लें तथा राज्य सरकारों पर अधिनियमिक उत्तरदायित्व डालने का विचार त्याग दें। इस का उपबन्ध हो या न हो हम सदन पटल पर रक्खे बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के नियम बनाने के अधिकारों की देखभाल करने के लिये एक समिति बनी हुई है। जहां तक प्रान्तीय सरकारों का प्रश्न है मैं उन को इसी अवस्था में रहने देना उचित समझता हूं। इसलिये मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन पर आग्रह न करें।

श्री एस० वी० रामस्वामी : केन्द्र के सम्बन्ध में तो माननीय मंत्री ने आश्वासन दे दिया परन्तु क्या राज्यों की जनता इस लिये सताई जाय कि केन्द्रीय सरकार उन को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकती कि वे भी अपनी विधान सभाओं के सामने इन नियमों को रख दें? यदि यह अधिनियमिक उपबन्ध बना दिया जायगा तो प्रान्तीय सरकारों के लिये बाध्य होगा। हमें चाहिये कि हम इस मामले को राज्यों की इच्छा पर ही निर्भर न रहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार देते हैं तो हम उन पर कुछ उत्तरदायित्व भी रख सकते हैं।

अतः प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ ५ पर,

पंक्ति ३१ के पश्चात्,

"(३) इस धारा के अन्तर्गत बनाये जाने वाले सभी नियम, शीघ्र से शीघ्र संसद के सामने या तत्सम्बन्धी राज्य की विधान सभा के सामने रक्खे जायेंगे", जोड़ दिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनाया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधित रूप में, खण्ड १४, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १५—(निरसन)

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ में

खण्ड १५ के स्थान पर,

"१५—निरसन—इस प्रकार औद्योगिक आंकड़ा संग्रह अधिनियम, १९४२ (१९४२ का नवां) तथा हैदराबाद आंकड़ा संग्रह अधिनियम (१३५७ फसली का नं० १७) का निरसन किया जाता है" रक्खा जाय।

श्रीमान्, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम हैदराबाद अधिनियम का भी निरसन कर रहे हैं क्योंकि पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम में उन को अधिकार दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ ५ में

खण्ड १५ के स्थान पर,

[उपाध्यक्ष महोदय]

"खण्ड १५--निरसन--इस प्रकार औद्योगिक सांख्यकी अधिनियम १९४२ (१९४२ का नवां) तथा हैदराबाद सांख्यकी संग्रह अधिनियम (१३५७ फसली का नं० १७) का निरसन किया जाता है" रक्खा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ संशोधित अवस्था में विधेयक का अंग बनाया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनाया गया।

खण्ड १, संक्षिप्त शीर्षक,विस्तार तथा आरम्भ

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ पंक्ति ३ में

'१९५२' के स्थान पर '१९५३' कर दिया जाय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ १ पंक्ति ३ में

'१९५२' के स्थान पर '१९५३' कर दिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनाया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनाया गया।

अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय"

श्री आर० के० चौधरी : माननीय मंत्री को मैं बधाई देता हूं कि उन की इच्छा के अनुसार ही विधेयक पारित हो जायगा। उन्हों ने प्रमाण भार अभियुक्त पर रक्खा है और सदन ने बिना किसी संकोच के और बिना किसी संशोधन के विधेयक के खण्ड ९ को स्वीकार कर लिया।

पर मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रालय के शस्त्रागार में, जो यह नया शस्त्र बढ़ाया गया है, इस में वे मोर्चा नहीं लगने देंगे वे इस विधेयक के उपबन्धों का सच्चाई के साथ तथा गंभीरता के साथ प्रयोग करेंगे।

आसाम के अनेक चाय बागान में, जहां से भारत से निर्यात होने वाली चाय की साठ प्रतिशत मात्रा का उत्पादन होता है; आसाम के कर्मचारी बहुत कम संख्या में हैं। कलकत्ते के एजेन्सी सदनों में, कलकत्ते के चाय को परखने वालों में, आप देखेंगे तो आप को ज्ञात होगा कि केवल कुछ चाय परखने वालों को छोड़ कर, आसाम वालों का तो कहना ही क्या है, भारतवासी भी नहीं है। इसी प्रकार एजेन्सी सदनों में, कुछ थोड़े से व्यक्तियों को छोड़ कर, एक भी भारतवासी नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि इस अधिनियम के लागू होते ही सरकार उन चाय बागनों से आंकड़े मांगेगी कि उन के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उन में कितने भारतीय तथा कितने स्थानीय व्यक्ति हैं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं देखता हूं कि केवल आंकड़े संग्रह करने के लिये कितना समय तथा श्रम लगाया गया है तो मुझे बड़ी निराशा होती है। हम सभी जानते हैं कि विदेशी फ़रमें अधिकतर विदेशियों को ही रखना पसन्द करती हैं। अभी तक इन के बारे में आंकड़े संग्रह करने का कोई साधन नहीं था। इस विधेयक से हम ने केवल इस का प्रबन्ध किया है कि आंकड़े जमा किये जायं। मेरा कहना है कि यदि विदेशी फरमों को इस बात के लिये विवश न किया जाये कि वे अधिक से अधिक संख्या में भारतवासियों को रक्खें तो यह सारा श्रम व्यर्थ हो जायगा।

अब एक बात और है जो और भी महत्व-पूर्ण है। हम कुछ नये अधिकार दे रहे हैं जिन का दुरुपयोग किया जा सकता है जो कुछ कम्पनियों को हानि पहुंचा सकता है। इसलिये मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में सब से अधिक सावधानी बरती जाय कि इन अधिकारों का कोई ऐसा उपयोग न होने पावे जो कम्पनियों के लिये हानिकारक हो। मैं आशा करता हूं कि अगली बार माननीय मंत्री कोई ऐसा व्यापक अधि-नियम बनावेंगे जो वास्तव में कुछ लाभ पहुंचा सके।

श्री करमरकर : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी आज अपनी पसन्द के एक और विषय पर अर्थात् चाय पर बोले हैं। वाणिज्यक संस्थाओं में भारतीयों तथा अभारतीयों की नौकरी का प्रश्न सांख्यकी के विषयों में से एक है। जैसे कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, इस विधेयक का सारा उद्देश्य ही लुप्त हो जाता है यदि हम केवल यह कल्पना करें कि यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये प्रस्तुत किया गया है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वर्तमान प्रसंग में आंकड़ा-संग्रह का वास्तविक उद्देश्य केवल एक समस्या को हल करने से कहीं अधिक है। यदि इस विधेयक के अन्तर्गत शक्तियों को उचित रूप से प्रयोग में लाया जाये तो इस तरह से एकत्रित की गई सूचना हमारे आर्थिक कार्यक्रम का आधार बन सकती है। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि तृतीय वाचन में बोलने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया है। मेरे माननीय मित्र ने तथा मैं ने इस विधेयक पर कई बार चर्चा की तथा यह चर्चा मामले को स्पष्ट करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। सांख्यकी एक मूल आवश्यकता है तथा मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रहित करने का प्रयत्न करना चाहिये। वास्तव में यदि माननीय सदस्य सरकार द्वारा प्रकाशित औद्योगिक सांख्यकी को देख लेंगे तो वह निस्सन्देह ही सरकार को इस बात पर बधाई देंगे कि उस ने पूर्व कानून का उचित लाभ उठाया है।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : परन्तु क्या वह विश्वस्त हैं ?

श्री करमरकर: जी हां। सरकार द्वारा प्रकाशित औद्योगिक सांख्यकी मेरे लिए तथा मेरे कई माननीय मित्रों के लिए अध्ययन का विषय रही है। सरकार निस्सन्देह ही इस विधेयक से उचित लाभ उठायेगी। मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, दो माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन की मैं सराहना करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार ७ अगस्त १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।